खण्ड-189, अंक-8
मंगलवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(17 दिसम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 189 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश की सूती मिलों के सम्बन्ध में श्रम-मन्त्री का वक्तव्य	५९७–६०१
लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित) ..	६०१–६४२
डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य और उनसे मुलाकात करने की सुविधा से सम्बन्धित ९ दिसम्बर, १९५७ के अल्पसूचित प्रश्न १ व ४ के विषय पर विवाद ..	६४२–६४९
नत्थियां	६५०–६५६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३६४)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्बुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री]
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायणगुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजू राम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह, यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री

रामगोपल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक ,श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुरथप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री

सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलालय ादव, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री भीमसेन ने शपथ ग्रहण।

मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ के विद्यार्थियों की भूख हड़ताल

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ के विद्यार्थियों की भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या किया है और भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—नेशनल होम्योपैथिक कालेज के विद्यार्थियों की भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में मैं १३ दिसम्बर, १९५७ को विधान सभा में एक बयान दे चुका हूं। उन की कुछ मांगें, जिस से होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का सम्बन्ध था, बोर्ड के सुपुर्द कर दिया था। बोर्ड की सिफारिश आ गयी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

भूख हड़ताल १४ दिसम्बर को समाप्त हो गयी है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित मांगों में से एक मांग यह भी थी कि डिप्लोमा के बदले विद्यार्थियों को डिग्री दी जाय? यदि हां, तो बोर्ड ने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब तक सरकार उस पर निर्णय न ले, बोर्ड की सिफारिशों को बतलाना जनहित में न होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उनकी मांग जो यह थी कि उन को डिप्लोमा के बदले डिग्री दी जाय, उसके न माने जाने के कारण नेशनल होम्योपैथिक कालेज के छात्र अब भी हड़ताल कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आज मैंने अखबारों में देखा, लड़कों की ख्वाहिश है कि कालेज खोल दिया जाय ताकि व ज्वाइन करें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कालेज के खुलने में क्या रुकावट है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब खरीदार होते हैं तभी दुकान लगायी जाती है। काफी लड़के आ जायेंगे, तो कालेज खुल जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह हड़ताल कुल कितने रोज चली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय प्रश्नकर्त्ता को खुद ही मालूम है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार कब तक विचार कर लेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---शीघ्रातिशीघ्र।

तारांकित प्रश्न

*१-२---**श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

१९५७ के आम चुनाव में काम करने वाले गोंडा जिला बोर्ड के अध्यापकों का भत्ता

*३---**श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह** (अनुपस्थित)---सन् १९५७ के आम चुनाव में जिला बोर्ड गोंडा के कितने अध्यापकों की सेवायें चुनाव कार्य में ली गयीं और इनमें से कितनों को वाजिब भत्ता अभी तक नहीं दिया गया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जिला बोर्ड, गोंडा के ८०९ अध्यापकों की सेवायें चुनाव कार्य में ली गयीं। इन में से ६८० अध्यापकों के यात्रिक भत्ता बिलों का भुगतान हो चुका है। ५० अध्यापकों के बिल जो ६ मास बाद प्राप्त हुए, महालेखाकार (Accountant General) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास पूर्व समीक्षा (Pre-audit) के लिए भेजे गये हैं। शेष ७९ अध्यापकों ने अभी तक अपने बिल नहीं भेजे हैं।

जिला बोर्डों के स्थान पर जिला काउन्सिलों के स्थापित करने का विचार

*४---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार जिला बोर्डों के स्थान पर जिला काउन्सिलों को स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त काउन्सिलों की क्या रूपरेखा होगी ?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां, इन काउंसिलों को आज के जिला बोर्डों और जिला नियोजन कमेटियों के कामों को देखना होगा ऐसा विचार है। इस आधार के बाद इन काउंसिलों की क्या रूपरेखा होगी यह मसला अभी विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार बताने का कृपा करेगी कि जब तक इस सम्बन्ध में कोई निश्चय न हो जाय उस वक्त तक के लिए वह जिला बोर्डों का कार्यकाल बढ़ायेगी या उन की जगह स्थायी काउन्सिलें स्थापित करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला बोर्डों का चुनाव मार्च में करने का इरादा है और चुनाव तक मौजूदा जिला बोर्डों की अवधि बढ़ायी जायगी और चुनाव होने के बाद नये जिला बोर्ड चार्ज ले लेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो निश्चय किया है कि मार्च में चुनाव हो तो क्या जिला काउंसिल्स बनाने का जो विचार था, वह स्थगित हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नहीं, वह विचार तो जारी है और उसी के आधार पर जो ऐक्ट बनेगा और जो उसकी रूपरेखा होगी, जो पद्धति तय होगी, उसी के अनुसार उनके चुनाव कराये जायेंगे।

श्री झारखंडे राय(जिला आजमगढ़)----क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब जिला काउंसिल्स बन जायंगी या उन के बनाने का कानून पास हो जायगा उस समय मार्च के चुनाव के अनुसार चुने हुए लोग मर्ज हो जायेंगे या जिला काउंसिल्स का चुनाव फिर से होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनकी रूपरेखा तो अभी विचाराधीन है, जिस तरह से ऐक्ट हाउस से पास होगा उसके अनुसार ही किया जायगा।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---जिला बोर्डों के प्रेसिडेंटों का चुनाव आम जनता द्वारा होगा, या बोर्ड के मेम्बरों द्वारा ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार का तो ऐसा विचार है कि इनडायरेक्ट एलेक्शन कराये जायं, लेकिन उसको सदन में लाया जायगा।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड चुनावों के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार ने जिला मैजिस्ट्रेटों को आदेश भेजे हैं कि वह परिसीमन करें और सूचियां ७ जनवरी तक टांग दी जायंगी ताकि समय के भीतर कोई आपत्ति करना चाहे तो करे।

श्री राज नारायण(जिला वाराणसी)---क्या सरकार के पास कोई ऐसे सुझाव भी गये हैं कि वर्तमान जिला बोर्डों को अभी भंग करना चाहिए और तमाम ग्राम पंचायतों के और पंचायती अदालतों के सरपंचों के और उन के प्रतिनिधियों को लेकर जिला काउंसिल बनानी चाहिए ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, सुझाव तो कई प्रकार के आये, लेकिन इस सम्बन्ध में मैंने जितने भी विरोधी दल हैं उन सब के नेताओं को एक बार निमंत्रण दिया था और कृपा कर के सब आय थे सिवाय सोशलिस्ट पार्टी के इस वक्त जो नेता जी हैं उनके आपस में इस बारे में बातचीत हुई और उसी के आधार पर हम ने वह कार्यवाही की है जिस का अभी प्रश्न में उत्तर दिया गया है।

श्री राजनारायण---मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार के पास इस तरह के सुझाव गये थे कि जिला बोर्डों को तत्काल भंग करना चाहिए और उन के स्थान पर गांव पंचायतों के प्रतिनिधियों को लेकर एक कमेटी बननी चाहिए ?

श्री रामस्वरूप यादव---सुझाव तो हर प्रकार के आया ही करते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन के सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? अगर की है तो वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार का ऐसा विचार है कि सिंगिल मेम्बर कांस्टीटयुएंसी बनायी जायं, केवल वहां पर जहां पर रिजर्वेशन है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो चुनाव होंगे, अडल्ट फ़्रचाइज की बेसिस पर होंगे या १९४८ में जो एलेक्टोरल रोल्स बने थे उन के आधार पर होंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—अडल्ट फ्रेंचाइज पर सरकार का करने का विचार है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि जो विरोधी दलों के लोग उनके सामने प्रस्तुत हुए थे उन्होंने इस बोर्ड के कार्यकाल को छः महीने बढ़ाने की सम्मति नहीं दी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन लोगों ने यह राय दी थी कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव कर लिया जाय। कोई खास अवधि तो नहीं निश्चित की थी, लेकिन यह सब ने कहा था कि जब चुनाव कराना है तो अवधि बढ़ानी होगी। छः महीने का समय एहतियातन रख दिया गया है। मगर हमारी कोशिश यह है कि मार्च तक चुनाव हो जाय और आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े, लेकिन एहतियातन हमने कर दिया है।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन में जो असेम्बली की वोटर्स लिस्ट है वह होगी या इसका रिवीजन होगा या जो पंचायतों के चुनाव हुए थे उनकी वोटर्स लिस्ट से चुनाव होगा?

श्री रामस्वरूप यादव—इसी असेम्बली वोटर्स लिस्ट को दोबारा एतराज के लिए पब्लिश किया जायगा और यही अन्तिम लिस्ट होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो चुनाव क्षेत्र बनायेंगे उन की जन संख्या और क्षेत्रफल क्या होगा?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार का ऐसा विचार है कि जितने सदस्य आजकल जिला बोर्ड के हैं इसमें कोआप्टेड मेम्बर्स भी शामिल हैं। उन सब को मिला कर विभाजन कर दिया जायगा। उस हिसाब से जितनी आबादी एक मेम्बर के हिस्से में आयेगी उसी पर निर्वाचन क्षेत्र बनायेंगे।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो चुनाव कराया जाने वाला है उस के बाद बोर्ड का कार्यकाल कितना होगा?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बताना अभी सम्भव नहीं है। लेकिन कम से कम दो साल का तो होगा ही।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला बोर्डों के मेम्बरों की जो संख्या है वह बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी?

श्री अध्यक्ष—वह तो जवाब दिया जा चुका है कि कोआप्टेड भी शामिल कर लिये जायगें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो स्त्रियों का कोआप्शन था तो स्त्रियों की भी सीटें सुरक्षित होंगी अगर कोआप्शन नहीं होगा?

श्री रामस्वरूप यादव—सुरक्षित करने का विचार नहीं है। लेकिन आशा की जाती है कि जो हमारे मेल मेम्बर्स हैं उनको भी सीट देने की कृपा करेंगे।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि जो चुनाव होने वाला है उसमें मतदान करने की क्या व्यवस्था होगी?

श्री रामस्वरूप यादव—वही मार्किंग सिस्टम जैसा कि नगरपालिकाओं के चुनाव में सरकार ने किया था और जो असेम्बली क उपचुनाव में भी होने वाला है।

*५--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।

उरई नगरपालिका के चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

*६--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई नगरपालिका के चुनाव में तारीख १६ अक्तूबर को कुल कितने व्यक्ति सरकारी पोलिंग स्टेशनों पर प्रिसाइडिंग आफिसर, पोलिंग आफिसर तथा पोलिंग क्लर्क नियुक्त किये गये ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---उरई नगरपालिका के चुनाव में कुल १५८ व्यक्ति पोलिंग स्टेशनों पर प्रिसाइडिंग आफिसर, पोलिंग आफिसर तथा पोलिंग क्लर्क नियुक्त किए गए जिनका विवरण इस प्रकार है :

प्रिसाइडिंग आफिसर	८
पोलिंग आफिसर	६०
पोलिंग क्लर्क	९०
कुल	१५८

*७-८--श्री बुद्धीलाल (जिला बहराइच)---[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

नोटीफाइड एरिया कमेटी नानपारा के कुप्रबन्ध के विरुद्ध शिकायतें

*९---श्री बुद्धीलाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या पिछले दो वर्षों में उसके पास नानपारा नोटीफाइड एरिया बोर्ड के सम्बन्ध में जनता की कुछ शिकायतें और अधिकारियों की कुछ रिपोर्टें आई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? सरकार ने शिकायतें दूर करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरुप यादव---नोटीफाइड एरिया कमेटी नानपारा के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में शासन को जनता से निम्नलिखित शिकायतें और अधिकारियों से तत्सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी :---

१---कमेटी सन् १९५२ में निर्वाचित हुई थी और तब से उसने कोई विकास या रचनात्मक कार्य नहीं किया।

२---सफाई का काम भी असन्तोषजनक है। सड़कों पर झाड़ू नहीं दी जाती जो इस बात से प्रमाणित है कि सड़कों के किनारे तमाम कूड़ा इकट्ठा पड़ा रहता है।

३---लैम्प लगाने का भी प्रबन्ध उचित नहीं है। वे सार्वजनिक स्थान पर न लगा करके सदस्यों के घरों के सामने लगाये गये हैं।

४---सड़कों और गलियों की दशा बहुत खराब है। जब से यह कमेटी निर्वाचित हुई है इसने न तो कोई मरम्मत का कार्य कराया है और न कोई निर्माण ही कराया है। परिणाम यह है कि सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है कि बरसात में कुछ मुहल्लों में जाया नहीं जा सकता।

५---नजूल भूमि का कमेटी द्वारा बड़ा कुप्रबन्ध है जिससे कमेटी को २,००० रुपया की वर्ष में आर्थिक हानि हो रही है।

६---बालकों के खेलने के पार्क, गांधी पार्क तथा कुम्ब वे पड़ाव जैसे सार्वजनिक स्थानों की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है।

७—कमेटी द्वारा लगाये गये सम्पत्ति तथा हैसियत कर के विरुद्ध जनता का घोर असंतोष है जिसका कोई निवारण अभी तक नहीं हुआ है ।

इन शिकायतों को दूर करने के लिये नोटीफाइड एरिया कमेटी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया परन्तु इसका कोई अपेक्षित प्रभाव न देखकर शासन ने कमेटी के विरुद्ध समुचित आरोप लगाये और उसका स्पष्टीकरण मांगा कि कमेटी के कुप्रबन्ध के कारण क्यों न उसको अवक्रमित कर दिया जाय । जब कमेटी का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ और कमेटी के अवक्रमण पर विचार किया जा रहा था इसी बीच स्थानीय निकायों के सामान्य चुनाव समीप आ पहुंचे । ऐसी परिस्थिति में शासन ने यह निर्णय किया कि कमेटी को अवक्रमित करने से कोई लाभ न होगा और जनता को नयी कमेटी में अपने इच्छानुसार प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाय । शासन ने यह भी निर्णय किया कि यदि नई कमेटी भी दो साल के अन्दर आवश्यक सुधार न करे तो कमेटी के अवक्रमण पर फिर विचार किया जाय ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—ये शिकायतें सरकार को किस समय प्राप्त हुई थीं और इनक्वायरी में कितनी देर लगी और यह रिपोर्ट कब आयी थी सरकार के पास ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह शिकायत सन् १९५५ से चल रही थी । लेकिन उसमें पहले रिपोर्ट आयी है उसके बाद स्पष्टीकरण मांगा गया है, फिर उस पर रिपोर्ट आयी है, तब सरकार का निर्णय हुआ ।

श्री बुद्धीलाल—क्या सरकार इस नोटीफाइड एरिया को यह आदेश देगी कि उपरोक्त शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो नोटीफाइड एरिया कमेटी को पहले से ही हिदायत भेज दी गई है ।

श्री गेंदासिंह—१९५५ से सरकार के सामने इतनी गम्भीर शिकायतों के आने के बाद भी सरकार को क्या कठिनाई थी कि उस कमेटी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दे दिया गया ।

कुमायूं फारेस्ट कमेटी के सदस्थ

*१०—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं, और कमेटी की बैठक इस वर्ष कब-कब हुई ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—कमेटी के सदस्यों की एक सूची मेज पर रक्खी है । कमेटी की बैठक २-२-१९५७ को हुई ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे ६५० पर)

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ४ सदस्य सरकार द्वार मनोनीत किये गये उनके मनोनीत करने का क्या आधार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उनकी जन सेवायें, उनके सम्बन्ध में जो और जिले में उनकी ख्याति है, तथा उनकी ग्राम सेवायें ।

चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट्स के कार्यालय से जाति बताने के संबंध में आदेश

*११—**श्री प्रतापसिंह**—क्या यह सही है कि चफि कनजरवेटर आफ फारस्ट के कार्यालय से एक आदेश यह आया है कि प्रत्येक कर्मचारी अपनी जाति बतायें ? यदि

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां । यह आदेश भ्रान्तिवश जारी किया गया था और अब वापस लिया जा रहा है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस आफिसर की वजह से भ्रान्तिवश यह आदेश दिया गया था और उसको सरकार क्या सजा देने जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उसमें कुछ कठिनाई इस प्रकार की थी ज्यादा भ्रान्ति का प्रश्न नहीं था । चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट को १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया जाता है तो उस वजह से वह आदेश जारी हो गया । लेकिन बाद को कुछ ऐसा विचार किया गया कि केवल नये आदमियों को यह आदेश नहीं भेजा गया है बल्कि एग्जिस्टिंग सर्विसेज पर यह चला गया है । इसलिये उसे वापस लिया जा रहा है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि यह आदेश इस विभाग के समस्त कर्मचारियों को दिया गया केवल हरिजन कर्मचारियों को नहीं और उन सबसे उनकी जाति पूंछी गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, यह सही है । यही तो मैंने निवेदन किया था कि इसको सबके पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल नये आदमियों से यह सम्बन्धित था ताकि उनमें पता चल सके कि कोई शेड्यूल्ड कास्ट से तो सम्बन्थित नहीं है, पुराने पर्सनल के पास नहीं जाना चाहिये था ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस भ्रान्तिपूर्ण आदेश को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है या करने वाले हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सम्भवतः जारी हो गया है या होने वाला है ।

अल्मोड़ा डिवीजन के हेड क्वार्टर, पिथौरागढ़ में डी० एफ० ओ० के लिए क्वार्टर का न होना

*१२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा पर नये डिवीजन का हेडक्वार्टर रखा गया है? यदि हां, तो यहां पर डी० एफ० ओ० के रहने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नये उत्तरी अल्मोड़ा डिवीजन का हेडक्वार्टर पिथौरागढ़ में रखा गया है । डी० एफ० ओ० के रहने के लिये पिथौरागढ़ रेन्ज क्वार्टर में प्रबन्ध किया गया है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि हर डिवीजन में रेंजर्स के लिये क्वार्टर्स बने हुये हैं लेकिन डी० एफ० ओज० के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है, तो डी० एफ० ओज० के लिये नये क्वार्टर्स बनाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—रेंजर्स के लिये नये क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि वहां के डिवीजनल आफिस की इम्पार्टेन्स को देखते हुये भवन निर्माण के हेतु सरकार कोई अनुदान स्वीकार करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यदि मैं प्रश्न ठीक समझा हूं तो शायद रेंजर्स औरडीएफ० ओज० के क्वार्टर्स से सम्बन्धित है । मैंन कहा कि रेंजर्स के लिये नये क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मैंने डिवीजनल आफिस की बिल्डिंग के लिये पूछा था कि क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो कुछ भिन्न प्रश्न होगा, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री प्रतापसिंह—जब रेंजर्स क्वार्टर्स डी० एफ० ओ० साहब लिये हुये हैं तो रेंजर्स साहब के रहने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पिथौरागढ़ में बहुत घर हैं, उनको भत्ता दिया जायगा जब तक उनके लिये घर नहीं बन जाते ।

झांसी जिलान्तर्गत समथर नोटीफाइड एरिया में बिजली आने में विलम्ब

*१३—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि रियासतों का विलीनीकरण होने के पहले समथर (झांसी) में बिजली की रोशनी के लिये तार व खंभे लग चुके थे और बिजली बनाने वाले दो इंजन भी आ चुके थे ? यदि हां, तो सरकार उन इंजनों को फिट कराकर वहां पर रोशनी की व्यवस्था कब तक करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, बिलीनीकरण के बाद इंजन आदि नोटीफाइड एरिया कमेटी, समथर को सौंप दिया गया था। बिजली चालू करने के हेतु नोटीफाइड एरिया कमेटी ने २०,००० रु० का कर्ज मांगा था । नोटीफाइड एरिया कमेटी से नियमानुसार कर्ज का प्रार्थना-पत्र भेजने को कहा गया था, परन्तु अभी तक नोटीफाइड एरिया कमेटी से कर्ज का प्रार्थना-पत्र नहीं आया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि वहां जो दो इंजन थे उनमें एक इंजन पुलिस विभाग को भेज दिया गया है और दूसरा इंजन भी नोटीफाइड एरिया कमेटी के अन्दर न होकर पुलिस द्वारा समथर थाने में रखा हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—छोटा इंजन तो नोटीफाइड एरिया कमेटी ने पुलिस विभाग को जरूर सौंप दिया है, लेकिन बड़ा इंजन कमेटी के पास ही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—जब रियासत ने खम्भे लगवा दिये थे और इंजन भी मंगवाया था तो क्या सरकार उसको चालू करने का प्रबंध करेगी या नोटीफाइड एरिया को रकम देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार स्वयं तो इसको चालू करने का विचार नहीं कर रही है लेकिन नोटीफाइड एरिया को कर्ज देने के लिये तैयार है यदि कोई प्रार्थना-पत्र आयेगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी कारण बताने की कृपा करेंगे कि यह इंजन पुलिस के सुपुर्द क्यों कर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो नोटीफाइड एरिया ने कर दिया है । कारण के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

कानपुर जिले में डेरापुर के पास सेंगुर नदी के पुल की निर्माण योजना

*१४--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले में डेरापुर के पास सेंगुर नदी का पुल बनाया जायगा ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--

प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--कार्य के टेन्डर विचाराधीन हैं जिसकी स्वीकृति के पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जायगा ।

*१५--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित)--यह पुल कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस पुल के बन जाने की आशा की जाती है ।

कानपुर जिलान्तर्गत झींझक-रसूलाबाद सड़क को पक्की करने की योजना

*१६--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित)--क्या सरकार कानपुर जिले की झींझक मण्डी को पक्की सड़क से इस पंचवर्षीय योजना में जोड़ देगी ? यदि हां, तो कब तक यह काम हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--झींझक-रसूलाबाद सड़क को पक्का करने का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है । यह बतलाना सम्भव नहीं कि यह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ।

महानगर में गृह-निर्माणार्थ लखनऊ नगरपालिका द्वारा रामपुर के ठेकेदार को कथित ठेका

*१७--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महानगर स्कीम में लखनऊ नगरपालिका ने किसी रामपुर के ठेकेदार को ठेका दिया था और उसे कुछ रुपया एडवान्स के रूप में दिया था ? यदि हां, तो कितना ?

श्री रामस्वरूप यादव--महानगर योजना लखनऊ नगरपालिका द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । प्रशासक ने बतलाया है कि महानगर योजना के अन्तर्गत रामपुर के किसी भी ठेकदार को न तो कोई ठेका दिया गया है और न ही कोई अग्रिम धनराशि दी गयी है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका ने महानगर में मकान बनाये हैं और उनका ठेका रामपुर के किसी ठेकेदार को दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, उत्तर में निवेदन किया गया है कि रामपुर के किसी ठेकेदार को ठेका नहीं दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--मेरा मंशा यह था कि योजना के अलावा जो मकान बने हैं, वह क्या नगरपालिका ने बनवाये हैं और उनका ठेका रामपुर के ठेकेदार को दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस की आवश्यकता है ।

हमीरपुर जिले में दफा १०७ के मुकदमे

*१८--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिल में जनबरी, १९५७ से ३० जून, १९५७ तक कुल कितने मुकदमे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हुये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१०१ मुकदमे ।

*१९--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के कितने मुकदमों में राजीनामे हुये और कितनों में सजायें हुयीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इन मुकदमों में २० में सजायें हुयीं और ३२ में राजीनामे हुये ।

श्री राम गोपाल गुप्त---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाकी मुकदमों का क्या हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बाकी मुकदमों में से १९ खारिज हो गये हैं । ६ में अभियुक्त छूट गये और ३० जून, १९५७ तक २४ मुकदमे चल रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार अदालतों को इस तरह की हिदायत देने की कृपा करेगी कि जिन मुकदमों में सुलह हो जाय उनमें ज्यादा तारीखें न छोड़ी जायं जिससे मुलजिमान को ज्यादा दिक्कत न उठानी पड़े ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे विचार से ऐसी हिदायतों की विशेष आवश्यकता नहीं है । १०७ में जब फैसला हो जाता है आपस में राजीनामा हो जाता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो कभी-कभी ऐसी कठिनाइयां पड़ जाती हैं कि राजीनामा ऊपर से मालूम होता है लेकिन प्रशासन की दृष्टि से ऐसा मालूम होता है कि पुलिस से पूछा जाय कि इसे स्वीकार किया जाय या नहीं और यह सही है या नहीं , इसलिये तारीखें पड़ जाती हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---जो १९ मुकद्दमे खारिज हो गये हैं उनमें से कितने इस्तगासे के थे और कितने पुलिस के ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं ।

डिप्टी कलक्टरी से सहकारी विभागों के एडीशनल रजिस्ट्रारों की नियुक्तियों में लोक सेवा आयोग की आज्ञा न लेना

*२०--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि जो व्यक्ति सन् १९५० से अब तक डिप्टी कलेक्टरी से सहकारी विभागों के ऐडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर लिये गये हैं उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) से ली गयी है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---जी नहीं ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को इस तरह से नियुक्त किया गया था उनकी कुछ विशेष योग्यतायें थीं जिनके कारण पब्लिक सर्विस कमीशन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ी ।

श्री मोहन लाल गौतम---जब प्रांविशियल सर्विसेज के लोग इस मुहकमे में लिये जाते हैं तो उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह की जरूरत नहीं मालूम होती ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की नियुक्ति होने के बाद जो उससे अधिक योग्यता वाले व्यक्ति उस विभाग में थे उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेन्टेशन सरकार के पास सन् ५५ में आया था ।

श्री मोहन लाल गौतम—इस वक्त मेरे पास उसके कोई कागज नहीं हैं।

सहकारी विभाग के कृषि अधिकारी का वेतन

*२१—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी विभाग में जो कृषि अफसर हैं उनकी तनख्वाह किस विभाग से दी जा रही है तथा उनका ग्रेड अपने विभाग में क्या था और सहकारी विभाग में वे किस ग्रेड से काम कर रहे हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—सहकारी विभाग के कृषि अधिकारी को तनख्वाह सहकारी विभाग से दी जा रही है जिसकी उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ बाद में शासन को भरपाई (reimburse) करता ।उक्त कृषि अधिकारी का वेतनक्रम कृषि विभाग में २५०–२५–४००—३०—७००—५०—८५० रु० का था और इसी वेतन क्रम में वे सहकारी विभाग में आये थे। वर्तमान समय में वे सहकारी विभाग में ५००–५०–१,०००—५०–१,२०० वेतन क्रम में काम कर रहे हैं जिसके वे अपने कृषि विभाग में अधिकारी हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितन कृषि विभाग के अधिकारी है जो सहकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न जिस तरह से इस सदन के सामने आया है उस तरह से इस पर गौर नहीं होना चाहिये। प्रश्न यह है कि ये बीज गोदाम कृषि विभाग ने सहकारी विभाग को ट्रांसफर किये। हम यह चाहते हैं कि जो बीज बांटा जाय उसकी मंजूरी कृषि विभाग की हो। कृषि विभाग जब तक उसकी जिम्मेदारी न ले ले तब तक हम उसकी जिम्मेदारी अपने अफसरान द्वारा नहीं लेना चाहते। इसलिये हमने उनके अफसरान को ले लिया। इसमें उनकी योग्यता का प्रश्न नहीं आता। हम तो अच्छा बीज होने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की रखना चाहते हैं।

गोरखपुर जिलान्तर्गत निचलौल-ठूठीवारी सड़क पर चन्दन नदी के पुल का निर्माण कार्य

*२२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में नचलौल–ठूठीवारी रोड पर चन्दन नदी पर कब तक पुल निर्माण हो सकेगा?

श्री गिरधारी लाल—कथित पुल का निर्माण-कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जाने की सम्भावना है।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बनाने में कितना खर्च पड़ेगा?

श्री गिरधारी लाल—इस पुल के बनाने में सब मिला कर ३०,००० रुपये खर्च होंगे।

अयोध्या में सरजू नदी पर पुल निर्माण का आयोजन

*२३—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या में सरजू नदी पर कोई पुल निर्माण होने वाला है?

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

*२४—श्री बलदेव सिंह—यदि हां, तो इस दशा में सरकार को कितनी सफलता आज तक मिल सकी?

श्री गिरधारी लाल—पुल निर्माण के सम्बन्ध मेंनदी के बहाव को नियंति करने के लिये का आगणन केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही कार्य आरम्भ किया जाने वाला है। पुल तथा उसकी अप्रोच रोड्स के आगणन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं, जिसकी प्राप्त के पश्चात् पुल निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा।

*२५—श्री बलदेव सिंह—इस पुल के निर्माण में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री गिरधारी लाल—इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री बलदेव सिंह—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दरिया के बहाव को नियंत्रित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना रुपया मंजूर किया है ?

श्री गिरधारी लाल—इसके लिये ८०,५२,००० रुपया मंजूर हुआ है।

श्री बलदेव सिंह—इस पूरे पुल के निर्माण में कितना रुपया लगेगा ?

श्री गिरधारी लाल—१,८८,८२,००० रुपया।

श्री बलदेव सिंह—यह अप्रोच रोड और उसका डिजाइन गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के पास कब भेजा गया ?

श्री गिरधारी लाल—यह अलग-अलग भेजे गये हैं। एक ३०-१०-५६ को, दूसरा अप्रोच रोड के सिलसिले में ५-१-५७ को भेजा गया है।

श्री बलदेव सिंह—दरिया को नियंत्रण में लाने के लिये कब से कार्यवाही शुरू होगी ?

श्री गिरधारी लाल—जैसा कहा गया जल्दी ही कार्यवाही शुरू होगी।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में सीमेंट का वितरण

*२६—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २४ जुलाई से २० अगस्त, १९५७ तक नौगढ़ तहसील, जिला बस्ती के तहसीलदार ने कितने बोरे सीमेंट की परमिट लोगों को दी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१,४७३ बोरे।

श्री प्रभुदयाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १,४७३ बोरी सीमेंट जो वितरण किया गया है, उसके वितरण में क्या सीमेंट कमेटी की राय ली गयी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसमें से कुछ सीमेंट तो सीमेंट कमेटी की राय से वितरित की गयी, जिसे बिल्डिंग मैटीरियल डिस्ट्रीव्यूशन एडवाइजरी कमेटी कहते हैं और इसके अतिरिक्त बाकी बोरियां तहसीलदार साहब ने स्वयं अपने अधिकार से वितरित कीं।

श्री प्रभुदयाल—क्या मंत्री जी को यह पता है कि इस सीमेंट का अधिकांश भाग ब्लैक मार्केट में चला गया और जिसकी शिकायत भी माननीय मंत्री जी के पास की गयी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी।

खीरी जिले में धोरहरा टाउन एरिया में टैक्स के असेसमेंट की जांच

*२७—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या धोरहरा टाउन एरिया कमेटी, जिला खीरी ने १९५६-५७ के टैक्स के असेसमेन्ट के कागजात जिलाधीश खीरी के पास मियाद के अन्दर भेज दिये थे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं, मियाद के अन्दर नहीं भेजे थे।

*२८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या १९५६-५७ का टैक्स का असेसमेन्ट वैधानिक रीति से हो रहा है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस बात की जांच हो रही है।

पंचायत मंत्रियों के कार्य के स्थान तथा उनके कैरेक्टर रोल में प्रविष्टियां

*२९—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत मंत्रियों को महीने में कितने दिन अपने क्षेत्रों में कार्य करना चाहिये और कितने दिन पंचायत राज इन्सपेक्टरों के कार्यालय में कागजात को लिखना चाहिये ? क्या इसके बारे में कोई सरकारी निश्चित आदेश है ?

श्री राम स्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सरकारी आदेश नहीं है कि पंचायत मंत्रियों को महीने में कितने दिन अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिये और कितने दिन पंचायत राज इन्स्पेक्टर्स के कार्यालय में काराजात लिखना चाहिये। परन्तु जिलों में यह प्रथा है कि प्रत्येक पंचायत मंत्री को महीने में कम से कम दो बार मीटिंग में पंचायत इन्स्पेक्टर्स के कार्यालयों में उपस्थित होना चाहिये ।

*३०—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत के मंत्रियों को घरों से दूर या नजदीक Post (तैनात) करने का कोई निश्चित सरकारी आदेश है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पंचायतों के सेक्रेटरियों की नियुक्ति तथा सेवा की अन्य शर्तों का विनियमन करने के लिये नियमों के नियम संख्या १६ में इस बात का प्राविधान है कि पंचायत सेक्रेटरी सामान्यतया अपने निवास के जिले में नियुक्त किया जायगा, किन्तु उस न्याय पंचायत के मंडल में नहीं जिसमें उसका निवास हो। वह उस मंडल में निवास करेगा, जिसमें उसकी नियुक्ति हुई हो, किन्तु विशेष परिस्थितियों में उसको इस मंडल में निवास से मुक्ति, जिला पंचायत अधिकारी द्वारा, दी जा सकती है ।

*३१—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या स्वशासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज मंत्रियों का कैरेक्टर रोल केवल पंचायतराज इंस्पेक्टर्स की सिफारिश पर बनता है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में मंत्रियों के कैरेक्टर रोल में पंचायतराज इंस्पेक्टर्स की सिफारिश के साथ संबंधित ग्राम सभाओं की भी सिफारिश सम्मिलित करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। पंचायत मंत्रियों के कैरेक्टर रोल्स केवल पंचायत इंस्पेक्टर्स की सिफारिश पर ही नहीं बनते वरन् उनके कैरेक्टर रोल्स में जो उल्लेख किये जाते हैं, वे प्रधानों की राय लेकर किये जाते हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार के पास किसी जिले से ऐसी शिकायतें आयी हैं कि पंचायत मंत्रियों को ५,६ माह तक पी० आर० आई० के कार्यालय पर कार्य करना पड़ता है ।

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार के पास ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं, लेकिन यदि ऐसा हुआ हो तो हेडक्वार्टर्स पर पांच,६: बार भी जाना चाहिये ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार के पास प्रदेश के कुछ जिलों से ऐसी शिकायतें आयी हैं कि कुछ जिलों में अधिकारियों ने यह नियम बना लिया है कि पंचायत सेक्रेटरियों को घरों से दूर रखा जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी मैंने निवेदन किया कि वह अपनी तहसील में नहीं रह सकते, ऐसे आदेश भेजे गये हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार के पास ऐसी भी शिकायत है कि व्यवहार में इस नियम का बिलकुल पालन नहीं होता कि पंचायत मंत्रियों के कैरेक्टर रोल प्रधानों की राय लेकर बनाय जायें ।

श्री रामस्वरूप यादव---मेरे पास तो ऐसी सूचना नहीं है । सूचना यही है कि प्रधानों की राय से कैरेक्टर रोल में इन्दराज किय जाते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मंत्रियों को अपनी दैनिक डायरी भी रखनी पड़ती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मंत्रियों का ट्रांसफर करने का जिलाधीश को पूरा अधिकार है या डी० पी० ओ० को पूरा अधिकार है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सामान्यतया डी०पी०ओ० को अधिकार है लेकिन कभी-कभी मतभद डी०पी०ओ० और प्रधान में कहीं पर हो जाता है तो उसका जिलाधीश ही अन्तिम निर्णय करते हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार को ऐसी भी सूचना है कि बहुत से जिलों में पंचायत राज मंत्रियों का कैरेक्टर रोल अभी तक बना ही नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी सूचना सरकार के इल्म में नहीं आयी है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अधिक से अधिक कितने दिनों तक पंचायत राज मंत्री एक स्थान पर रह सकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सामान्यतः पंचायत मंत्री के बारे में कोई निश्चय नहीं है कि कितन दिनों तक वह एक स्थान पर रहे । जब तक वह सन्तोषजनक कार्य करेगा, वह वहां रह सकता है ।

एलगिन कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कानपुर का चुनाव तथा आडिट रिपोर्ट

*३२---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एलगिन कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर) का चुनाव कब से नहीं हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---अंतिम चुनाव ३०-९-५७ को हुआ है ।

*३३---श्री भगवती सिंह विशारद (अनुपस्थित)---क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इस संस्था के चुनाव एवं संचालन के सम्बन्ध में इसके सदस्यों ने शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--- ऐसी कोई भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

*३४---श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एलगिन कोआपरेटिव सोसाइटी की आखिरी आडिट रिपोर्ट कब तक की प्राप्य है और उस प्राप्य रिपोर्ट के अनुसार क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अन्तिम आडिट रिपोर्ट १९५५-५६ की है जो कि समिति को ९-८-५७ को प्राप्त हुई है। उसमें उल्लिखित आपत्तियों की पूर्ति अभी तक नहीं हो सकी है । संबंधित सहकारी अधिकारी को समिति का विस्तृत निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है तथा समिति को अपनी नियमावली में आवश्यक संशोधन करने के लिये सलाह दी गयी है ।

भारत सरकार की गृह-व्यवस्था योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में सर्वेक्षण रिपोर्ट

*३५--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार के नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने प्रदेश में घरों की कमी का कोई सर्वेक्षण किया है ? अगर हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ? क्या इस सर्वेक्षण की कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, भारत सरकार द्वारा चलायी गयी गृह व्यवस्था योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश मेंमकान बनवाने की जो स्कीम बनायी गयी उनमें इस रिपोर्ट को ध्यान में रक्खा गया और इसी वजह से ज्यादातर रुपया शहरों में ऋण के रूप में दिया गया और बड़े शहरों में यथा शक्ति मकान बनवाने की व्यवस्था की गयी । रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गयी क्योंकि यह एक सरसरी सर्वेक्षण था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार इस सरसरी सर्वेक्षण की मुख्य-मुख्य महत्व-पूर्ण बातें बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसमें एक तो खास बात यह है कि सन् १९६१ तक उस कमेटी की ऐसी राय है कि लगभग ६ फीसदी मकानों की कमी हो जायगी । शहरों में ही वह कमेटी गयी थी । उसकी व्यवस्था के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो रुपया मिलता ह उसको उधर ही दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार यह विचार कर रही है कि फिर से कोई कमेटी बैठायी जाय जो गांव और शहरों के बारे में पूरी हालत की जानकारी करके मकानों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दे ?

श्री रामस्वरूप यादव---नई कमेटी बनाने के बारे में सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो यह सर्वेक्षण कराया था उसमें ५ साल के अन्दर कितनी आबादी बढ़ी और कितने मकानों की ज्यादा आवश्यकता हुयी और कितने नये मकान बने ?

श्री रामस्वरुप यादव---इस लिस्ट में यह सब लिखा हुआ है, यह काफी बड़ी टेबिल है, उसके पढ़ने में समय लगेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जिस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर सरकार ने अपनी योजना बनायी । उसकी उपयोगिता को देखत हुये उसे प्रकाशित कराने की बात पर सरकार फिर से विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही सब काम चालू है ।

गांवों में कच्ची सड़कें बनवाने की मांग

*३६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण किया है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव के लिये कम से कम अच्छी-कच्ची सड़कों का प्रबन्ध करन क लिय कितन मील ऐसी कच्ची सड़कें बनानी होंगी और उनमें से कितनी पिछले दस वर्षों में १६ अगस्त, १९४७ से अब तक बन चुकी हैं ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं । प्रदेश में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । हां, निर्माण विभाग ने सन् १९५२ ई० तक ४५८२ मील सड़कें बनवा कर स्थानीय निकायों को प्रबन्ध व रखरखाव के लिए दी ह ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया है और गांवों के विकास के लिये कच्ची सड़कों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---इस प्रश्न का संबंध बहुत कुछ प्लानिंग से है । श्रमदान के जरिये से गांवों में आजकल कच्ची सड़कें बन रही हैं । जहां तक पी० डब्ल्यू० डी० का संबंध है, हिन्दोस्तान भर के इंजीनीयर्स की एक कान्फ्रेंस सन् ५४ में की थी जिसमें स्टार-ग्रिड फारमूला तय किया गया, जिसके मुताबिक हर नागरिक को ज्यादा से ज्यादा ५ मील के फासले पर एक सड़क मिलनी चाहिये । इसके हिसाब से निकाला गया है कि हमारे प्रान्त में लगभग ४२,००० मील सड़कों की जरूरत होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस ४२,००० मील में कितनी अब तक बन चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल---यह प्लानिंग और श्रमदान का कार्य है । उन्होंने बहुत कुछ सड़कें बनायी हैं । पी० डब्ल्यू० डी० ने शुरू-शुरू में ४५८२ मील सड़कें बनायीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---सन् १९५२ से लेकर अब तक कुछ और भी कच्ची सड़कें बनाई गई हैं क्या ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री गिरधारीलाल---इस विभाग द्वारा नहीं बनायी गयी हैं ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतावेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार ऐन्ड ग्रिड फार्मूले से कितनी सड़कें पूरी हो जावेंगी और कितनी कमी बाकी रह जायगी ?

श्री गिरधारीलाल---जहां तक पक्की सड़कों का सवाल है, उसमें अभी तक ११,५४३ मील बनी हैं, इस योजना में २,६८५ मील सड़कें और बनेंगी । जरूरत १६,४८४ मील की है । यह सब पक्की सड़कों के बारे में है । कच्ची सड़कों के काम को तो प्लानिंग, श्रमदान तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व लोकल बाडीज कर रही हैं ।

*३७---श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

मैनपुरी जिले के नगलाचैनी ग्राम और कुरावली के बीच गाड़ी चलाने के लिए मार्ग की आवश्यकता

*३८---श्री गनेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार ग्राम नगलाचैनी, तहसील मैनपुरी, जिला मैनपुरी तथा उक्त जिले व तहसील के टाउन एरिया कुरावली के बीच बैलगाड़ी, मोटर, तांगा आदि जाने के लिये मार्ग निकालने की किसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---ग्राम घनी से टाउन एरिया कुरावली तक बैलगाड़ी, तांगा आदि जाने का मार्ग जनवरी, १९५७ ई० में श्रमदान द्वारा बनाया जा चुका है । यह मार्ग घनी से पनवाह ग्राम तक तथा पनवाह ग्राम से जी० टी० रोड तक निर्मित कराया गया है । यह जी० टी० रोड कस्बा कुरावली में होकर जाती है । उक्त मार्ग पर इस समय भी कोई रुकावट बैलगाड़ी, तांगा व इक्का आदि के आने-जाने में नहीं है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---अध्यक्ष महोदय, हमने मनुवा नगला नहीं पूछा है, नगला घनी है । जो उत्तर दिया गया है वह दूसरी जगह का दिया है, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब मंत्री जी बाद में भेजेंगे ।

मैनपुरी में जजों की अदालतों से मुकदमों के फैसले

*३६—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में १६५४ व १६५५ में सेशन्स जज व सब-जज व ऐडीशनल जज की अदालत से सेशन के कितने केस छूटे हैं और कितनों में सजायें हुई हैं और १६५६ से अगस्त, १६५७ तक उक्त अदालतों से सेशन के कितने केस छूटे हैं और कितनों में सजायें हुई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५१ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी—सूचना से मालूम होता है कि सेशन से केस बहुत छूट गये हैं तो क्या सरकार जुडिशियल मजिस्ट्रेटों से पूछने की कृपा करेगी कि क्यों ऐसे केस सेशन को कमिट किये गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहुत कुछ कानून का प्रश्न है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार काम करते हैं और उन्हें करना चाहिये। मुकदमें छूट भी जाते हैं और बहुतों में सजा भी हो जाती है। इसलिये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से पूछने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

*४०—चौधरी खजान सिंह (जिला उन्नाव)—[३१ दिसम्बर, १६५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१३ जनवरी, १६५८ के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया है।]

खाद्यान्नों में बढ़ती महंगाई

*४२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को ज्ञात है कि गेहूं, उर्द और अन्य अनाज के भाव दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या विशेष कारण हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—चावल के अतिरिक्त दूसरे खाद्यान्नों के भाव इस समय बढ़ते प्रतीत नहीं होते। गेहूं, चना, जौ तथा उर्द के भावों में इधर कुछ कमी हो गई है। चावल के भाव में वृद्धि फसल को हानि तथा बंधन-मुक्त व्यापार के फलस्वरूप है।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनाजों के भावों के सम्बन्ध में जो घटाबढ़ी हो रही है उसे देखते हुये सरकार प्राइस स्टैबिलाइजेशन योजना के प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह आवश्यकता पड़ने पर निर्भर करता है। यदि आवश्यकता हुई तो किसी भी इस प्रकार के मेजर से काम लिया जा सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गेहूं, चना और उड़द के वर्तमान भाव क्या हैं और एक महीने के पहले के और वर्तमान भावों में क्या अन्तर है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे पास अक्तूबर और नवम्बर सन् १६५७ के भाव हैं। अक्तूबर में गेहूं का भाव खुर्जे में १६.६३ रुपये था जिसे सूबे का भाव कह सकते हैं। नवम्बर में १६.५१ रुपये हुआ। चने का भाव अक्तूबर में ११.६३ रुपये मन था और अब ११.६२ रुपये है। जौ का भाव ११.५८ था और नवम्बर में १०.६७ है। उड़द का भाव अक्तूबर में २०.३१ रुपये था और अब नवम्बर में १६.४१ रुपये है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वी जिलों में अनाजों के भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह पूरे प्रान्त का सवाल है, अलग-अलग क्षेत्रों का प्रश्न करने का सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या अशोक मेहता कमेटी ने अनाज के भावों को ठीक रखने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर अमल करने जा रही है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी तो वे केन्द्रीय सरकार को दिये हैं और जैसा विचार किया जायगा वैसा किया जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन भावों की घटा बढ़ी में ट्रांसपोर्ट की समस्या भी बाधक हो रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। भाव ज्यादातर घटे हैं बढ़े नहीं हैं, सिवाय चावल के। इसलिये किसी समस्या का प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

*४३---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---[२६ दिसम्बर, १९५७ में प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया है ।]

गोंडा जिले में सरजू नदी पर पुल-निर्माण योजना

*४४---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गोंडा जिले में सरजू नदी पर पुल बनाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया पुल के सम्बन्ध में पूरा विवरण मेज पर रखेगी ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग-जी हां ।

द्वितीय भाग---बाराबंकी-गोंडा सड़क के ३६वें मील में इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव है तथा इसकी अनुमानित लागत लगभग १५ लाख रुपये होगी ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ से सरजू पुल का निर्माण शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं, अभी शुरू नहीं होगा।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बतायेगी कि इस पुल का निर्माण किस सन् से शुरू होगा ?

श्री गिरधारीलाल---इसी योजना काल में शुरू हो जायगा।

*४५---श्री गंगाप्रसाद---[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६-४७---श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में विसुही नदी पर सिंगार घाट के पुल के निर्माण की मांग तथा गौराचौकी-मसकनवां सड़क की मरम्मत

*४८---श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला गोंडा में सिंगार घाट का पुल जो विसुही नदी पर गौरा चौकी से मसकनवां जाने वाली सड़क पर है बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरुप यादव---यह पुल जिला बोर्ड गोंडा का है तथा इसके बनवाने की जिम्मेदरी उसी की है । उक्त बोर्ड धनाभाव के कारण इस पुल को बनवाने में असमर्थ है

*४९—श्री रघुरतन तेजबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सड़क पर नयी मिट्टी पटाने तथा नयी पुलिया निर्माण करने में १९५४–५५, १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में क्या व्यय हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना नीचे तालिका में दी है :—

तालिका

वर्ष	मिट्टी पटाने पर व्यय		पुलिया निर्माण तथा सड़क की मरम्मत कराने पर व्यय	
	रु०	आ०	रु०	आ०
१९५४–५५ ..	४,३३२	१०	४,०७०	१२
१९५५–५६ ..	६,९३५	०	३,७०६	०
१९५६–५७ ..	१,७२०	०	३,९१४	३

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस पुल को बनवाने के लिये किसी अनुदान या ऋण की मांग की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय तो जानकारी नहीं है लेकिन पुल के लिये कोई अलग अनुदान जिला बोर्ड को नहीं दिया जाता।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी डल चुकी है और अप्रोच बन चुके हैं, केवल मेन ब्रिज बनना बाकी है, अगर वह न बनाया गया तो २४,६०० रुपया जो उस पर खर्च हुआ है, वह निरर्थक जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह तो राय का सवाल है कि अगर पुल न बना तो सारा रुपया निरर्थक जायगा या नहीं। लेकिन इस समय जिला बोर्ड गोंडा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये इस समय वह पुल नहीं बनवा सकता।

*५०–५१–श्री मोतीलाल अवस्थी—[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[२ जनवरी, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पूर्वी जिलों में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने का आदेश

*५३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या [खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वीय उत्तर प्रदेश के जिलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने का कोई नया आदेश जून मास में जिलाधिकारियों के पास गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है। बाद में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसकी भी एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५२–६५५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नयी दूकानों को खोलने के जो आदेश दिये गये हैं, क्या उनके कारण इस वक्त दो तरह की दूकानें चल रही हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—दूकानें तो दो तरह की नहीं हैं। दूकानें बड़ी हैं, जो बड़ी हैं, वही हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या अन्न मंत्री जो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ओर से जो दूकानें देहात में खोली गयी हैं, वे दो प्रकार की हैं? एक तो वे जिनके किराये वगैरह का खर्चा सप्लाई विभाग देता है। दूसरी ऐसी दूकानें हैं जिन पर भाव महंगा है, दूकानदार अपने तईं ले जाते हैं और भाव बढ़ा चढ़ा कर बेंचते हैं, उनके भाव पर सप्लाई विभाग का कोई नियंत्रण नहीं रहता। गल्ले वाले जो दाम लिख कर दे देते हैं, उसी को सप्लाई आफीसर मंजूर कर लेता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, यदि यह सूचना है तो मैं इसका पता लगाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जून मास में जो सर्क्यूलर गया था उसमें केवल ३० मन बेंचे जाने का आदेश दिया गया था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो आवश्यकता के अनुसार था। कुछ आवश्यकता, कुछ स्टेट के स्टाक्स तथा कुछ भविष्य की चिन्ता, इसके अतिरिक्त यह भी एक कारण था कि स्थान-स्थान पर पहले जो अन्न की मांग थी वह उतनी मांग न थी। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए यह आदेश दिये गये थे।

राज्य में नवीन रेलवे लाइनें बिछाने के लिए संघ सरकार को कथित सिफारिश

*५४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने संघ सरकार के पास प्रदेश के भीतर छोटी एवं बड़ी रेलवे लाइन बिछाने की सिफारिश इस वर्ष की है? यदि हां, तो क्या सरकार उस सिफारिश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी विचाराधीन योजना है जिसके अनुसार इस प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां आवागमन के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं, छोटी और बड़ी रेलवे लाइनें बिछायी जायं?

(प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण उत्तर नहीं दिया गया।)

आजमगढ़ जिले में दुबारी-मधुवन सड़क पर निर्मित पुल का क्षतिग्रस्त होना

*५५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सहायता से दुबारी-मधुवन रोड, जिला आजमगढ़ पर, सन् १९५५ में बने हुए बड़े पुल के सन् १९५६ की बाढ़ में ही धराशायी हो जाने का क्या कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मधुबन-दुबारी सड़क पर जिस पुल का निर्माण हुआ था, उसमें केवल दो ही ताख बने थे यद्यपि आवश्यकता कम से कम ६ ताख वाले पुल की थी। सन् १९५६ में सरजू नदी में जो बाढ़ आयी उसकी एक छोर भीषण धारा बन गयी और पूरे वेग से एक ताख की ओर बहने के कारण वह ताख क्षतिग्रस्त हो गया।

कबाल नगरों में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए केन्द्र से मिलने वाली सहायता

*५६—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि केंद्रीय सरकार ने राज्य के पांच महानगरों में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या योजना तैयार की है?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री सैयद अली जहीर---केंद्रीय सरकार ने राज्य के कवाल नगरों के लिये कोई योजना नहीं बनायी है । उनकी slum clearance scheme के अन्तर्गत राज्य सरकार ने ५ कवाल नगरों के स्थानीय निकायों द्वारा बनायी गयी योजनायें भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी हैं ।

*५७---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कवाल नगरों में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ धन देने जा रही है ? यदि हां, तो कितना?

श्री सैयद अली जहीर---केंद्रीय सरकार से इस योजना के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगभग १.४७ करोड़ रुपये सहायता के रूप में प्राप्त होंगे । यह भारत सरकार से अनुमोदित होना बाकी है ।

*५८-५९---**श्री शिवराज बहादुर** (जिला बरेली)---[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ जिले की गांव पंचायत मऊ के प्रधान के विरुद्ध कथित कानूनी कार्यवाही

*६०---**श्री रामशरण यादव**---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायत मऊ, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के प्रधान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के संबंध में अब तक क्या हुआ है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---प्रधान के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चल रही है ।

स्थानीय निकायों के अधिकारियों की रिटायरमेण्ट होने की अवस्था

*६१---**श्री गोविन्द नारायण तिवारी**---क्या सरकार स्थानीय निकायों के अधिकारियों की रिटायरमेण्ट की उम्र ६० वर्ष निर्धारित करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सरकार ने निर्णय किया है कि स्थानीय निकायों के अधिकारियो का रिटायर मेण्ट ५८ साल की उम्र में हो और दो साल तक विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार एक्सटेन्शन देने का प्राविधान रहे ।

बलिया जिले में सस्ते अनाज की दुकानें कम होने की शिकायत

*६२---**श्री गौरीशंकर राय**---क्या बलिया के जिलाधीश ने सरकार को लिखा है कि बलिया को दिया हुआ सस्ता गल्ला और सस्ते गल्ले की दुकानें अपर्याप्त हैं ? अगर हां, तो सरकार इसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, बलिया जिले में पर्याप्त संख्या में सस्ते गल्ले की दूकानें बढ़ा दी गयी हैं तथा उनको पर्याप्त मात्रा में गल्ला देने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

बलिया नगरपालिका की अपूर्ण ड्रेनेज स्कीम

*६३---**श्री गौरीशंकर राय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया नगरपालिका में ड्रेनेज स्कीम पूरी हो गयी है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---बलिया नगरपालिका की ड्रेनेज स्कीम अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि नगरपालिका अभी आवश्यक धन का प्रबन्ध नहीं कर सकी है । इस सम्पूर्ण योजना का अनुमानित व्यय १०.४६ लाख रुपया है जिसमें से सरकार ने १.७५ लाख रु० अनुदान के रूप में और २.०० (दो) लाख रुपया ऋण के रूप में दिया है । यह धन व्यय हो चुका है और सम्पूर्ण योजना का १/३ से कुछ अधिक भाग समाप्त हो चुका है ।

मैनपुरी जिले में बनने वाली सड़कों के संबंध में जानकारी

*६४—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला मैनपुरी में कितनी नयी सड़कें बनाने की योजना है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सड़कें कहां कहां और कब तक बनेंगी?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—कोई नयी सड़क बनाने की योजना नहीं है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभाओं के चुनाव में व्यय

*६५—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ या १९५६ में जो ग्राम सभाओं के चुनाव हुए थे, उनमें सरकार का क्या व्यय हुआ था?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—१९५५ या १९५६ में जो ग्राम सभाओं के चुनाव हुए थे उनमें सरकार का लगभग ३,०१,५५० रुपया व्यय हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ व्ययों का हिसाब होना बाकी है।

*६६-६७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

नगरपालिकाओं के अध्यक्षों द्वारा अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में जानकारी

*६८—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार द्वारा ऐसी आज्ञा जारी हुई कि प्रदेश की नगरपालिका के अध्यक्षों के लिए म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट की दफा ७० के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्तियों के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

इलाहाबाद नगरपालिका को ऋण

*६९—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका को सन् १९५३ से १९५६ तक कितना ऋण दिया गया है और उसमें कितना ऋण चुकता हो चुका है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इलाहाबाद नगरपालिका को सन् १९५३ से १९५६ तक ३९,०३,८०० रुपया ऋण के रूप में दिया गया है तथा उस में ६८,५१७ रुपया ४ आना ऋण नगरपालिका ने चुकता कर दिया है।

मुरादाबाद जिलान्तर्गत फौजदारी के विचाराधीन मुकदमे

*७०—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में अलग-अलग न्यायालयों में कितने-कितने फौजदारी मुकदमें १९५४, ५५, ५६ और ५७ ई० के विचाराधीन हैं?

श्री सैयद अली जहीर—इस विषय में एक तालिका सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५६ पर)

*७१—श्री भगवती सिंह विशारद—[१० दिसम्बर, १९५७ को प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

१७ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न ४५ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब माननीय न्याय मन्त्री अपने एक प्रश्न के पूर्वोत्तर में सुधार उपस्थित करेंगे।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, १७ सितम्बर, १९५७ को तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के सम्बन्ध में श्री धनुषधारी पांडेय, एम० एल० ए०, ने एक अनुपूरक प्रश्न किया था कि "क्या न्याय मन्त्री जी को ज्ञात है कि बस्ती जिले के विधायकों ने माननीय मन्त्री जी के पास एक आवेदन-पत्र दिया है कि खलीलाबाद के सेन्ट्रल स्थान होने के कारण और वहां से ट्रांस्पोर्ट की दिक्कत को देखते हुए खलीलाबाद ही में मुन्सफी कर दी जाय?" उस समय उक्त प्रश्न का उत्तर यह दिया गया था कि "खलीलाबाद ही में वहां की मुंसफी है"। किन्तु वस्तुतः खलीलाबाद मुन्सफी बस्ती में स्थित है। उसे खलीलाबाद में करने के लिए वहां के विधायकों द्वारा प्रेषित एक आवेदन-पत्र अवश्य आया है। अतः अनुपूरक प्रश्न का शुद्ध उत्तर यह है कि "जी हां, आवेदन-पत्र आया है"।

पडरौना चीनी मिल द्वारा पडरौना नगर को बिजली न देने के सबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री रामायण राय और श्री ब्रजनारायण तिवारी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है जो इस प्रकार है :—

"पडरौना नगर (देवरिया) में पडरौना चीनी मिल द्वारा नगर को बिजली देना बंद कर देने के कारण लगभग एक सप्ताह से कृष्णपक्ष होने के कारण अन्धेरा अत्यधिक बढ़ गया है तथा नागरिकों का जानमाल खतरे में पड़ गया है। जनता को इस संकट से बचाने के प्रयत्न में श्री जगन्नाथ मल्ल, भूतपूर्व एम० एल० ए० तथा चीफ व्हिप, विरोधी दल एवं चीनी मिल मजदूर संघ के मन्त्री सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध ढंग से गिरफ्तार कर लिये गये हैं। उनकी गिरफ्तारी १५ तारीख को सायंकाल की गयी है। इससे जनता में असन्तोष पैदा हो गया है तथा परिस्थिति विषम हो गयी है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस अत्यन्त आवश्यक तथा निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन आज का कार्य स्थगित करता है"।

इसमें सिर्फ गिरफ्तारी जो कि कुछ व्यक्तियों और एक माननीय सदस्य की हुई, उसके ऊपर यह कामरोको प्रस्ताव आया है। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि क्यों गिरफ्तारी की गयी और क्या हुआ जो उनके ऊपर अवैध ढंग से चार्ज लगाया गया है। तो मैं ऐसे अनिश्चित प्रश्न के लिए इजाजत नहीं देता हूं। मैं समझता हूं कि यह अवैध है।

मोदीनगर टेक्सटाइल मिल के मजदूरों द्वारा आन्दोलन के सिलसिले में प्रजा समाजवादी दल के नेताओं की गिरफ्तारी के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी का है जो इस प्रकार है :—

"मोदीनगर (मेरठ) में उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री श्री चन्द्रशेखर सिंह तथा उप मन्त्री श्री ओम् प्रकाश श्रीवास्तव परसों १५ दिसम्बर, स

[श्री अध्यक्ष]

१९५७ ई० (रविवार) को गिरफ्तार कर लिये गये। यह गिरफ्तारी मोदीनगर टेक्सटाइल मिल के मजदूरों को साधारण अधिकारों से वंचित किये जाने से उत्पन्न प्रतिरोध के कारण हुई है। मजदूर तथा मजदूर नेता अपने सामान्य अधिकारों की रक्षा के प्रयत्न में लगभग ४०० की संख्या में गिरफ्तार किये गये हैं, इसमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित हैं। सभा आदि करने पर रोक लगा कर प्रत्येक प्रकार की अवैध विधियों से मजदूरों के इस आन्दोलन को कुचलने की चेष्टा की जा रही है। पुलिस मजदूरों के घरों में घुस कर कपड़े और सामान निकाल लेती है। साथ ही उनके स्त्री, बच्चों, को मारती पीटती है तथा अपमानित करती है। अतः इस सार्वजनिक महत्व के आवश्यक तथा निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसके पहले ११ तारीख को इस विषय में प्रस्ताव आया था और उसके बाद केवल एक दो गिरफ्तारी और हुई, उस वक्त मैंने उसको नामंजूर किया था, लेकिन अब फिर से उसको उठाना मैं समझता हूं अनुचित होगा, और न अब उसकी इतनी अर्जेंसी ही रहती है। ऐसे तो वहां भी झगड़ा चल रहा है, रोज ही गिरफ्तारी होंगी। तो हर गिरफ्तारी पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—हमने इस प्रस्ताव द्वारा आप का ध्यान दूसरे प्रश्न की ओर दिलाया है और मैं समझता हूं कि दफा १४४ लगाकर हमारे साधनों को और हमारी ऐक्टिविटी को बन्द कर दिया गया है, इस तरफ आप का ध्यान इस में दिलाया गया है।

श्री अध्यक्ष—ऐडजर्नमेंट मोशन इस वजह से आया है क्योंकि वहां हड़ताल चल रही है। वहां शान्ति कायम करने के लिए दफा १४४ लगी है, यह स्थानीय विषय है।

श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)—वहां १४४ शान्ति स्थापित करने के लिए लगी है या शांन्ति भंग करने के लिए?

श्री अध्यक्ष—यह कोई सवाल नहीं है।

इटावा जिले में विधान सभा के सदस्य, श्री गजेन्द्रसिंह के घर में डाका पड़ने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री भुवनेश भूषण जी ने भेजा है कि इटावा जिला में गजेन्द्र सिंह जी, एम० एल० ए० के घर दिनांक १३-१४ की रात्रि में डाका पड़ा तथा उनकी धर्मपत्नी को डाकुओं ने जूतों से मारा और यह भी पता चला है कि डाकू श्री गजेन्द्र सिंह जी को जान से मारने आये थे। इस पर पुलिस ने उनकी रिपोर्ट २४ घंटे के बाद लिखी। ऐसी घटनायें आये दिन नित्य ही घटती रहती हैं, जिले के निवासी अपने को सुरक्षित नहीं समझते, जनता का विश्वास पुलिस पर से हट गया है, अतः इस सार्वजनिक महत्व के आवश्यक निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिए यह सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

यह प्रस्ताव कल मेरे पास भेजा था, देर में भेजा था और कल सवेरे मेरे पास इसी तरह का एक तार श्री गजेन्द्र सिंह जी का खुद आया था, मैंने उसको माननीय गृह मन्त्री जी के पास भेज दिया था, कि तहकीकात करके सदन को सूचना वगैरह, अगर काम रोको प्रस्ताव वगैरह आये तो दे दें। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय तो नहीं है लेकिन अगर माननीय गृह मन्त्री जी ने कोई सूचना हासिल की हो तो वह सदन को दे दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, आपका भेजा हुआ तार मुझे कल मिला था और माननीय गजेन्द्र सिंह जी का भी एक पत्र मुझे कल शाम मिला था। उन्होंने लिखा था कि मैं तो इटावा जा रहा हूं क्योंकि मुझे खबर लगी है कि इस तरह की कोई घटना वहां घटी है और इसकी सूचना मैं आप को दे रहा हूं। मैंने रिपोर्ट मंगायी है कि वह क्या घटना है और उस पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है। वह रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं पहुंच पायी है, किसी भी क्षण आ जायगी, ऐसा सोचता हूं।

श्री अध्यक्ष---जिस समय आप के पास रिपोर्ट आ जाय तो आप सदन को कृपा करके उसकी सूचना दे दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, यह किस तारीख की घटना है?

श्री अध्यक्ष---१२ तारीख की।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, १२ तारीख की यह घटना है और आज १७ तारीख है और अभी तक रिपोर्ट मन्त्री जी के पास नहीं आयी, यह उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन का नमूना है। क्यों इतनी देर हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---सरकार के पास सब बातों की रिपोर्टें नहीं आतीं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---मान्यवर, इस पर विचार होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष---अभी मन्त्री जी सूचना तो दें।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---सूचना आने पर इस पर विचार होगा?

श्री अध्यक्ष---क्या सूचना आती है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

प्रदेश की सूती मिलों के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब माननीय श्रम मन्त्री जी एक वक्तव्य देंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मान्यवर, इस पर विवाद भी तो होगा, आपने कहा था कि माननीय श्रम मन्त्री जी कोई ऐसी बात कहेंगे तो . . .

श्री अध्यक्ष---वह तो आप वक्तव्य के बाद सवाल करें। यह बात निश्चित नहीं थी कि उस पर वाद-विवाद होगा ही।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक ११ दिसम्बर, १९५७ को काम रोको प्रस्ताव पर बहस के दौरान में कुछ माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रकट की थी कि मैं सदन के समक्ष कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूंगा। मैंने यह आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य मंगलवार को दूंगा। उसी के अनुसार मैं आपकी आज्ञा से यह वक्तव्य दे रहा हूं।

सम्भवत: माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि आजकल कानपुर के सूती वस्त्र उद्योगों में अधिक माल एकत्र हो जाने के कारण एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। ३० नवम्बर, १९५७ तक की कानपुर की विभिन्न मिलों की स्थिति इस प्रकार है ---

जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स---में ८ हजार ३ सौ गांठें इकट्ठा हैं। उनकी कीमत लगभग ७४ लाख ७० हजार रुपया है और ४ मास का उत्पादन है। एल्गिन मिल्स कम्पनी, लिमिटेड, में ३ हजार ३७२ गांठें जमा हैं जिनका मूल्य २८ लाख, ९२ हजार,

[आचार्य जुगल किशोर]

८०० रुपया होता है। यह ४५ दिन का उत्पादन है। लक्ष्मी रतन काटनमिल्स कं०, लिमिटेड में ९ हजार ९ सौ ९१ गांठें जमा हैं जिनकी कीमत ७८ लाख, ३७ हजार ६२ रुपये हैं। यह १४४ दिन का माल इकट्ठा है। न्यू विक्टोरिया मिल्स कं०, लिमिटेड में १३ हजार ३ सौ २३ गांठें हैं जिनका मूल्य ९७ लाख, ३२ हजार रुपया है और १३३ दिन का उत्पदान है। एथर्टन वेस्ट ऐंड कम्पनी, लिमिटेड में ५ हजार ७ सौ ४३ गांठें हैं और उनकी कीमत ४८ लाख ७१ हजार २ सौ ३२ रु० है। यह लगभग पांच मास का उत्पादन है। म्योर मिल्स कम्पनी, लिमिटेड में १४ हजार ४ सौ ९१ गांठें हैं जिनकी कीमत १ करोड़ ७५ लाख ६९ हजार ५ सौ ५६ रु० है। यह ७० गांठें प्रतिदिन के हिसाब से होती हैं। कानपुर काटन मिल्स में १० हजार ३ सौ ९३ गांठें हैं और इनकी कीमत ७७ लाख, ९५ हजार रु० है। यह सात मास का उत्पादन है। कानपुर टेक्सटाइल्स में ३हजार ७० गांठें हैं जिनकी कीमत २४ लाख, ३२हजार रु० है। यह ६९ दिन का उत्पादन है। स्वदेशी काटन मिल्स में १२ हजार ७ सौ ७९ गांठें हैं। इनकी कीमत १ करोड़, १० लाख रुपया है। यह ६० दिन का उत्पादन है।

ऐसी परिस्थिति में कुछ मिलें काम चालू रखने में असमर्थ हैं। विशेषकर कानपुर काटन मिल्स जहां बैठकी हो चुकी है तथा एथर्टन वेस्ट जिसने २ जनवरी से बन्द होने की सूचना दी है। कानपुर काटन मिल्स ने तो पहली मई से ही मिल बन्द करने के लिए नोटिस दे दिया है। काम में परता न खाना, पुरानी मशीनों, आर्थिक कठिनाइयों तथा लगातार हानि का होना, प्रबन्धकों द्वारा मिल बन्द करने के कारण बताये गये थे। राज्य तथा केन्द्र की सरकारों के प्रयत्नों के फलस्वरूप मिल प्रबन्धकों ने जुलाई, १९५७ को उक्त बन्दी का नोटिस वापस लेना स्वीकार कर लिया था। लाभकर रीति से काम चालू रखने के लिए अनावश्यक मजदूरों को कम करने का प्रश्न विवादग्रस्त रहा। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का यह विचार था कि यदि मिल प्रबन्धक श्रमिकों से किसी स्वीकृत धनराशि का हर्जाना दे कर त्यागपत्र मांगेंगे तो उचित संख्या में श्रमिक त्याग पत्र दे देंगे, किन्तु यह आशा पूरी न हो पायी तथा ४५५ श्रमिकों के स्थान पर केवल १७९ व्यक्तियों के त्यागपत्र ही उन विभागों से प्राप्त हो सके, जहां मजदूरों की संख्या अधिक थी। इन स्थानों की पूर्ति के लिए भी बाद में विवाद उठाये गये। प्रबन्धकों को लगातार हानि हुई, तथा कपड़े के स्टाक बढ़ते रहने के कारण इनकी कठिनाइयां और बढ़ गयीं जिसके फलस्वरूप प्रबन्धकों ने २ दिसम्बर, १९५७ से अनिश्चित काल के लिये बैठकी कर दी। इस समय भी अतिरिक्त (Surplus) श्रमिकों के प्रश्न को सुलझाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड---म्योर मिल्स अब चल रही है, इसके पूर्व सर्वश्री सिंघानिया, बागला लोगों के मध्य आपसी झगड़ों के कारण मिल को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जिसके फलस्वरूप जब तब श्रमिकों को बैठकी पर भेजना पड़ा। मुख्य मंत्री जी के बीच बिचाव से मिल को चलाने के लिये एक मार्ग निकला, जिसके अनुसार जे० के० कारपोरेशन ने मिल को २ नवम्बर से चालू किया लेकिन जे० के० कारपोरेशन ने पिछली बकाया मजदूरी तथा अन्य देय धनराशि को, जब कि मिल का प्रबन्ध बागला के हाथ में था, देने में अपनी असमर्थता प्रकट की। श्रमायुक्त ने मजदूरी भुगतान कानून के अन्तर्गत श्रमिकों को वेतन दिलाने के मुकदमें चलाये, लेकिन नवम्बर के अन्त में दो श्रमिकों ने मिल मैनेजर के कार्यालय के समक्ष अनशन आरम्भ कर दिया। उन्हें १--२ दिसम्बर, १९५७ की रात्रि में जेल पहुंचाना पड़ा। २ दिसम्बर को इन भूख हड़ताल करने वाले श्रमिकों की मृत्यु की झूठी अफवाहों के कारण अवैधानिक भीतर रहो हड़ताल (Stay in strike) हो गई। लगभग ५००--६०० श्रमिक मिल में रहें और शेष बाहर निकल आये। जब श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया गया कि भूख हड़ताल करने वाले श्रमिक पूर्णतया स्वस्थ हैं, तब उन्होंने जे० के० कारपोरेशन से अपने बकाया वेतन देने की मांग पर जोर दिया। जे० के० कारपोरेशन ने उस समय तक जब तक कि मिल की आर्थिक स्थिति ठीक न हो जाय, इस

मांग को पूरा करने में असमर्थता प्रकट की। हड़ताल जारी रही और मिल के प्रबन्धकों ने मिल में ८ दिसम्बर १९५७ से तालाबन्दी कर दी। सरकार की विशेष दिलचस्पी व श्रमायुक्त के विशेष परिश्रम के फलस्वरूप १३ दिसम्बर, १९५७ से तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है और कतिपय श्रमिक नेताओं के विरोध करने के बावजूद भी श्रमिक काम पर वापस चले गये हैं। मिल में अब कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि वहां इस समय ५,२७५ मजदूर काम कर रहे हैं। १४ तारीख को ३,०८८ श्रमिक काम पर थे और बाद में २,००० श्रमिक और काम पर आ गये।

एथर्टन वेस्ट एण्ड कम्पनी--मिल मालिकों का कहना है कि कपड़े के स्टाक का बढ़ जाना व लगातार हानि व आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे इस मिल को चालू करने में असमर्थ हैं और उन्होंने मिल को २ जनवरी, १९५८ से बन्द करने का नोटिस दे दिया है।

विक्रम काटन मिल्स लिमिटेड, लखनऊ--यह मिल सन् १९५४ से बन्द पड़ी थी, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत और स्वीकृत की गई एक योजना के अनुसार मिल सितम्बर, सन् १९५६, से फिर चालू हुई। मिल के वर्तमान प्रबन्धकों ने यह नोटिस दिया है कि लगातार हानि होने के कारण वे मिल को २१ दिसम्बर, १९५७ से बन्द कर देंगे। लगातार हानि व कपड़े के व्यापार में मंदी, पुरानी मशीनें और काम में परता न पड़ना, इसके कारण बताये गये हैं। यह मिल किस तरह से चालू रह सके, यह प्रश्न विचाराधीन है।

सरकार स्थिति को सुधारने के लिये यथा सम्भव प्रयत्न कर रही है। देश का सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहा है और भारत सरकार इस मामले से भली भांति अवगत है। माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है, भारत सरकार ने भी इसलिये इस सम्बन्ध में उत्पादन कर (Excise duty) आदि में रियायत देने के लिये घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने १४ दिसम्बर से अपना बिक्री-कर (Sales Tax) भी सूती कपड़े पर से हटा लिया है। ऐसी आशा है कि इससे सूती वस्त्र उद्योग की दिक्कतें कुछ हद तक दूर हो जायंगी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार को उद्योग और श्रमिकों की कठिनाइयों से पूरी सहानुभूति है और सरकार किसी प्रकार की भी सम्भव सहायता देने के लिये प्रयास कर रही है और करती रहेगी। हम सदा ही प्रयत्नशील हैं कि श्रमिकों को बेकारी से उत्पन्न संकटों से बचाया जाय। मैं सभी वर्गों से अपील करूंगा कि शान्तिपूर्ण वातावरण की व्यवस्था करने में सरकार को सहयोग दे कर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात न की जाय जिससे इन मामलों को सुलझाने में दिक्कत पड़े।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने यहां एक तफसीली बयान देने की कृपा की, किन्तु यह मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके बयान से यह प्रकट होता है कि यह प्रश्न एक सार्वजनिक हित का है और बड़े महत्व का है। एथर्टन वेस्ट मिल ने नोटिस दे दिया है कि वे २ जनवरी से अपना कारखाना बन्द कर देंगे और लखनऊ विक्रम काटन मिल में भी इस बात की संभावना है कि वह बन्द हो जाय। तो मैं निवेदन यह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपना विचार प्रकट करने के लिये, कोई राय तो हम नहीं दे सकते, किसी दिन सदन का दो घंटा समय नियत किया जाय और मुझे आशा है कि माननीय श्रम मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति न होगी।

आचार्य जुगल किशोर--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ परिस्थिति है उसका तो मैंने जिक्र कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि वाद-विवाद से कौन सी नई चीज मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रख सकता हूं जिससे उनको.....

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य आपके सामने सुझाव रखना चाहते हैं, उसके लिये वे २ घंटे का समय चाहते हैं ।

आचार्य जुगल किशोर---अच्छी बात है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इसमें मेरा सुझाव यह है कि यह जो २ घंटे की बहस होगी तो यह किस दिन होगी ? ४ दिन बाद अगर बहस होगी तो इतनी विलम्ब से यह बहस करना व्यर्थ होगा । जो रपट माननीय मंत्री को उनके कर्मचारियों ने दी है वह एक तरफा है । काटन मिल के बारे में उन्होंने यह कहा कि १७९ इस्तीफे आये, मैं आपको बतलाता हूं कि ३०० इस्तीफे थे जिसमें १८० स्वीकार किये गये ।

श्री अध्यक्ष---यह दूसरी बात आप कह रहे हैं ।

श्री राजनारायण---मिल मालिकों का एक पक्ष रक्खा गया है सरकार की ओर से । अगर बहस हो तो आज ही हो जाय । मैं परसों कानपुर गया था और वहां हमारी मीटिंग में....

श्री अध्यक्ष---आप शीघ्र ही तो चाहते हैं .....

श्री राजनारायण---मैं यह बतलाना चाहता हूं कि १४ तारीख को ३ हजार मजदूर गये थे.....

श्री अध्यक्ष---आपने तो बहस करना शुरू कर दिया । आप जल्दी विवाद चाहते हैं, उस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि विरोधी दल के नेता और माननीय श्रम मंत्री बात कर लेंगे और कोई समय निश्चय करके मुझे बतला देंगे तो मैं वह समय यहां विवाद के लिये रख दूंगा । माननीय नेता विरोधी दल राजनारायण जी की बात को भी ध्यान में रक्खेंगे ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चूंकि विषय इतना गम्भीर है इसलिये २ घंटे का समय बहुत कम होगा । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या पर इस सदन में कई बार बहस हो चुकी है, उसी प्रकार यह श्रम स्थिति का विषय भी कम महत्व का नहीं है । इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से और नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि इसका समय बढाया जाय, २ घंटे का ही समय, मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष---जब बातचीत होगी तो यह भी सुझाव खयाल में रक्खा जायगा । घंटा, आध घंटा बढ़ जाय तो कोई बात नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---झारखंडे राय जी का जो सुझाव है वह बहुत ही गम्भीर है । अगर एक दिन पूरा कर दिया जाय तो बहुत अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष---यह बहुत ज्यादा है । वे लोग आपस में बात कर लेंगे । २ घंटा विरोधी दल के नेता ने कहा है । वह तो स्वीकार हो ही गया । उसके बाद थोड़ा बहुत अधिक समय वह करना चाहें तो बातचीत करके वे आपके सामने रख देंगे । इस पर अब बहस नहीं होना चाहिये ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं बहस नहीं करना चाहता । आपका ध्यान इस बात की ओर दिला रहा हूं कि हमारा कामरोको प्रस्ताव मोदीनगर के सम्बन्ध में था और यह आश्वासन दिया गया था कि श्रम मंत्री जी उस पर बयान देंगे लेकिन बयान में वहां का कोई जिक्र नहीं था । इस प्रकार हमारा कामरोको प्रस्ताव भी गया । तो हमारे और मोदीनगर के साथ कैसे न्याय होगा ?

श्री अध्यक्ष---गृह मंत्री ने ११ तारीख को वहां के झगड़े के सिलसिले में बयान तो दे दिया था और आज भी अरेस्ट वगैरह के बारें में बातचीत थी। मजदूरों के बारे में प्रश्न नहीं था।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों बातों के संबंध में जिक्र किया था।

श्री अध्यक्ष---अगर दोनों बातों के संबंध में आपने जिक्र किया था तो वह अनिश्चित हो गया क्योंकि एक ही विषय प्रस्ताव का होना चाहिये। आप नियम देख लीजिये।

श्री गेंदासिंह---मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारी एक बात कहने पर आप निर्णय न करें। लेकिन जो आप निर्णय दे चुके हैं उस पर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी ने मोदीनगर के झगड़े का जिक्र नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---बयान देंगे यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था कि ११ तारीख को बयान दे चुके हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वाद-विवाद है यदि वह तैयारी कर लें तो मोदीनगर के बारे में जो सुझाव हमें देने हैं वह हम प्रस्तुत कर देंगे उसी समय के अंदर। जो हमें राय देनी होगी उसको हम पेश कर देंगे बशर्ते कि श्रम मंत्री जी इस संबंध में अपनी राय कायम कर लें।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मिलों के बारे में कहते हुए वह चाहते हैं कि मोदीनगर के बारे में भी बोलने का अधिकार माननीय सदस्यों को रहना चाहिये।

आचार्य जुगलकिशोर---जहां तक मोदीनगर का प्रश्न है वहां कोई हड़ताल नहीं है। थोड़ी बहुत शिकायतें हुई थीं और गिरफ्तारी हुई हैं और मिलों का कार्य सुचारू-रूप से चल रहा है। यह हमारी अभी तक की सूचना है। पता नहीं इसके बारे में और कौन सी बात होगी।

श्री त्रिलोकीसिंह---मोदीनगर के मिल के मैनेजर साहब ने अखबार में बयान दिया था और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी लिख कर भेजा था। उसमें मैंने देखा है कि उन्होंने लिखा है कि इतना स्टाक हमारे पास जमा है कि अगर कुछ दिन कारखाना बंद रहे तो कोई नुक्सान नहीं है। माननीय श्रम मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिला दूं कि वहां भी यही समस्या है। मजदूरों और मिल मालिकों में झगड़ा है जो सरकार के हस्तक्षेप के बिना सुलझ नहीं सकता है। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि अगर उनको आपत्ति न हो तो मैं उनका अनुग्रहीत होऊंगा।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वह सुझाव देना चाहेंगे तो हम सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष---आप भी इसमें तहकीकात करके तैयार होकर आयें कि इसमें क्या है।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय, विचार जारी रहेगा। कल राजनारायण जी भाषण दे रहे थे वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

---

† १६ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही से।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर वाद विवाद चल रहा था। मुझे मालूम हुआ कि इस विधेयक को इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने प्रवर समिति में भेजे जाने का संशोधन प्रस्तुत किया था जिनमें सर्वश्री गोविन्द सिंह विष्ट, रामायणराय और मोतीलाल अवस्थी जी थे। इन्होंने ही इसको प्रवर समिति में भेजने का संशोधन प्रस्तुत किया था। श्रीमन्, मैं भी इसी राय का हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाय और प्रवर समिति में महज इसके उद्देश्य और कारणों में वर्णित विषय पर ही केवल विचार न किया जाय बल्कि प्रवर समिति इसके दायरे को भी बढ़ाये क्योंकि काफी इस पर विचार व्यक्त हो चुके हैं। इसलिये मैं एक ही बात आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इन संशोधनों में अगर इसका स्कोप बढ़ाने की बात नहीं है और मैं देख रहा हूं कि रामायणराय जी के संशोधन में है तो मैं इसी राय का हूं कि इसकी परिधि बढ़ायी जाय क्योंकि जब कल आप यहां नहीं थे तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा था कि पिछले सालों में जब लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ था और विरोधी दल की ओर से उस पर जो जो शंकायें और आपत्तियां की गयी थीं माननीय मंत्री जी ने उन्हें देखने का कष्ट किया या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं किया। मेरी ऐसी भावना थी कि जब माननीय कमलापति जी के हाथ में शिक्षा विभाग जायगा और उनके शिक्षा मंत्रित्व काल में जब संशोधन विधेयक पर विचार करने का अवसर इस सम्मानित सदन को प्राप्त होगा तो वह एक ऐसा पूर्ण संशोधन विधेयक होगा जिसके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्य यह भी जान पाये कि हम शिक्षा प्रणाली किस भांति चलाना चाहते हैं। यदि इसे देखा जाय तो जिन जिन मूल बातों की पिछले सालों से सरकार से अपेक्षा की गयी थी कि सरकार शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगी, उनका किसी का समावेश इस संशोधन विधेयक में नहीं है। मुझे एक बात याद आती है---माननीय मुख्य मंत्री जी जा रहे हैं उन्हीं से सम्बन्धित कि जब वे शिक्षा मंत्री थे तो काशी विद्यापीठ के एक अवसर पर डाक्टर भगवानदास जी ने कहा था कि जब श्री सम्पूर्णानन्द शिक्षा मंत्री होंगे तो मैंने उम्मीद की थी कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन होगा मगर मुझे दुःख होता है कि शिक्षा मंत्री चित्त के दुर्बल व्यक्ति निकले। मैं डाक्टर भगवानदास की श्रेणी में शायद नहीं पहुंच पाऊंगा मगर मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय कमलापति जी से जो मेरी आशा थी वह निराशा में परिणत हो रही है।

श्री अध्यक्ष---वह इस बात पर शक करते हैं कि आपको उनसे आशा थी भी या नहीं।

श्री राजनारायण---आशा थी। इसके बारे में शक नहीं है। इसमें आपको भी शक नहीं है। आप भी शायद कुछ मनोविनोद के लिये ऐसा कह रहे हैं। आशा थी और जिस समय शिक्षा विभाग और गृह विभाग उनके हाथ में आये तो मैंने कुछ शंकायें भी उनके सामने रखी थीं और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि उन बातों का निराकरण होगा। मैं भी समझता हूं कि अवसरवादिता का अर्थ क्या होता है। यह भी मूल शिक्षा से सम्बन्धित है और एक ही वाक्य में आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वर्तमान कर्त्तव्य भविष्य के सुख के लालच में यदि छोड़ दिया जाता है। तो वहां अवसरवादिता आ जाती है। मैं ऐसा समझता हूं किसी भविष्य के सुख की कामना में वर्तमान कर्त्तव्य को छोड़ना आज हमारे देश के लोगों को त्याग देना चाहिये। जो वर्तमान कर्त्तव्य हो उस पर आरूढ़ हो कर करना चाहिये चाहे उसमें कितनी ही मुसीबतों और संकटों का सामना क्यों न करना पड़े। इसलिये मैं आज आपकी इजाजत से यहां खड़ा हुआ हूं कि इस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं।

श्रीमन्, आप देखिये कि चांसलर, माननीय कमलापति जी बतलायें कि यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन हो। क्या यह कोई मामूली महत्व का प्रश्न है? माननीय कमलापति जी ने संशोधन विधेयक में इसको छूने की कृपा क्यों नहीं की?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसी के साथ-साथ अगर इस यूनिवर्सिटी विधेयक का जो संशोधन के रूप में यहां प्रस्तुत है अवलोकन किया जाय तो प्रकट होगा कि कोषाध्यक्ष का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। माननीय कमलापति जी जानते हैं कि कोषाध्यक्ष का क्या महत्व है। यह उनकी जानकारी में है, लेकिन उसके बारे में विधेयक में कोई चर्चा नहीं है। वह कौन व्यक्ति हो, उसकी नियुक्ति कैसे हो, इसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि जब हम मूल विषयों पर अपने विचार इस सदन में प्रकट करने लगते हैं तो बीच में कोई व्यक्ति विशेष आ जाता है और उसको लेकर हम अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने लगते हैं। इसी में गड़बड़ी आ जाती है। मैं चाहता हूं कि माननीय कमलापति जी इस घेरे से बाहर उठें और व्यक्ति विशेष को लेकर सिद्धांतों को प्रतिपादन करने की चेष्टा न करें। इस सदन में मदनमोहन मालवीय जी का नाम लिया गया। वह प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। अगर कोई चाहे कि जितनी ताकत उनके हाथ में थी उतनी ही ताकत दूसरे व्यक्ति के हाथ में क्यों न रहे, तो माफ करेंगे मुझे सदन के सम्मानित सदस्य यह कहने के लिये कि उनके समान प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति आज किसी भी यूनिवर्सिटी के कोषाध्यक्ष पद पर विराजमान नहीं है। उनके अंदर इतनी ताकत और क्षमता होते हुए भी लोग उनकी टीका-टिप्पणी और नुक्ताचीनी करते थे .....

श्री अध्यक्ष---आप इसके उद्देश्य और कारणों में ही भाषण सीमित रक्खें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---प्रवचन दे रहे हैं।

श्री राजनारायण---घबड़ाइये मत। माननीय अध्यक्ष ने ध्यान आकर्षित किया है और मैं उसी पर हूं और कम से कम सरकारी पक्ष के लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि परसों से, जब से मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन कर दिया था कि अब हम विनम्र भाषा का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, हमने ऐसा किया, अब सरकारी मंत्री लोग यह साबित करें कि हम जो यह समझते हैं कि जो ऐतिहासिक परस्पर विरोधी सिद्धांतों का संघर्ष है, वह माधुरभाषिता और शिष्ट वचनों से टाला नहीं जा सकता, यह गलत है। देखें यह सत्य है या नहीं। कल तो मैंने करबद्ध प्रार्थना की थी, लेकिन सरकारी पक्ष ने सुनी नहीं, आज फिर देख रहा हूं .....

श्री अध्यक्ष---आप भटक रहे हैं। बिल पर आइये।

श्री राजनारायण---तो मैंने कहा कि मैं केवल यह चाहता था कि इसके स्कोप को बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष---कई लोगों को बोलना है इसलिये जल्दी समाप्त करें।

श्री राजनारायण---ठीक है, जब लोगों की इच्छा होगी मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष---जितना संक्षेप में आप कह सकते हों, कहें।

श्री राजनारायण---तो मैं चाहता हूं कि इसको देख लिया जाय। इसके साथ ही मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक अनकांस्टीट्यूशनल है। इसमें ऐसे अधिकार लिये जा रहे हैं कि जो इस संविधान के अन्दर कोई सरकार नहीं ले सकती। अब मुझे डेफिनिट होना पड़ेगा। मूल अधिनियम की धारा १९ में हमारे माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि शब्द "in the manner prescribed by the Statutes" के स्थान पर शब्द "according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote" रख दिये जायं। सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से चुनाव हो। इसमें हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट बढ़िया साधन है चुनाव का तो सब जगह लागू होना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक जगह लागू हो और दूसरी जगह लागू न हो। तो उसी जगह एक चुनाव में तो सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट का सिस्टम लागू हो और दूसरी जगह सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट का सिस्टम लागू न हो, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान

[श्री राजनारायण]

दें और उनकी ओर से ऐसी कोई सफाई आनी चाहिए कि यह क्यों किया जा रहा है ।

५वें संशोधन के मुताबिक माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि जो रजिस्टर्ड ग्रेजुयेट्स के द्वारा ५ आदमियों का चुनाव होता है उनका चुनाव सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट के द्वारा हो । अगर वहां पर देखा जाय तो मूल अधिनियम की धारा १६ में यह दिया हुआ है कि—"Representatives of the Registered Graduates to be elected by Registered Graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes." "Prescribed by the Statutes" के स्थान पर इसमें सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट कर दिया जाय ।

इसके ऊपर अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि इसमें दो टीचरों का चुनाव होगा । उनका चुनाव कैसे होगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है । इसके बारे में आगे चर्चा किया गया है कि जहां पर सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट का तरीका नहीं रखा गया है वहां पर स्टैट्यूट्स के ढंग पर होगा यानी स्टैट्यूट्स में बताये ढंग पर चुनाव होगा । उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी उसके बारे में समझें । अगर वह टीचरों का प्रतिनिधि रहेगा तो उसके लिये भी चुनाव की वही व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यवस्था दूसरों के लिए रखी गयी है ।

तीसरी बात इसमें यह देखी जाय कि मूल अधिनियम की धारा १९ का यह प्रतिबन्ध बढ़ाया जा रहा है कि : "Provided that any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item (viii) or (ix) of sub-section (i) shall not be eligible for election or nomination for the third term in succession."

अच्छी बात है ऐसा होना चाहिये क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है । काफी आदमी रहते हैं । अगर एक ही आदमी एक जगह विराजमान होता रहे तो फिर वेस्टेड इन्टरेस्ट क्रियेट हो जाता है । तो यहां पर दो टर्म्स से ज्यादा एक्जिक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर नहीं होगा । यह संशोधन ६ के अनुसार आप चाहते हैं । अधिनियम की धारा १९ को देख लिया जाय तो मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करूंगा कि यहां तो आठवें में यह कहा कि सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से चुनाव की बात कही और अगर आठवें के ऊपर सातवें को देखा जाय तो उसको छोड़ दिया है । इसका कोई चर्चा नहीं है । तो फिर इसका समाधान कैसे होना चाहिये ? इसके साथ-साथ एक जगह जहां पर प्रतिनिधि आउटसाइडर हो वह दो टर्म तक के लिये रहे और जो इनसाइड का हो वह एक ही टर्म तक के लिये रहे, यह कितनी विरोधात्मक बात है । इन दोनों चीजों में कोई तारतम्य होना चाहिये, इसका कोई कारण आना चाहिये, कोई स्पष्टीकरण होना चाहिये, कि ऐसा क्यों रक्खा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह बहुत व्योरे का प्रश्न आप उठा रहे हैं; आप सिद्धान्त पर आयें ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह प्रवर समिति में जा रहा है और सिद्धान्त की बात यह है कि वेस्टेड इन्टरेहट क्रियेट न हों, सिद्धान्त की बात यह है कि सरकार अपने हाथ में ज्यादा ताकत न ले, सिद्धान्त की बात यह है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों में प्रेम स्थापित रहे । इन तमाम बातों को देखा जाय तो ऐसा कौन सा काम है जो आप इस संशोधन विधेयक के जरिये से रखना चाहते हैं ? इस दृष्टि से हमें हर जगह दोष दिखायी देता है ।

सब से बड़ा दोष नवें पेज पर है । यह अनकांस्टीट्यूशनल है क्योंकि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक कोई भी सरकार ऐसा कोई अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकती जिसमें कोई निश्चित व्यवस्था न हो । इसके द्वारा सरकार यह चाहती है कि इस बिल के

पास हो जाने के बाद, उसके साल भर के बाद तक संक्रमणकाल में सरकार की जो कुछ भी इच्छा हो, वह इच्छा कानून की शक्ल में लेले। इसके अलावा कोई दूसरी मंशा हो नहीं सकती । धारा ११ की उपधारा (१) में यह कहा गया है कि—

"इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० के उपबन्धों को समान्यतया कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कोई भी काम करना ....."

अब इसमें 'कोई भी काम करना' इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गयी है कि क्या काम सरकार करना चाहती है, कितने अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है । आगे वह कहते हैं—

"....जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम का निर्माण अथवा संशोधन तथा ऐसे परिनियमों अथवा संशोधनों के प्रभावी होने के दिनांकों का निश्चित करना भी है, विधिपूर्ण होगा।"

यह धारा ११ की उपधारा (१) है । मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि सदन के सम्मानित सदस्य इस बात की जानकारी में आ गये होंगे कि यह सरकार जब कभी इस सदन में विधेयक प्रस्तुत करती है तो उसके अन्त में एक धारा के अनुसार वह सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेती है जिससे वह अपनी इच्छा के मुताबिक काम कर सके। श्रीमन्, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार मंत्री जी की इच्छा और आतंक ही का नाम व्यवस्था हो जाय तो फिर इसको जनतंत्रवाद की व्यवस्था कहा जायगा या न कहा जायगा ।

सन् १९५२ में चुनाव हुये, ५ वर्ष तक वह सरकार चली, सन् १९५७ से यह दूसरी सरकार चली है और माननीय कमलापति जी के हाथ में शिक्षा विभाग है। तो क्या मंत्री जी के पास इतने दिनों तक शिक्षा विभाग रहने के बाद भी उनको उसकी जानकारी नहीं हो पायी ? कन्फ्यूशियस का कहना यह था कि तीन वर्ष तक अनुभव करने के बाद अगर कोई किसी चीज का ज्ञाता नहीं होता है तो वह मूढ़ है । मंत्री तो वह बहुत ही कम रहा । तो मैं माननीय कमलापति जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक उनको यह जानकारी क्यों नहीं हो पायी कि इस वर्तमान विधेयक के और पुराने अधिनियम के संशोधित होने के बाद क्या-क्या दिक्कतें पड़ेंगी। उन दिक्कतों को कान्क्रीट रूप में मंत्री जी ने क्यों प्रस्तुत नहीं किया ? क्यों इतने अधिकार कमलापति जी लेना चाहते हैं? वह लगातार साल भर तक हैवक क्रियेट करना चाहते हैं । मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि अगर हमारे हाथ में ऐसी ताकतें भी होती हैं तो हम बदला भी ले सकते हैं और बदला लेने की भावना जहां होती है वहां शुद्ध सम्मति नहीं होती है । श्रीमन्, ९ पेज पर देखा जाय–

"राज्य सरकार किन्हीं भी कठिनाइयों के," इस वाक्य को मैं चाहता हूं आप के द्वारा कि सदन के सम्मानित सदस्य अपने ध्यान में रखें । "राज्य सरकार किन्हीं भी कठिनाइयों के, विशेशतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के संबंध में (कठिनाइयों के) निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसा अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिसे वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे" वही बात इसमें है, श्रीमन्, कि सरकार के इच्छा के ऊपर है, "जिसको वह इष्टकर समझे" और उसका भाष्य भी सरकार ही करेगी । फिर सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने वह बात नहीं रखी जायगी जैसा कि अक्सर दूसरे मामलों के बारे में कहा गया है कि उपनियम के रूल्स यदि बने तो १४ दिन के लिये उसे माननीय सदस्यों के टेबिल पर रखा जायगा और उस पर जो संशोधन भी वे देना चाहें, दे सकते हैं । यहां पर मैं चाहता हूं कि जब यह प्रवर समिति के पास जायगा तो हो सकता है कि उस समय हम भी माननीय कमलापति जी को अपने मत से प्रभावित करने की कोशिश करें और वे प्रभावित हो जायं । ऐसा लगता है, श्रीमन्, कि जब कमेटी की बैठक होती है तो उस समय लोग दूसरी बातें भी अच्छी तरह से कहते हैं, सुनते हैं, और इस

[श्री राजनारायण]

सदन में मान अपमान का प्रश्न उठाया जाता है । ऐसा मालूम होता है कि जैसे सरकार अपने को छुई मुई समझती है और हीन भावनाग्रस्त समझती है जिससे इस तरह की बातें की गयी हैं । मैं माननीय कमलापति जी से निवेदन करूंगा कि वे बिलकुल दूसरा ही रूप इस सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं । वे इस सदन को बतलायें कि कौन-कौन-सी कठिनाइयां हैं और कुछ कठिनाइयों को गिनावें क्योंकि, श्रीमन्, इस धारा के मुताबिक उन्होंने बड़ा अनर्थ किया है ।

यह उपधारा (२), जिसके लिये मैं कहता हूं, बिलकुल अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि इसमें कहा गया है---"उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी ।" श्रीमन्, एक बात मैं और निवेदन करूंगा, क्योंकि आज मैं यह देखता हूं कि पार्लियामेंट्री पद्धति कोई पूर्ण पद्धति नहीं रही, इसलिये आप अपने विशेष अधिकार का उपयोग करें । अगर वर्तमान नियमावली के अन्तर्गत आप यह समझते हैं कि आपको वह अधिकार कहीं प्राप्त नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप अपनी निजी प्रतिभा और अधिकार का प्रयोग करें । ऐसी धारा गांधी जी के युग में उनके चरणों में बैठ कर शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग जब अपने हाथ में हुकूमत लें तो कतई न रखें, क्योंकि जनतंत्र में न्याय, कानून बनाने की विधान सभा और कार्यकारिणी, इन तीनों का अपना स्थान है ....

श्री अध्यक्ष---आप अपनी बात फिर दोहरा रहे हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह न्यायालय की बात है, इसमें दिया हुआ है कि उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी विधि न्यायालय में कोई नहीं जा सकता है । यह तो कोर्ट के अधिकार का इनक्रोचमेंट है कि जो भी आज्ञा सरकार निकाले, उस आज्ञा के विरुद्ध हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अवैध है और इस तरह की कोई भी धारा कानून की किताब में लिखी नहीं रहनी चाहिये । बराबर सरकार की ओर से कहा जाता है कि न्याय का सम्मान करो, न्याय का सम्मान करो, फिर न्याय का सम्मान कराने वाली सरकार क्यों इस तरह की बात रखती है ? सरकार कहती है कि न्यायालय और कार्यकारिणी में समानता होनी चाहिये, लेकिन जो समानता की मंशा है वह इसमें कहीं दिखलायी नहीं पड़ती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे गम्भीरता के साथ सारी बातों पर विचार करें और इस संशोधन विधेयक के द्वारा जितने अधिकार माननीय मंत्री जी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इसका क्या कारण है, इसको भी स्पष्ट करें । आखिर यह शिक्षा है, शिक्षा का जो सही अर्थ है, वही होना चाहिये, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर सदन के बाहर मंत्री लोग जब किसी वेदान्त सम्मेलन में या कहीं किसी और सम्मेलन में जाते हैं तो वहां ऐसी बातों का जिक्र करते हैं, अगर उसको कार्यान्वित किया जाय तो सही माने में समाज का हित हो सकता है । इसीलिये अब कथनी और करनी में एकता होनी चाहिये । हमारे देश में हमेशा विचार की समानता रही है कर्म की नहीं, लेकिन अब जब तक कर्म की और विचार की दोनों की समानता नहीं होगी तब तक लाभ नहीं हो सकता । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अब विचार और कर्म की समानता लाने वाला कोई बढ़िया सा बिल पेश करें तब उनको कामयाबी हो सकती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को किन कारणों और उद्देश्य से लाया गया है, यह सब इसके उद्देश्य और कारणों में लिख दिया गया है ।

इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय तथा अन्य वक्ताओं ने उद्देश्य और कारणों के बारे में भी और जो सुधार इसमें किये गये हैं उनके बारे में भी काफी चर्चा कर दी है, इसलिये अब मैं उनमें जाकर सदन का समय नहीं लूंगा, मैं तो दो एक बात कह कर अपना

भाषण समाप्त कर दूंगा और वह यह कि जो सुधार माननीय मंत्री जी ने इस बिल में किये हैं वह यह हो सकता है कि अपूर्ण और अधूरे हों, मैं भी ऐसा समझता हूं कि बहुत कुछ सुधारों की आवश्यकता थी लेकिन जितने सुधार हैं वह अच्छे हैं इसमें सन्देह नहीं है और ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है। इसके लिये मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं।

अब अगर वह इस बात को स्वीकार कर लें कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और इसकी परिधि बढ़ा दी जाय तो मैं दो एक सुधार मूल अधिनियम में करना चाहूंगा और उनको उनके सम्मुख रख दूंगा, लेकिन सम्भावना ऐसी है कि परिधि बढ़ाने की बात तो दूर रही मुझे भय है कि वह प्रवर समिति में इसे भेजने की बात को भी शायद ही स्वीकार करें। इसलिये जैसा भी यह बिल है इसी में मैं दो एक संशोधनों की ओर सरकार का ध्यान दिलाऊंगा और वह यह कि विधेयक के खंड २ (जी) में जो 'टीचर' की परिभाषा की गयी है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि टीचर और यूनिवर्सिटी टीचर की दो श्रेणियां हुई जा रही हैं। हो सकता है कि ऐसा न हो लेकिन मूल अधिनियम में जो परिभाषा है उसमें टीचर और यूनिवर्सिटी टीचर की परिभाषा अलग-अलग दी गयी है। इससे यह भ्रम होता है कि शायद यह दो केटेगरी अलग-अलग रहेंगी। मैं समझता हूं कि यह चीज उचित नहीं है और इस पर मैं संशोधन पेश करते समय अपने विचार रखूंगा। इस समय मैं अधिक समय न लेकर केवल इतनी प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी उस संशोधन के बारे में जो मैं पेश करने वाला हूं सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लें। बस, इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं इस विधेयक की प्रत्येक धारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इसके आधारभूत सिद्धान्तों का स्वागत तथा समर्थन करता हूं। विधेयक पर कुछ निवेदन करने से पहले मैं एक बात आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह इस माननीय सदन में कामरोको प्रवृति बहुत बढ़ रही है इसी तरह देखने में आता है कि प्रवर समिति की मांग का भी बहुत बाहुल्य हो रहा है। मैं सिद्धान्ततः किसी बिल के प्रवर समिति में जाने का विरोध नहीं करता, मेरा विश्वास है कि प्रवर समिति में जिस विधेयक को भेजने की आवश्यकता हो वह वहां जाकर संशोधित और परिमार्जित हो सकता है, लेकिन यदि हम औषधि को भोजन बना लें तो उसका गुण भी नष्ट हो जाता है। जब एक-एक दो-दो खंडों के विधेयकों के लिये प्रवर समिति और जनमत में भेजने की मांगें आने लग जायं तब फिर ऐसा लगता है कि प्रवर समिति की मांग केवल किसी और ध्येय से ही की जा रही है। मेरा ऐसा विचार है कि यह विधेयक जिस रूप में और जिस तरह से इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसका प्रवर समिति में जाना लाभप्रद नहीं हो सकेगा। अतः मैं प्रवर समिति की मांग का विरोध करता हूं और बधाई देता हूं उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने प्रवर समिति का प्रस्ताव देने के बाद भी इस बात को समझते हुये उस मांग को वापस ले लिया। मैं आशा करता हूं कि और एक सज्जन जिनका एक प्रस्ताव है कदाचित् वह सारे वक्तव्य सुनने के बाद उस मांग को वापस लेने की कृपा करेंगे।

इसके बाद, श्रीमन्, मूल अधिनियम पर आते हुये मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि इस अधिनियम के द्वारा एक तो उस मांग को जोकि टीचर्स की रही है और जिसको पूरा करने के लिये सरकार द्वारा आर्डिनेंस आया था उसकी पूर्ति की गयी है। वह तो करनी ही थी और उसके लिये अधिनियम आना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त केवल दो तीन बातों की ओर इसमें कदम उठाने का प्रयत्न किया गया है।

एक तो यह है कि चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट द्वारा करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिबन्ध लगाया गया है एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों के चुनाव पर, उनकी अवधि पर। तीसरी बात वाइस-चांसलर के अधिकारों से सम्बन्धित है।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

श्रीमन्, जहां तक वाइस चांसलर के अधिकारों से सम्बन्धित प्राविजन्स का सम्बन्ध है मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। जहां तक सिंगिल ट्रान्स्फरेबिल वोट का सम्बन्ध है, यह भी जनतन्त्र में एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। लेकिन इस विषय में मुझे अवश्य आशंका है। मैं यह नहीं जानता, अभी तक यह नहीं समझ पाया, कि सिंगिल ट्रान्स्फरेबिल वोट हर जगह इंट्रोड्यूस करना आवश्यक है या उन्हीं जगहों पर लाने की आवश्यकता है जहां ऐसा वातावरण हो, जहां ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी हो कि उसको बिना लाये हुये जनहित न हो रहा हो। मुझे इसमें संदेह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसी स्थितियां थीं जिनमें सिंगिल ट्रान्स्फरेबिल वोट का लाना आवश्यक था। लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि वह ऐसा विषय नहीं है, वह ऐसा प्राविजन नहीं है जिससे कोई अहित होने की आशंका हो।

दूसरी बात जिसका प्रयत्न इस विधेयक में किया गया है वह है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की अवधि पर एक रुकावट लगाना। मैंने, श्रीमन्, इस विषय में अपने प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऐक्ट्स को पढ़ने का यत्न किया। अपने प्रदेश के बाहर दूसरी यूनिवर्सिटीज जो अपने देश की हैं उनके ऐक्ट्स को भी पढ़ने का यत्न किया। लेकिन इस तरह का प्रतिबन्ध किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में लगाया गया हो, ऐसा मुझे नहीं मिल सका। मेरा अपना विचार है कि किसी पदाधिकारी के लिए यदि इस तरह की रुकावट लगायी जाय तब तो वह उचित और आवश्यक हो सकती है, लेकिन जहां पर निर्वाचन द्वारा कोई आदमी चुन कर आता हो तो उस समय ऐसा प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं। एक तरह से वह जनतांत्रिक अधिकार पर रोक हो जाती है। एक तरह से वह भी एलेक्टर्स पर एक अविश्वास की बात हो जाती है। मेरे कान में, श्रीमन्, अभी एक आवाज आयी कि वाइस चांसलर के पद पर ऐसा प्रतिबन्ध है। ठीक है। मैं तो स्वयं निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक पदों का सम्बन्ध है वहां पर ऐसे प्रतिबन्ध लगाना उचित और आवश्यक दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन जहां निर्वाचन द्वारा कोई सदस्य आता हो, वहां इसकी आवश्यकता है यह मैं नहीं समझ सका। और विशेषतया में यह नहीं समझ सका कि जहां नामीनेशन करने का अधिकार राज्यपाल को दिया जा रहा है वहां पर ऐसे प्रतिबन्ध लगाने की कौन सी आवश्यकता है। जब हम एक राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को अधिकार देते हैं नामीनेशन करने का तो हम यह भी अधिकार दें कि जिस तरह से वह उचित समझे, जिन सिद्धान्तों को वह उचित समझे उस तरह से वह नामीनेशन्स हों। उस पर यह प्रतिबन्ध लगाना कि एक व्यक्ति यदि दो टर्म्स में सदस्य रह चुका है, तब वह नामीनेशन के लिये भी एलीजिबिल नहीं होगा, मैं समझता हूं उसके हाथों को रोकना है; और कभी यह भी हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जिसकी सेवायें अन्यथा उस विद्यालय के लिये परमावश्क, परम सहायक हों, उसके लिये उनकी सेवाओं से उस विद्यालय को वंचित करना भी हो सकता है। तो इसलिये मुझे इस विषय में भी संदेह है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैंने अभी माननीय राजनारायण जी का भाषण सुना। जो ११ वीं उपधारा में रूल्स मेकिंग की पावर सरकार ने अपने में निहित की है उसका बड़े बल के साथ वह विरोध कर रहे थे। मेरे पास संयोग से लोकल ऐक्ट्स की पुस्तिका रखी हुई है जिसमें और भी बहुत सारे ऐक्ट्स यूनिवर्सिटीज से संबंधित तथा अन्य हैं। मैंने इसमें देखा कि क्या ऐसा प्रोवीजन, ऐसी धारा केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में ही रखी जा रही है। या लेजिस्लेशन की यह परिपाटी है कि ऐसी धारायें रखना परमावश्यक होता है। तो देखने में आया कि कदाचित कोई भी ऐक्ट ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी धारा न हो। यह तो स्वाभाविक है कि जब सरकार एक कानून बनाती है तो उसको कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने की पावर उसको लेनी पड़ेगी। उस पावर को लेने में अगर यह दोषारोपण किया जाय कि सरकार अपने में निरंकुश अधिकार लेना चाहती है या ऐसे अधिकार लेना चाहती है जिनकी परिधि नहीं खोली गई, तो गलत होगा।

श्री अध्यक्ष—आप जरा संक्षेप में भाषण कर दीजिये ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—अच्छी बात है । इसके बाद, श्रीमन्, अगली धारा में,धारा १२ में, यह पावर सरकार ने ले रखी है :—

"१२ (१)—राज्य सरकार किन्हीं भी कठिनाइयों के, विशेषत: मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में (कठिनाइयों के), निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसा अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिसे वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे :"

इस पर भी बड़े एतराज किये गये । मैं नहीं समझ सका यदि ऐसी पावर सरकार न ले अपने आप में तो उन कठिनाइयों का किस तरह से निराकरण होगा जो इस तरह से ट्रान्जीशनल स्टेजेज में पैदा होगी । मैं न्यायालयों का अधिकाधिक आदर करता हूं । मेरी यह धारणा रही है कि हम न्यायालयों का पूरा आदर करें । लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज को मुकदमेबाजी का क्रीड़ा क्षेत्र न बनायें । यदि इस तरह के किसी कानून के बनाते वक्त ऐसे अधिकार भी सरकार अपने में निहित न करे तो नतीजा यह होगा कि अनावश्यक लिटीगेशन्स होंगे और यूनीवर्सिटीज में बड़ी गड़बड़ी होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—अब मैं इतना कह देना चाहता हूं कि आम बहस तीन या सवा तीन बजे तक अधिक से अधिक चलेगी इसलिये जरा भाषण संक्षेप में हों तो ज्यादा अच्छा होगा ।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने बतलाया मैं स्वयं इस बात की चेष्टा करूंगा कि ५–६ मिनट से ज्यादा न लूं ।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये मैंने आपसे ही कहा है, दूसरों से कह देता तो उन्हें बुरा लग जाता ।

श्री गोविन्द सहाय—जिससे उचित समझा जाता है उसी से कहा भी जाता है ।

मैं सामान्य रूप से इस बिल का समर्थन करता हूं । उसका मौलिक कारण यह है कि मैं स्वयं यह समझता हूं, बिल को देख कर, इसकी भाषा को पढ़ कर इतनी बात तो आसानी से समझ में आ सकती है, कि इस बिल के द्वारा कोई खास क्रान्तिकारी तबदीली करने का इरादा नहीं है । अनुभव ने कुछ बातों को बतलाया । बिल में, जो मौजूदा यूनीवर्सिटी का संगठन है, टीचर्स की दशा है , उसको देखते हुए कुछ थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यता हुई और उन सुधारों को दृष्टि में रखते हुए इसमें कुछ ऐसी बातें रक्खी गई हैं जिनसे मेरा ऐसा कयास है कि मौजूदा हालत में कुछ सुधार हो सकेगा ।

अभी मैंने माननीय राजनारायण जी के भाषण को भी सुना और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वे शायद कुछ ऐसी आशा करते थे कि इस बिल के जरिये कुछ समाजवाद की ओर क्रान्तिकारी कदम उठेगा लेकिन वैसा नहीं हो रहा है जिससे उनको निराशा हुई । इस बिल में दिया हुआ है कि केवल आर्गनाइजेशनल तबदीली करने की जरूरत थी यूनिवर्सिटी के मौजूदा संगठन में । इस बिल के द्वारा वह तबदीली की गई है ।

दूसरे, जो टीचर्स हैं, इस बिल के द्वारा उनके स्टैंडर्ड में, उनकी डिगनिटी में, आर्थिक स्थिति में अनुकूलता पैदा करने के लिये और रहन–सहन में तरक्की करने के लिये कोशिश की गई है । इसलिये अगर इस नजर से इस बिल को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि हम ज्यादा अच्छी तरह से इस बिल को समझ सकेंगे ।

जहां तक आर्ग नाईजेशनल तबदीली का ताल्लुक है, मैं स्वयं यह समझता हूं कि जो मेजारिटी वोट का डिसीजन होता है, १०० में ५१ या जो जनतंत्र का रूप है यह काफी विकृत होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सहाय]

जा रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता इस अन्तर से अगर देखा जाय तो विकृत होते होते बहुत थोड़े ही लोगों का वोट रहता है १०० में ५१, ५१ में २८ और २८ में १५ । तो जो दुर्गुण फैलता चला जा रहा है वह लोग ऐसा महसूस करते हैं कि इस सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट के जरिये से बहुत हद तक दूर हो सकेगा यानी जिनके साथ माइनारिटी है उनके हितों की भी रक्षा हो सकेगी । हर किस्म के लोग इसमें आ सकेंगे । मौजूदा प्रणाली में, मेरा खयाल है, यही सबसे बड़ा दोष है कि ५१ आदमी एक तरफ हैं तो बाकी जो ४९ रह जाते हैं वे खत्म हो जाते हैं । मैं यह नहीं कहता कि यह सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट का तरीका हर स्थिति में लाभदायक होता है, लेकिन मेरे खयाल से शिक्षा के अन्दर, जहां सब तरह के लोगों का होना जरूरी है, इसका लाना लाभदायक होगा और मैं इसका स्वागत करता हूं ।

ठीक इसी तरह से जो यह बात रक्खी गई है कि दो टर्म्स के बाद कोई वाइस चांसलर नहीं हो सकेगा यह भी मुनासिब ही है । आज डेमोक्रेसी ऐसा शब्द है जिसके बारे में सब कुछ कहा जा सकता है और मेरा तो खयाल है कि डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी के बजाय बेजानकारी के आधार पर गलत बातें कही जाती हैं । डेमोक्रेसी के अन्दर कुछ ट्रेडीशंस पैदा किये जाते हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमको ऐसे ट्रेडीशंस पैदा करने चाहिये जिससे एक ही तरह के लोग बराबर न आते रहें । उसमें कोई नुकसान नहीं होगा । जो लोग ६ साल सर्व कर चुके हैं और ६ साल के बाद नहीं चुने जाते, अगर उन्हें नहीं रक्खा जाता तो उनसे संस्था को कोई नुकसान नहीं होगा । मैं यह भी समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी की प्रणाली नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी की प्रणाली न हो कर एक नया ट्रेडीशन इसके जरिये कायम होगा, इसका भी मैं स्वागत करता हूं ।

जहां तक टीचर्स का ताल्लुक है, उसमें यूनिवर्सिटी टीचर्स की दशा सुधारने की बात कही गई है और ऐफीलियेटेड कालेजेज जो इससे जुड़े हुये हैं और इसमें उन्होंने जो सुझाव दिये हैं वह यह है कि इस बिल के अन्दर यूनिवर्सिटी टीचर्स को हो सुविधायें मिलेंगी, लेकिन जो एफीलियेटेड कालेजेज के टीचर्स हैं उनको वे सुविधायें नहीं मिलेंगी जो एफीलियेटेड कालेजेज के टीचर्स की संख्या ज्यादा नहीं हैं, वह इससे वंचित रह जायेंगे । मैं समझता हूं कि इसका एक ही कारण हो सकता है और वह यह कि रुपये की कमी हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के खयाल से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे टीचर्स होंगे और कितना फाइनेंशियल आब्लीगेशन होगा अगर उन टीचर्स को भी यूनिवर्सिटी टीचर्स के समान ला सकें । इससे जो फ्रस्टेशन उनमें पैदा होगा उसको हम रोक सकेंगे । जब क्लाज-वाइज इस पर डिस्कशन होगा तो टीचर्स की परिभाषा और ऐफीलियेटेड टीचर्स के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

जहां तक प्रवर समिति का सवाल है, यह बिल ऐसा नहीं है जिससे इसको टाला जाय । जो एनर्जी हम वहां लगायेंगे उसका यदि यहीं पर सदुपयोग कर लें तो यह पास किया जा सकता है । इसलिये यह बिल जैसा है वैसा ही पास किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—माननीय चन्द्रजीत यादव, अब आप भाषण बाद में देंगे ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी में एक कहावत है कि 'नहीं' से 'हां' अच्छा होता है । इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं माननीय शिक्षा मंत्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका स्वागत करता हूं । लेकिन मेरी निश्चित राय यह है कि इस विधेयक को एक ऐसी प्रवर समिति में जाना चाहिये जिसे इस बात का अधिकार हो कि वह अपनी परिधि बढ़ा सके । यह राय मेरी इसलिये है कि यह संशोधन जो विधेयक

के रूप में प्रस्तुत किया गया है पिछले दस वर्षों के अनुभव के बाद, मुल्क आजाद होने के बाद जो परिस्थितियां बदलीं और शिक्षा संस्थाओं का एक स्वतंत्र देश में जो महत्वपूर्ण स्थान होता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर महत्वपूर्ण तब्दीलियां होनी चाहिये थीं और एक बहुत ही कम्प्रिहेन्सिव बिल इस सदन के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिये था जो इस विधेयक द्वारा नहीं हो सका। उद्देश्य और कारण में यह बतलाया गया है कि किन बातों को लेकर के इस बिल को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी।

हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकगण की यह मांग थी कि शिक्षकों में जो तीन श्रेणियां हैं, लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर की उन्हें तोड़ कर दो कर देना चाहिये। सरकार ने इस बात को मान लिया इसके लिये वह बधाई की पात्र है।

दूसरी बात यह कि विश्वविद्यालय ऐक्ट में वाइस चांसलर को जो यह अधिकार मिला था कि वह शिक्षकों के ऊपर अनुशासन की कार्यवाही करे यह वस्तुतः शिक्षा जैसी पुनीत संस्था में इस प्रकार का अधिकार देना एक काला धब्बा था। इस काले धब्बे को सरकार ने जो धोने का प्रयत्न किया है इस बिल के द्वारा उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

जहां सरकार ने शिक्षकों की इस मांग को मानने में एक उचित कदम उठाया कि दो ग्रेड्स कर दिये जायं वहीं सरकार ने एक बहुत बड़ी बात की अवहेलना भी की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज दस ऐसे कालेजेज हैं जिन्हें एसोशियेटेड कालेज का स्थान प्राप्त है। इन कालेजों के अध्यापकों की मांग को सरकार ने तनिक भी ध्यान में नहीं रखा। जो टीचर की परिभाषा इस बिल में दी गयी है उसमें "यूनिवर्सिटी" शब्द जोड़ने का एक संशोधन माननीय पालीवाल जी ने प्रस्तुत किया है। लेकिन उससे सारी बातें पूरी नहीं होती। इस ऐक्ट के खंड २ के उपखंड (एच) में जो विशेष अधिकार केवल यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को दिया गया है कि वे उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे, उसको भी डिलीट करना नितान्त आवश्यक है। जब तक उस उपधारा को हम डिलीट नहीं करते हैं उस समय तक एसोशियेटेड कालेजेज के अध्यापक उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आप देखें कि एसोशियेटेड कालेजेज की क्यों आवश्यकता पड़ी। जब शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई और विश्वविद्यालय उतने नहीं रहे कि वे उनको शिक्षा प्रदान कर सकें तो इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसे कालेजेज को रिकग्नाइज किया जाय कि जिनमें इन अधिक छात्रों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा सके, जो विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त न कर सकते हों। तो जिन कालेजेज को यह अधिकार दिया गया कि वे यूनिवर्सिटी के स्टैन्डर्ड से छात्रों को शिक्षा दें अतः एसोशियेटेड कालेजों की व्यवस्था एक ऐतिहासिक आवश्यकता है, उसी के अध्यापकों के समान काम करने के बाद भी इस सुविधा से वंचित किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। समान काम के लिये समान वेतन किसी भी सरकार का लक्ष्य हुआ करता है और जब यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है तो शिक्षकवर्ग को इन सुविधाओं से क्यों वंचित किया गया? इसके लिये सरकार रुपये की कमी का कारण बता सकती है, लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि रुपये की कमी ऐसी आवश्यक और न्यायोचित मांगों के लिये बाधक नहीं होनी चाहिये। रुपये की कमी जो कम महत्वपूर्ण पद हैं राज्य के अन्दर उनको तोड़ कर, कुछ दूसरी मदों को घटाकर, उनमें कटौती करके, भ्रष्टाचार को दूर करके, पूरी की जा सकती है। किसी भी संस्था के शिक्षकों के लिये, जिनके लिये आवश्यक है कि वे बालकों को स्वतंत्र मस्तिष्क से, धनाभाव के चक्कर में पड़े बिना शिक्षा दें, सरकार को इस बात को मानना चाहिये। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो १० एसोशियेटड कालेज हैं उनमें छात्रों की बहुत बड़ी संख्या है और उनकी पढ़ाई का एक ऊंचा स्टैन्डर्ड रहा है। इन कालेजज ने जिस प्रकार अनुशासन बनाया है और जिस प्रकार विद्यार्थियों की सेवा की है उसको देखते हुये नितान्त आवश्यकता इस बात की थी कि सरकार इस बात का ध्यान रखती। राधाकृष्णन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें भी इस बात पर जोर डाला गया है कि हमारे देश की परिस्थिति में यूनिटरी टाइप्स आफ यूनिवर्सिटीज बहुत कारगर नहीं हो सकतीं। उनकी जगह

[श्री चन्द्रजीत यादव]

पर फेडरेटिंग टाइप आफ यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। उस कमीशन के मन में यह भी शंका थी कि संभव है कुछ अध्यापकों को कुछ कम वेतन मिले, इसलिये उन्होंने अपनी रिपोर्ट के पेज ४१३ में एक वाक्य में लिखा था कि : "The essential thing for the success of the federating plan is that the college teachers must not be a subordinate class." लेकिन आज जो मौजूदा ऐक्ट यूनिवर्सिटी का है और इस बिल के पास होने के बाद भी जो ऐक्ट की शकल बनेगी उसमें एसोशियेटेड कालेज के अध्यापक सबार्डिनेट क्लास के अध्यापक ही रह जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का श्रेणी भेद किसी भी विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था में उचित नहीं है। यह एक आवश्यक और न्यायोचित मांग है, और सरकार को इसको ध्यान में रखना चाहिये। इसलिये मेरा आग्रह है कि यदि यह बिल प्रवर समिति में चला जायगा तो इसकी व्यवस्था इसमें हो सकती है।

दूसरी बात जो इस विधेयक में होनी चाहिये थी वह यह कि मेरा निश्चित मत है कि इसमें धारा २८ जो स्टैट्यूट का प्राविजन करती है वह विश्वविद्यालय ओटोनामी पर एक आघात है। जब सरकार इस बात को सिद्धांततः मानती है कि यूनिवर्सिटी ओटोनामी होनी चाहिये तो वह कैसे इस बात की व्यवस्था करती है कि जो स्टैट्यूटस् होंगे उनका ड्राफ्ट एक्जीक्यूटिव कौंसिल कोर्ट को भेजेगी। यूनिवर्सिटी कोर्ट अगर उनसे सहमत है तो चांसलर की असेंट के लिये उसके पास भेजेगा, असहमत होने पर फिर उसको वापस करेगा, एक्जीक्यूटिव कौंसिल को। लेकिन चान्सलर की असेन्ट हर हालत में आवश्यक है। स्टैट्यूट्स यूनिवर्सिटी के हित में हैं या नहीं इसके लिये चान्सलर की असेन्ट होना जरूरी है। अगर वह किसी प्रकार से उचित नहीं समझता है तो चान्सलर स्टेट्यूट्स को पास नहीं करेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि आज के डेमोक्रेटिक सेटअप के अन्दर एक व्यक्ति को इस प्रकार के अधिकार देना, जो कि मिनिस्ट्री की ऐडवाइस पर काम करता है, उचित नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था इस विधेयक के अन्दर होनी चाहिये।

तीसरी बात यह है कि ट्रेजरर का कार्यकाल इस बिल के मुताबिक ६ वर्ष का होगा। इसके बाद भी सरकार को इस बात का हक होगा कि वह उस पद को सुशोभित करे। जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास को जानते होंगे उनके मन में इस बात की शंका निश्चय ही होगी कि इस व्यवस्था के मुताबिक एक ऐसे अधिकार को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना, चाहे विश्वविद्यालय उसको चाहे या न चाहे वह उस पद पर बना रहे, कुछ औचित्य की बात नहीं है। वह ६ वर्ष तक उनके सिर पर बैठा रहेगा और उसके बाद भी वह रह सकता है। मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं है। जैसा इस विधेयक के द्वारा कोर्ट के मेम्बरों के ऊपर यह बन्धन लगाया गया है कि वह २ टर्म्स से ज्यादा नहीं रह सकते वह यहां भी निश्चयरूप से होना जरूरी था और इस कार्यकाल को ६ वर्ष से घटाकर ३ वर्ष किया जाता और इस बात की व्यवस्था की जाती कि एक बार से अधिक कोई व्यक्ति इस पद पर नहीं रह सकेगा।

चौथी बात यह है कि इस बिल में चान्सलर महोदय को लोगों के नामनिर्देशन का अधिकार दिया गया है। इसमें इस तरह का अधिकार होना चाहिये कि चान्सलर उसी व्यक्ति को नामिनेट करेगा जो एक ख्यातिप्राप्त और शिक्षाविद् होगा या हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। ऐसे लोगों का नाम इसमें होना चाहिये था। अनुभव यह बताता है कि इस अधिकार का प्रयोग करके लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसे व्यक्तियों का नामिनेशन हुआ है जो किसी भी हालत में उस पद पर जाने के योग्य नहीं थे। उन्होंने जाकर विश्वविद्यालय के वातावरण को और भी दूषित कर दिया। बजाय इसके कि वह अच्छा बनाते और विश्वविद्यालय के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति करते उन्होंने वहां दलगत राजनीतिक घुसेड़ने का प्रयत्न किया। मुझे भय है कि सरकार की इच्छा के मुताबिक ऐसे व्यक्ति भी वहां जा सकेंगे जो हरगिज उस पद की योग्यता नहीं रखते हैं। अपने उस अधिकार का प्रयोग करके चान्सलर ऐसे व्यक्ति को भी वहां भेज सकता है जो वहां जाने के योग्य नहीं है। मेरा निश्चित मत है कि इन सारी बातों की व्यवस्था इस बिल के अन्दर होनी चाहिये थी।

एसोसियेटेड कालेजों के अध्यापकों के बारे में मेरा एक निवेदन और है कि विश्वविद्यालयों के अन्दर बहुत सी ऐसी समितियां होती हैं, जैसे एकेडेमिक कौंसिल है, कोर्स के लिये कमेटी है, कोर्ट होती है, उनके अन्दर एसोसियेटेड कालेज के अध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व होना नितान्त आवश्यक है। वह भी उसी कमेटी के बनाये हुये कोर्स के अनुसार शिक्षा देते हैं। विश्वविद्यालय की जो समितियां होती हैं उनके अन्दर उनका प्रतिनिधित्व यदि न हो और वह उन तमाम सुविधाओं से वंचित रह जायं, यह उनके साथ न्याय नहीं है। प्राविडेन्ट फंड की सुविधा रूल्स के मुताबिक यदि उनको न हो जोकि विश्वविद्यालय के अध्यापकों को होती है और स्केल आदि की सुविधा भी उनको न मिले तो उनके साथ एक अन्याय है। अतः मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुये माननीय शिक्षा मंत्री इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने देंगे और समिति इस पर पूर्णरूप से विचार करके एक अधिक कम्प्रीहेंसिव बिल प्रस्तुत करेगी जिसे सदन पास करेगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की जनतांत्रिक पद्धति को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा पद्धति भी जनतांत्रिक हो। उसका मापदंड हमारे विश्वविद्यालय ही हैं। वहां का स्तर तभी ऊंचा हो सकता है जब वहां के अध्यापकों की मांगें स्वीकार की जावें। मैं इन संशोधनों के लिये मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री जी उन पर विशेष ध्यान देंगे।

कल राधाकृष्णन् रिपोर्ट का हवाला देते हुये मंत्री जी ने कहा कि वे ही एग्जीक्यूटिव के मेम्बरान के लिये कहते हैं कि एक टर्म के लिये चुने जावें। उन्होंने यहां दो टर्म्स रखी हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेजरर के पद के लिये एक्सेप्शन क्यों करते हैं? कल बहुत से मित्रों ने सर सैयद और मालवीय जी के नाम लेकर उसकी पुष्टि करनी चाही। उनका शिक्षा के लिये इतना अधिक कन्ट्रीब्यूशन था कि उनका नाम लेकर तुलना करना, मैं समझता हूं उनका अपमान करना है। वे तो बहुत प्रतिष्ठित माने जाते थे और उनका नाम इस तुलना के लिये लेना उनकी आत्मा को अशांति पहुंचाना होगा। यह भी कहा गया कि टर्म का प्रश्न किसी एप्वाइंटमेंट में होता है, चुनाव में नहीं। अगर सभी लोग इतने देश सेवा प्रेमी होते तो आज इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं होती। जहां तक समानता का प्रश्न है, ट्रेजरर के लिये भी वही होनी चाहिये।

विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव में जो लोग शिक्षा के प्रेमी हैं वे ही आने चाहिए, जिनका शिक्षा में नाम है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं और मुझे मालूम है कि वहां बैंक के मैनेजर और मोटर कम्पनियों के नुमाइदे लिये जाते हैं। इनका शिक्षा संस्थाओं से क्या सम्बन्ध है, मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

जहां तक बिल की धारा २ का प्रश्न है, टीचर्स की परिभाषा क्लाज (जी) में की गई है, मैं उसके लिये माननीय मंत्री जी का आभारी हूं और उनकी मंशा को इस तरह से समझ सका हूं कि वह एक ग्रेड में लाना चाहते हैं यानी एक प्रोफेसर और दूसरे असिस्टेन्ट प्रोफेसर। मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एसोसियेटेड कालेजों के टीचर्स को भी एसिस्टेंट प्रोफेसर का डेजिगनेशन दिया जाय। वेतन के लिये मंत्री जी कह सकते हैं कि रुपया नहीं है मगर डेजिगनेशन देने में तो रुपया नहीं लगता है। वे भी वही शिक्षा देते हैं जो कि विश्वविद्यालय के टीचर देते हैं। जो फैसीलीटीज विश्वविद्यालय के टीचर्स को हैं, जैसे लाइब्रेरी और मेडिकल, वही एसोसियेटेड कालेजों के टीचर्स को मिलनी चाहिए। ये दोनों बातें एक टीचर के लिये परमावश्यक हैं। पे स्केल को रिवाइज करने से भी ज्यादा जरूरी है कि एक टीचर को ये फैसिलीटीज अधिक से अधिक मिलनी चाहिए।

कल बहुत से मित्रों ने कन्स्टीट्यूऐंट कालेजों के बारे में कहा हमारा मेडिकल कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही एक अंग है और यह २ ग्रेड का सिस्टम वहां भी लागू करना चाहिये। वह भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्तर्गत आता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना

[श्री प्रताप सिंह]
करूंगा कि मेडिकल कालेज अस्पताल में सरकार का कंट्रोल अधिक होना चाहिये, यद्यपि विरोधी पक्ष से यह बात सुनकर आश्चर्य अवश्य होगा। वहां आज कल क्या हो रहा है, उसकी ओर शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें।

टीचर्स की परिभाषा जो क्लाज २ के अन्तर्गत (J) में की गई है, उससे एसोशियेटेड कालेजेज के और कंस्टीट्यूऐंट कालेजेज के तमाम टीचर्स उसमें आत ह। फिर मूल ऐक्ट में धारा (एच) को रखने की क्या आवश्यकता है? इस धारा से सारा मामला उल्टा हो जाता है। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि (एच) धारा को निकाल देना चाहिये, क्योंकि यह रिडैन्डेंट है। इससे असमानता आती है। कहीं ऐसा न हो कि यहां ऐक्ट तो बन जावे मगर फैसीलिटीज न दी जावें। जनतांत्रिक पद्धति में परम आवश्यक है कि हमारे टीचर्स का स्तर समाज के किसी भी व्यक्ति से ऊपर होना चाहिये।

मैं यह भी समझ रहा था कि इस विधेयक में कहीं इस पर भी जोर दिया जाता कि ऐथीकल सैंस पर विशेष ध्यान दिया जाय। हमारी शिक्षा का स्तर तब तक ऊंचा नहीं हो सकता जब तक कि हम नैतिकता की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे।

एसोसियेटेड कालेजेज के पे स्केल को रिवाइज किया जाय और उनके प्राविडेंट फंड रूल्स विश्वविद्यालय के जैसे होने चाहिये।

अन्तिम निवेदन मुझे यह करना है कि इसे प्रवर समिति में न भेज कर जल्दी पास किया जाय। विरोधीदल की भावनाओं को मंत्री जी ने माना इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

यूनिवर्सिटी का कंट्रोल एसोशियेटेड कालेजेज में अधिक होना चाहिये। मैंने देखा है कि १५० रु० के पार्ट टाइम लैक्चरर से वहां डिग्री क्लासेज पढ़वाई जाती हैं। १५० रुपये पाने वाला अध्यापक कितनी दिलचस्पी से बी० ए०, एम० ए० को पढ़ावेगा? इससे अध्यापकों का सम्मान और पढ़ाई दोनों गिरते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को यहीं जल्दी से पारित किया जाय।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय ऐक्ट के सम्बन्ध में जो यह संशोधन बिल आया हुआ है, उस पर कल से विचार हो रहा है। मुझे माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना है जिन्होंने इस संशोधन बिल पर अपने विचार प्रकट किये। मुझे और भी कृतज्ञता प्रकट इसलिये करना है कि जो भी सुझाव दिये गये वे क्षमतापूर्वक दिये गये और इसलिये दिये गये कि यह बिल उन्नत हो तथा विकसित हो। जो वाद विवाद हुआ उसमें कोई मौलिक प्रश्न नहीं उठाये गये, केवल तफसील की बातों के ऊपर कुछ इधर-उधर के सुझाव दिये गये।

एक बात यह कही गयी कि यह बिल ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। मुझे खेद है कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपने को समर्थन कर सका और मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं माननीय गोविन्द सिंह जी और माननीय रामायण राय जी के प्रति कि उन्होंने अपने इस प्रकार के प्रस्ताव वापस ले लिये। सौभाग्य की बात है कि माननीय अवस्थी जी ने अपना स्थान बदल दिया है, आशा है वे अपना मत भी बदल देंगे और अपने प्रस्ताव को वे वापस ले लेंगे जिससे इस बिल पर यह सदन विचार कर सके। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत बड़ा बिल नहीं है जिसको प्रवरसमिति में भेजने की आवश्यकता प्रतीत होती हो। जैसा कि हमारे भाई गोविंद सिंह जी ने कहा था कि इसमें कोई बड़ा भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हो रहा है जिसके लिये उस पर अधिक विचारविमर्श की आवश्यकता हो। एक खास आवश्यकता को पूरी करने के लिये इस बिल को लाने की जरूरत हुई। हमारे टिचर्स के कई ग्रेडस थे जिनको हटाकर उसका विभाजन दो ग्रेड्स में किया गया तथा उनके वेतन और पुरस्कार के बारे में स्पष्टीकरण किया गया तथा उसके अनुसार ही स्टेट्यूट्स में भी परिवर्तन होगा। इस विचार से यह बिल लाया गया है। कुछ और भी चीजें थीं जिनको हमने अपने अनुभव के आधार पर और यूनिवर्सिटी के

हित में यह समझा कि जल्दी से उसमें परिवर्तन हो जाय तो अच्छा होगा, वह परिवर्तन हम उसमें ले आये। मैं समझता हूं कि अब इसमें विलम्ब करने से कोई बड़ा भारी लाभ न होगा और जितना समय इस पर विचार करने के लिये सदन को मिल गया है उतने समय में उस पर हर पहलू से विचार हो गया है। इसलिये नम्रतापूर्वक मैं माननीय अवस्थी जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह भी अपने प्रस्ताव को वापस ले लें जिससे इस बिल पर विचार हो सके।

इस पर जो बहस हुई उसमें खासतौर पर पर दो तीन बातें कही गयीं। एक तो हमारे राजनारायण जी का भाषण था। उससे मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा पुराना ऐक्ट था उसको वे भूल गये और जो अमेंडिंग बिल आया है उसका भी उन्होंने पूरे तरह से अध्यन नहीं किया। उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि आप ग्रेजुएटस का चुनाव तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के मुताबिक कर रहे हैं लेकिन टीचर्स का चुनाव कैसे होगा। यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जो टीचर्स आते है उनका चुनाव कैसे होगा? वे भूल गये कि स्टेट यूट्स में यह दिया हुआ है कि टीचर्स का एलेक्शन नहीं होगा। तो एलेक्शन को एवायड किया गया है और रोटेशन का तरीका अपनाया गया है कि बाई सिनियारिटी जो डीन प्रोफेसर्स, प्रोवोस्ट और डेलिगेसी के रेप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वे रोटेट करते जायेंगे और एक टर्म के बाद दूसरे टर्म के लिये स्वतः निर्वाचन होता जायगा। किसी एलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा उन्होंने अधिकार लेने की बात भी कही कि आप बड़ा अधिकार ले रहे हैं। खासकर स्टेट्यूस बनाने का, साल भर का अधिकार जो इसमें मांगा गया है, उस पर उन्होंने काफी आपत्ति की है, लेकिन उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कोई बड़ी भारी आवश्यकता नहीं थी कि हम स्टेट्यूट्स बनाने के अधिकार को अपने हाथ में लेते। यह हमने वाइस चांसलर और टीचर्स के आग्रह से लिया। इसका कारण यह है कि जो परिवर्तन हो रहा है ग्रेडस में, उसके मुताबिक जो ऐक्ट में परिवर्तन होगा, उसी का परिणाम हुआ कि स्टेट्यूट्स में परिवर्तन करना होगा। जब तक वह नहीं होगा तब तक कदाचित् उस ग्रेड को भी लागू करने में दिक्कत पड़े। यह सीधी बात है कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टेट्यूट्स पहले बना चुके थे और नियम यह रहा है कि एक बार स्टेट्यूट्स बनने के बाद फिर कोई परिवर्तन उसमें करना हो तो वह यूनिवर्सिटी करे। सरकार एक बार स्टेट्यूट्स बना कर फिर अपना अधिकार यूनिवर्सिटी को समर्पित कर देती है और वह दूसरा स्टेट्यूट्स अपने काम के लिये बनाना चाहती है तो उसे बनाकर चान्सलर के पास भेज देती है कि उसे स्वीकार किया जाय। तो साधारणतः जो स्टेट्यूट्स बनाना था, वह यूनिवर्सिटी को ही बनाना चाहिये था, परन्तु वह जल्दी नहीं बना सकती थी क्योंकि कोर्ट वगैरह जो बड़ी भारी बाडी होती है, उसके सामने यह जाता और फिर उसमें बहुत समय लगता। मैंने इस विषय पर वाइस चांसलर से बातचीत की थी, उन्होंने यह आग्रह किया था कि स्टेट्यूट्स परिवर्तन करने का अधिकार गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले और तदनुकूल उसमें परिवर्तन करके फिर उसे यूनिवर्सिटी के पास भेज दे। इस प्रकार नियमतः भविष्य में यूनिवर्सिटी के अधिकारी उसको बदलते रहेंगे।

मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, नाम तो मैं नहीं लूंगा लेकिन एक दो ने तो मुझसे यहां तक कहा कि ३ साल के लिये आप स्टेट्यूट्स का अधिकार ले लें क्योंकि इससे कार्य जल्दी हो सकेगा। तो स्टेट्यूट्स बनाने के अधिकार लेने की बात जो कहीं गयी है, ऐसा करने में सरकार का किसी तरह से हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है, बल्कि वह तो सुविधा की दृष्टि से और इस दृष्टि से कि हम उसको जल्दी कर दें, और स्वयं उन लोगों ने ही सुझाव दिया। आप देखेंगे कि जो आर्डिनेंस निकला था, उस आर्डिनेंस में भी स्टेट्यूट्स मेकिंग पावर हमने लिया। मैं समझता हूं कि इसमें स्वयं यूनिवर्सिटी की राय रही है, इसमें कोई भय की बात नहीं है।

एक बात और कही गयी कि सरकार यूनिवर्सिटी के टीचर्स में भेदभाव करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनसे मेरी स्वतः पूरी सहानुभूति है। मैं भी समझता हूं कि जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं और जो उन क्लासेज को पढ़ाने

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

वाले टीचर्स एसोसियेटेड कालेजों में हैं, जिनकी परीक्षा यूनिवर्सिटी में होती है, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिये। वैसे अक्सर यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स होते हैं, वे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को भी पढ़ाते हैं, रिसर्च का काम भी करते हैं, रिसर्च भी कंडक्ट कराते हैं। जितने ऐसोशियेटेड हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज नहीं होते हैं। फिर इसमें सन्देह नहीं कि जो अध्यापक एसोशियेटेड कालेज में पढ़ाते हों या एफीलियेटेड कालेजेज में पढ़ाते हों वह भी टीचर हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले भी टीचर हैं उनमें कोई भेदभाव न हो यह एक अच्छा सिद्धान्त है और जो संशोधन किया गया है टीचर्स की व्याख्या में उसमें साफ कहा गया है कि टीचर वह है जो इनवलूड करता है टीचर की परिभाषा में, वह एफीलियेटेड कालेज के हों, एसोशियेटेड कालेज के हों, कांस्टीटुएंट कालेज के हों चाहे यूनिवर्सिटी केटेगरी के हों। भेद तब आता है जब पैसे का सवाल आता है, केवल पैसे का सवाल हमारे सामने है, हमारे सामने तमाम डिग्री कालेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती अगर हम सब के ग्रेड्स एक कर सकते। हमें चिन्ता भी ऐसी है, लेकिन तत्काल ऐसा कर सकना हमारे लिये अभी सम्भव नहीं दिखाई देता और कदाचित् ऐसा कुछ दिनों तक अभी हम कर भी नहीं सकते। इस विषय पर हमने गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की चेष्टा की है और तफसील भी जानने की कोशिश की है और यदि इस सरकार के लिये किसी समय भी इस भेद को मिटाना सम्भव हुआ तो हम उस दिशा में सोंच सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा और उसका स्टेट पर क्या फल आता है और आया डिग्री कालेजेज के लिये इतना व्यय करना मुमकिन भी होगा या नहीं। अभी पूरी तफसील और नकशा इसका हमारे सामने नहीं आया है पर हमने इतना अवश्य समझा है कि उसका बड़ा भारी बोझा पड़ता है फिर भी यदि हम किसी सीमा तक इस दिशा में जा सकते हैं तो हमारी पूरी सहानुभूति इस ओर है और इस पर हम सचेष्ट रूप से अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव करने का हमारा इरादा नहीं है और ऐसे भेदभाव में हम विश्वास भी नहीं करते।

अब एक बड़ा भारी प्रश्न यह था कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर्स के लिये ६ साल की अवधि लगाई जाय और उसमें यह तर्क उपस्थित किया गया कि यह तो एक प्रतिबन्ध एलेक्ट करने वालों के ऊपर लगा दिया गया है, इससे कोर्ट के मेम्बर जो उनको चुनते हैं उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया है कि फलां आदमी को यद्यपि वह उचित समझते हैं लेकिन उसको वह नहीं चुन सकते क्योंकि वह ६ साल तक रह चुका है। यह आपत्ति की गई है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि किसी पर प्रतिबन्ध लगाने के विचार से यह चीज नहीं रखी गई है, केवल एक उसूल और सिद्धान्त की बात समझ में आती है और वह यह कि यूनिवार्सिटी में प्रायः पदाधिकारियों के लिये और टीचर्स या डीन्स के लिये एक टर्म के बाद दूसरे टर्म में आने के विषय में कुछ प्रतिबन्ध सा है। टीचर्स में और बाहर के सदस्यों में एक पेरिटी-उनकी मेम्बरशिप सीनियारिटी से रोटेट करती है। डीन्स जो एक बार हो जाते हैं दूसरी बार नहीं होते। वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल में नहीं आते। एक प्रकार का निषेध सा है इन्टरनल मेम्बर्स पर। पेरिटी के खयाल से ही हमने इस प्रकार के प्रतिबन्ध को रखने की चेष्टा की और ६ साल का एक ऐसा समय होता है कि एक छोटा सा गैप हो जाय उसके बाद वह फिर चुने जा सकते हैं।

यह बात भी कही गई कि टीचर्स को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। मैं स्वयं इस सिद्धान्त का समर्थक हूं और मैं समझता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े अध्यापक हैं, उनका अधिकतर समय पठनपाठन और शिक्षा के कार्य के संचालन में लगना चाहिये।

मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे देश में वह समय आ गया है जब शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा करना, चरित्र के निर्माण के लिए, उस संतति के निर्माण के लिए जो भविष्य में बोझा उठाने वाली है, यह आवश्यक है कि हमारे अध्यापकों का अधिक से अधिक समय यूनिवर्सिटी के वातावरण को बनाये रखने में, जिसमें पठन-पाठन चल सकता हो, और उसको उन्नति करने में लगना चाहिये। मेरी ऐसी धारणा है कि यह एक ऐप्रोच इस बिल के द्वारा

करने की मैंने चेष्टा की है । मैं ऐसा समझता हूं कि किन्हीं कारणों से यदि अध्यापकों के मन में किसी प्रकार का भी क्षोभ रहा हो, चाहे उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर कुछ रही हो, तो हम एक बार क्यों न एक दूसरे ऐंगिल से चेष्टा करें और वह यह कि हम अपनी ओर से एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिसमें अध्यापकों से यह कह सकें कि आपके लिए एक अवसर हमने उत्पन्न किया और हमने अपने कर्तव्य का पालन किया । अब जो आपके ऊपर उत्तरदायित्व और कर्तव्य है उसको पालन करने में आप चेष्टा करें, शिक्षा के स्तर को उन्नत करे, अनुशासन और विनय को बनाये रखने की चेष्टा करें, यूनिवर्सिटी के वातावरण को शुद्ध करने की चेष्टा करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसकी महत्ता उसकी बड़ी-बड़ी इमारतों से हो । यह एक ऐसी संस्था है जिस का प्राण तो अध्यापक है, अंग छात्र हैं, पठन-पाठन उसकी भावना है । यदि अध्यापक यूनिवर्सिटियों में न हों, और ऊंचे तबके के लोग न हों कितनी भी बड़ी इमारत और संस्था हो उसका महत्व घट जाता है । इस बात को हमारे अध्यापक भी अनुभव करें और हम भी यूनिवर्सिटियों में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें जिससे उन्हें इस बात का भास हो कि अब उनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी आती है । हमने अपनी ओर से यदि कुछ किया तो वह अपनी ओर से अपने कर्तव्य का पालन करें और अपनी जिम्मेदारी को समझें । मैं अधिक समय नहीं लूंगा । समय रहा भी नहीं । केवल प्रार्थना यह करूंगा कि जिस स्पिरिट में, जिस भाव से, इस बिल को आपकी आज्ञा से सामने ले आने की हमने चेष्टा की है उसे देखते हुए एक मौका दें । अब इसमें विलम्ब न हो, इसको स्वीकार करें । ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें कुछ त्रुटियां दोष न हो । मनुष्य चेष्टा करता है । उसके कुछ परिहार और संशोधन की । उस प्रकार की चेष्टा है और इसमें मेरी एक अपील कहिए, विनम्र प्रार्थना कहिए, आपकी आज्ञा से उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य से भी और इस के बाहर जो हमारे अध्यापक हैं जिनके ऊपर शिक्षा की जिम्मेदारी है, उनसे भी, कि जिस स्पिरिट में यह विधेयक लाया गया है उस प्रकार का वातावरण करने की चेष्टा करें जिसके बिना हमारे देश की शिक्षा के कार्यक्रम और पद्धति में चाहे कितने भी कानून बनाये जायं, सुधार सम्भव नहीं होगा और मुझे आशा है कि जिस रूप में मैंने इस बिल को आपके सम्मुख रखने की चेष्टा की है, जो विचार मैंने व्यक्त किये हैं उन्हें देखते हुए अवस्थी जी अपने उस संशोधन को भी वापस लेंगे और मान्यवर, सदन की आज्ञा से इस के खंडों पर विचार हो ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय श्री गोविन्द सिंह विष्ट और श्री रामायणराय ने अपने संशोधन वापस ले लिये हैं । इसलिये मैं उन दोनों संशोधनों को वापस लेने के लिए एक साथ सदन का मत ले लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जायं ---

"१---लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ जनवरी, १९५८ तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।"

"२---लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति को सिपुर्द किया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट अगले १ मास के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमान उपाध्यक्ष जी, यद्यपि मुझे इस बात का खेद है कि जिस शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न शिक्षकों के प्रति जो विभेद हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा आज महसूस हो रहा है उसकी ओर मैंने इंगित किया था, उसका यद्यपि

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो भी मैं इस बिल में अध्यापकों में संतोषजनक उन्नति का कोई विरोध नहीं प्रकट करना चाहता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय :

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो विधेयक की परिधि बढ़ा सकने का अधिकार रखे तथा अपना प्रतिवेदन २५ जनवरी, १९५८ तक प्रस्तुत कर दे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब प्रश्न यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ [Lucknow University (Amendment) Bill, 1957] पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ तथा ३

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २ का संशोधन ।

२---लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० (जिसे एतत्पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा जायगा) की धारा २ के खण्ड (जी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(g) 'Teacher' means a person, employed by the University, a constituent college, an associated college or a Hall for giving instructions or guiding or conducting research in any subject of the courses of study taught therein."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४ का संशोधन ।

३---मूल अधिनियम की धारा ४ के खण्ड (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(6) to institute teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts."

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि । खंड २ में प्रस्तावित धारा २ (जी) की पंक्ति १ में शब्द "Teacher" के पहले शब्द "University" रख दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के सामान्य विवाद में बोलते हुए मैंने माननीय शिक्षा मंत्री को इस बात के लिये .....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रथम खंड में एक संशोधन प्रस्तुत किया था कदाचित् उसकी आज्ञा मिल गई ....

श्री उपाध्यक्ष---प्रस्तावना और प्रथम खंड बाद में लिये जाते हैं, उस समय उसका नम्बर आयेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं यह अर्ज कर रहा था कि सामान्य विवाद के समय मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद दिया था कि वह यह संशोधन लाये जिसमें कई अच्छे सुधार किये जा रहे हैं । अब मैं उनको इस बात पर बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मोतीलाल अवस्थी से अपना संशोधन वापस लिवाने में उन्हें सफलता मिली और उसे वापस लेने के लिये माननीय मोतीलाल अवस्थी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मेरा संशोधन उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये है कि "टीचर" की परिभाषा से यूनिवर्सिटी टीचर और टीचर में जो भेदभाव किया गया है वह न रहे। क्योंकि मैं समझता हूं यह भेदभाव न्याय संगत और न्याययुक्त कदापि नहीं है। इनके इस भेद के कारण उन अध्यापकों के साथ अन्याय होता है जो कान्स्टीटुएन्ट और ऐसोसिएटेड कालेजों में कार्य करते हैं। उनका काम वही है, लेकिन उनको उसी काम को करने पर भी वेतन कम मिलता है, भिन्न होता है। और इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय की अनेक संस्थाओं में, कोर्ट में, ऐकेडेमिक कौन्सिल में और कमेटियों में इन सब में, फैकल्टीज में, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। यह भेदभाव मेरी समझ में नहीं आता कि कहां तक ठीक है। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी सिर्फ कैनिंग कालेज नहीं है, उसमें कैनिंग कालेज के अलावा २ कांस्टीट्यूएंट कालेजेज हैं और १० ऐसोशियेटेड कालेजेज हैं। तो कांस्टीट्यूएंट कालेजेज और ऐसोशियेटेड कालेजेज के टीचर्स को भी उसमें वही अधिकार होना चाहिये जो यूनिवर्सिटी टीचर्स को अधिकार हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने स्वयं यह कहा कि उनकी इन टीचर्स के साथ सहानुभूति है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन उन्होंने बताया कि उनमें और विश्वविद्यालय के अध्यापकों में दो भेद हैं। एक भेद तो यह है कि सब कालेजेज में पोस्ट-ग्रेजुएट नहीं होते और वहां के टीचर्स को पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज को पढ़ाना नहीं पड़ता। दूसरा भेद यह है कि वहां रिसर्च का काम भी नहीं होता जैसा कि यूनिवर्सिटी में होता है। मैं यह मानता हूं कि यह दोनों भेदभाव सही हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी बात यह होगी कि आप यह कर दें कि जो पोस्ट ग्रेजुएट-क्लासेज को पढ़ाते हैं और जो रिसर्च वर्क करते हैं वे चाहे यूनिवर्सिटी में हों या कांस्टीट्यूएंट या एफिलियेटेड कालेजेज में हों, उनके वेतन में कोई भिन्नता हो तो वह थोड़ी सी भिन्नता उनके काम के वर्गीकरण और श्रेणी की वजह से हो। लेकिन केवल इसलिये कि किसी जगह पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज न हों और रिसर्च का काम न हो इसलिये उन कालेजेज के टीचर्स को कम तनख्वाह देना और तनख्वाह के अलावा प्रतिनिधित्व न देना यह किसी तरह से मुनासिब नहीं मालूम होता।

वेतन के मामले में माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि कठिनाई है। जो भेदभाव मैंने बतलाया है उस भेद भाव पर विचार अगर माननीय मंत्री करेंगे तो जो कठिनाई इस समय प्रतीत हो रही है वह कम हो जायगी और उस हालत में शायद उनके लिये संभव हो सकेगा कि इस कमी को वह दूर कर सकें। लेकिन प्रतिनिधित्व के देने में जो भेदभाव है इसमें तो पैसा भी खर्च नहीं होता। उसका कारण माननीय मंत्री ने नहीं बतलाया कि वे इस भेद भाव को क्यों नहीं दूर कर रहे हैं।

कांस्टीट्यूएंट और एफिलियेटेड कालेजेज के जो अध्यापक हैं और यूनिवर्सिटी के अध्यापक जो हैं इन दोनों की नियुक्ति जो होती है उसमें सब बातों में समानता होती है। उनकी नियुक्ति का आधार एक ही है। एक ही सेलेक्शन कमेटी उनका चुनाव करती है। उसमें वाइस-चांसलर होता है, विभागीय अध्यक्ष होते हैं, एक आध एक्सपर्ट भी होते हैं और इस तरह से ये नियुक्तियां की जाती हैं और नियुक्ति के साथ-साथ इन टीचर्स को स्टैंडर्ड भी वही मेंनटेन करना होता है जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को करना होता है। बल्कि सही बात तो यह है कि उनके पास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के मुकाबले में कुछ जिम्मेदारी ज्यादा होती हैं। जिम्मेदारी इसलिये ज्यादा होती है कि इन कालेजेज के पास वे सुविधायें, इक्विपमेंट्स नहीं होते जो युनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड हैं। ऐसी हालत में इन टीचर्स को वेतन कुछ कम दिया जाना किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता। जब फेसिलिटीज और इक्विपमेंट की कमी है तो बजाय इसके कि उनको पुरस्कार मिले उन्हें सजा दी जाती है और वेतन कम दिया जाता है।

कैनिंग कालेज में फर्स्ट डिवीजन और सेकिंड डिवीजन के विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं और जिनको कैनिंग कालेज में भर्ती नहीं मिलती तो वह तलछट कांस्टीट्यूएंट और एफिलियेटेड कालेजेज में जाती हैं और इन कालेजेज के टीचर्स को अपनी परीक्षा के परिणामों में वही प्रतिशत दिखानी पड़ती है जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स अधिक

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

इक्विपमेंट और अच्छे विद्यार्थी होने पर दिखा पाते हैं । तो यह और भी उनके लिये प्रशंसा की बात है । उनके साथ कम से कम यह न्याय तो अवश्य होना चाहिये, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये कोर्ट में, एकेडेमिक कौंसिल में, फैकल्टीज में, कमेटी आफ कोर्सेज में । वेतन के बारे में यही उचित है जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा कि जो पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज को पढ़ाते हैं और जो रिसर्च का काम करते हैं उनको अधिक वेतन दिया जायगा और बाकी टीचर्सको चाहे वह यूनिवर्सिटी के हों या कांस्टीटुएन्ट कालेजेज के हों, उनको एक ही प्रकार का वेतन मिलेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जायगा । यदि ऐसा रखा जायगा तब तो ठीक होगा अन्यथा भेदभाव रखने से न्याययुक्त नहीं रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---आपको बाद को बोलने का मौका मिलेगा । माननीय शिक्षा मंत्री जी का रुख संशोधन पर मालूम हो जाय तो आपको भी सहूलियत होगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी और कदाचित स्पष्ट भी नहीं हुआ कि यह क्यों प्रस्तुत किया गया है । केवल यह परिभाषा जो टीचर्स की दी गई है उसमें न तो कोई भेदभाव का अर्थ है और न कोई वेतन का ही ताल्लुक है । मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (जी) में परिभाषा दी हुई है ।

"Teachers include Professors, Readers, Lecturers and other persons imparting instructions in the University or in any Associated College, Constituent College or Hall....."

क्योंकि अब रीडर्स, लैकचरर्स वगैरा का कोई स्तर नहीं रहेगा इस लिये एक कम्प्रेहेंसिव या सर्वांगीण परिभाषा कर दी गई है । जो प्रपोजल है उसमें परिभाषा इस तरह की दी हुई है कि---

"Teacher" means a person, employed by the University, a constituent college, an associated college or a Hall for giving instructions or guiding or conducting research in any subject of the courses of study taught therein."

यह जो पालीवाल जी कह रहें हैं, मैं समझता हूं कि उसी के मुताबिक यह परिभाषा कर दी गई है । अब आपने कहा कि कांस्टीटुऐंट कालेजेज में पढ़ाने वाले टीचर्स को भी यूनिवर्सिटी टीचर्स कहा जाय तो जो ओरिजनल ऐक्ट के सेक्शन २ का (एच) है, उसको देखिये । उसमें लिखा है कि ---

"Teacher of the University means a person appointed and paid by the University for imparting instructions or conducting research in the University or a Constituent college maintained by the University."

अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक कान्स्टीटुएन्ट कालेज, मेडिकल कालेज लखनऊ है जिसे विश्वविद्यालय मेनटेन करता है उसके टीचर तो इसमें शामिल हैं जो आप चाहते थे । कांस्टीटुएन्ट कालेज और हाल सबको इकट्ठा किया है और वह मौजूद है । इसलिये इसकी कोई आवश्यकता रहती नहीं है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जैसा कहा है यहां पर यूनिवर्सिटी शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है । यहां पर केवल टीचर्स की परिभाषा की गई है । यूनिवर्सिटी टीचर्स की परिभाषा खंड (एच) में मौजूद है । इसलिये अगर दूसरी परिभाषा करें और पहली परिभाषा भी रहे तो दोनों में विरोध हो जाता है । यहां पर मंशा यह है कि टीचर्स की परिभाषा की जाय और यूनिवर्सिटी टीचर्स की न की जाय जो मौजूद है । इसलिये मैं समझता हूं कि टीचर्स शब्द से पहले यदि शब्द यूनिवर्सिटी स्वीकार कर लेंगे तो विरोध पैदा कर देगा । इसलिय इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी का भाषण मैंने बड़े गौर से सुना । उन्होंने यह कहते हुये कि कोई भेद भाव नहीं है उस संबंध में कोटेशन्स भी सुनाये । मुझे इसलिये आवश्यकता प्रतीत हुई कि उनमें से एक कारण तो यह है कि मूल अधिनियम में जो परिभाषा दी हुई है उसमें टीचर्स की परिभाषा और यूनिवर्सिटी टीचर्स की परिभाषा अलग-अलग दी हुई है । अगर दोनों एक हैं तो एक ही धारा में दोनों की अलग-अलग परिभाषा क्यों की गई है ? एक तो मैं यह जानना चाहूंगा और अगर अलग-अलग परिभाषा की गयी है तो इसका क्या मन्शा था ? इससे अगर विरोधाभास होता है तो वह तो पहले से ही मूल अधिनियम में मौजूद है । उसे माननीय जयराम वर्मा जी पढ़ें तो उनकी समझ में आ जायगा ।

इसके अलावा असल बात तो यह है कि जो परिभाषा इस वक्त की गयी है और जिसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह ज्यादा कम्प्रिहेन्सिव है उस परिभाषा में इन टीचर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर होने का अधिकार जैसे यूनिवर्सिटी टीचर्स को होता है वैसे ही इनको भी होगा या नहीं ? अगर यह भेदभाव रहता है तब तो दो भिन्न-भिन्न श्रेणियां हो गयीं । तो जैसा मैंने कहा कि मोटे तौर पर अब तक जो तीन भेद हैं वे हैं या नहीं यह माननीय शिक्षा मंत्री बतायें । मेरी सूचना के अनुसार तीन भेद हैं और वह यह कि कांस्टीटुएंट कालेजेज और एसोशियेटेड कालेजेज के टीचर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर होने का राइट नहीं है । नम्बर २ यह कि जैसा मैंने पहले कहा कि यूनिवर्सिटी कोर्ट में, यूनिवर्सिटी एकेडेमिक कौंसिल में, फ़ैकल्टीज में और कमेटी आफ कोर्सेज वगैरह में उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता । और तीसरा भेदभाव वेतन का है जो स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया । तो इन तीनों भेदभावों के होते हुये इस परिभाषा से वे नहीं मिटते हैं और मूल अधिनियम में टीचर और यूनिवर्सिटी टीचर की परिभाषा अलग-अलग दिये जाने पर भी इस परिभाषा से वे भेद दूर हो जाते हैं । इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय पालीवाल जी ने जो स्पष्टीकरण किया उसके प्रकाश में तो मुझे इस संशोधन को स्वीकार करना और कठिन हो गया है । इस कारण कि यह एक दूसरे प्रकार से टीचर की परिभाषा करके आपकी मन्शा यह है कि जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स नहीं हैं उनको भी वेतन की दृष्टि से और जो दूसरी यूनिवर्सिटी की बाडीज बनती हैं उनकी दृष्टि से भी समान अधिकार मिल जायं । यह तो स्वीकार नहीं कर सकता इसके लिये तो अलग से ही बिल आये, तब स्वीकार हो सकता है ।

जैसा मैंने कहा, भेदभाव इस माने में नहीं है कि टीचर की परिभाषा में यह लिख दिया गया है कि टीचर वे सब लोग हैं जो एसोशियेटेड और कांस्टीटुएंट कालेज में हैं । यूनिवर्सिटी टीचर की परिभाषा यह हो गयी कि जिसे यूनिवर्सिटी से वेतन मिले और जो उसमें काम करता हो । अगर इसके आगे यह जोड़ दिया जाय कि जितने भी टीचर्स एफिलियेटेड कालेजेज में या एसोशियेटेड कालेजेज में हैं वे सब यूनिवर्सिटी टीचर्स मान लिये जायं तो यह तो इस बिल के स्कोप को बहुत काफी बढ़ा देना होगा और वह एक ऐसी चीज है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ (जी) की पंक्ति १ में शब्द "Teacher" के पहले शब्द "University" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

यू० पी० एक्ट ५, १९२० की धारा ११ का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा ११ में :—
(१) उपधाराएं (५) और (६) निकाल दी जायं; तथा
(२) उपधारा (८) में शब्द "Clause (*a*) of sub-section (5) or" निकाल दिये जायं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (५) के रूप में रखा जाय तथा बाद के उपखंडों में तरतीबवार नम्बर ६, ७, ८ रखे जायं—

"The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regarding the appointment, dismissal and suspension of officers and teachers of the University and shall exercise general supervision over the educational arrangements of the University. He shall be responsible of the discipline of the University in accordance with the Acts, the Statutes and the Ordinances."

श्रीमन्, मेरा यह संशोधन बहुत साधारण सा है । इसमें एक संशोधन तो उपखंडों के क्रमांकों को बदलने का है । यह केवल शाब्दिक है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे । इससे उपखंड सब तरतीबवार हो जायेंगे और बीच में उपखंड ५ और ६ के सामने डिलीटेड, नहीं रह जायगा ।

जहां तक दूसरे का सवाल है, उसके संबंध में धारा ११ की जो डिलीटेड सब-सेक्शन्स हैं उनमें वाइसचांसलर को कई अधिकार दिये गये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—मूल अधिनियम की उपधारा ५, ६ में तो वाइसचांसलर को जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया था वह इस विधेयक के जरिये से निकाला जा रहा है और आप ५ के बजाय यह रख देना चाहते हैं और बाद के उपखंडों के क्रमांक बदलना चाहते हैं । तो स्पष्ट नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं । उसको अनुशासन संबंधी कार्यवाही का हक रहे या नहीं ? अगर नहीं रहे तो आपका संशोधन बेकार सा हो जाता है । यह तो वाइसचांसलर का फर्ज होता है कि वह कार्य समिति के आदेश के मुताबिक कार्य करे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं (५) को कतई डिलीट करना चाहता हूं । (५) और (६) पुराने, डिलीट हो जायं, लेकिन उस (५) की जगह मैं चाहता हूं कि यह मेरा नया क्लाज रखा जाय और बाकी सारे उपखंडों को तरतीबवार रख दिया जाय क्रमांक बदल कर । श्रीमन्, उनके डिजिट्स बदल जायंगे और कोई फर्क नहीं होगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं समझता हूं कि गोविन्दसिंह जी का जो संशोधन है वह मेरे संशोधन को नलीफाई करता है, उससे बाहर चला जाता है । यह इस तरह से कि जो सेक्शन ११ है उसमें से हम ५ और ६ निकाल दें तो ४ और ७ उसमें रहेगा । आप ४ में देखें कि वाइसचांसलर को एक जनरल कंट्रोल ओवर दि एफेयर्स आफ दि यूनिवर्सिटी है और ७ में उसको इमरजेंसी पावर्स हैं । तो इन दोनों को रख कर बीच में जो अधिकार उसको दिया गया था कि हाईकोर्ट के जजेज की वह एक कमेटी बना ले, उसको निकाल दिया इस विचार से कि उसको पूरा अधिकार है । अब माननीय सदस्य कहते हैं कि ५ को इस रूप में रखा जाय और ६, ७ और ८ बने रहें, तो मैं समझता हूं कि जिस दृष्टि से यह संशोधन है यह उसके बाहर चला जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि मूल अधिनियम के सेक्शन ११ के सब-सेक्शन (४) के मुताबिक यह बेकार सा है और उससे बाहर चला जाता है। उसके मुताबिक चांसलर कार्यवाही भी करेगा और जनरल कंट्रोल भी करेगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक प्रकार से चांसलर को जनरल कंट्रोल की जो पावर है उसको यह नलीफाई करता है ।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री गोविन्दसिंह विष्ट से) आपके संशोधन की इजाजत मैं इसलिये नहीं देता कि यह बिल्कुल बेकार सा है और अध्यक्ष को अधिकार है कि जो संशोधन बेकार सा हो उसकी इजाजत न दी जाय। (५) और (६) से तो आप सहमत हैं कि निकाल दिये जायं और अगर आपका संशोधन मान लिया जाय तो करीब-करीब वही बातें आ जाती हैं कि जो उपखंड (४) में मूल अधिनियम में हैं खंड ११ के। तो इसलिये यह बेकार सा है और मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड ४-क

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ के उपरान्त नया खंड ४–क इस प्रकार बना दिया जाय :—

"क—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) धारा (२) "6 years" के स्थान पर "3 years" और

(२) उपधारा (३) में अंक '३' और अंक '९' के बीच में अंक (४) जोड़ दिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वह यह है कि क्या कोई ऐसा संशोधन लाया जा सकता है कि जो संशोधन बिल है उसे तो स्पर्श न करता हो प्रत्युत जो मूल अधिनियम की धारा है उसको संशोधित करता हो। यह जो संशोधन श्री राजेन्द्रसिंह जी ने उपस्थित किया है यह धारा १२ में संशोधन उपस्थित करता है और धारा १२ में कोई संशोधन हम इस बिल के द्वारा नहीं कर रहे हैं। उस में यह संशोधन रखने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं यह सही नहीं होगा और यह संशोधन असंगत है।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी हमें १२ तारीख को यह बिल मिला है और हमसे कहा जाता है कि हम मूल अधिनियम में कोई संशोधन उपस्थित नहीं कर सकते हैं और उसमें हमें संशोधन रखने का हक नहीं है, यह क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि आपको अधिक अवसर नहीं मिला तो अब आप को व्यापक अधिकार मिलना चाहिए ?

श्री राजनारायण—शिक्षा मन्त्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह निर्मूल है। उद्देश्य और कारणों को देखा जाय तो उसमें यह लिखा हुआ है कि इस अवसर का उपयोग अन्य आवश्यक संशोधन करने के लिए भी किया गया है जिन में सब से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। ये उनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं और कुछ हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। यह खुद ही उसके स्कोप को व्यापक करता है जिसके कारण माननीय शिक्षा मन्त्री इस प्रश्न को नहीं उठा सकते। मेरा निवेदन यह है कि उद्देश्य और कारणों में वह खुद यह मान चुके हैं कि इस अवसर का उपयोग अन्य संशोधनों के लिए किया जायगा। तो हम भी उसका उपयोग कर रहे और यह संशोधन रख रहे हैं। कुछ वे महत्वपूर्ण समझते हैं और कुछ को हम लोग समझते हैं। इसलिए आप इस वैधानिक प्रश्न को अनियमित घोषित करें।

श्री राजेन्द्र सिंह---जो संशोधन अभी मैंने सदन के सामने उपस्थित किया है वह सब संशोधनों से मुख्य संशोधन है। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं इस पर कुछ कह सकूं।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है कि जो प्रस्तुत विधेयक है उसकी परिधि को बढ़ाने के लिए संशोधन भी स्वीकार किये जा सकते हैं या नहीं और उन पर विवाद भी हो सकता है या नहीं। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न बंगाल की लेजिस्लेटिव असेम्बली के स्पीकर के सामने रखा गया था। उन्होंने यह बताया कि प्रस्तावना के अनुसार दोनों बातें हो सकती हैं। फिर व्यवस्था देते हुए उन्होंने यह कहा कि :

"If a Bill has an 'open' preamble, i.e. if it amends an Act without any reservation (e.g., Whereas it is expedient to amend Act), amendments to all the sections of the Act will be generally within the scope of the Bill. It would throw the whole law into the crucible, expose to amendment, not merely the particular provisions which the introducer of the Bill desires to alter, but all other provisions of the law which appear to be in any way open to criticism. On the other hand, if a Bill has a 'closed preamble', viz., the Bill seeks to amend only certain sections of an Act or an Act in any particular manner (e.g., Whereas it is expedient to amend—Act, in the manner hereinafter appearing), amendments to other sections of the Act, due regard being paid to the preamble, the Statement of Objects and Reasons, the citations of the Bill will be out of order. Amendments in furtherence of the objects of the Bill should be within the scope, and all foreign matters will be out of order.

माननीय राजनारायण जी ने इसके उद्देश्य और कारणों की तरफ ध्यान दिलाया कि उद्देश्य और कारणों में माननीय मन्त्री जी ने यह रखा है कि इस अवसर का उपयोग करके कुछ और छोटे-मोटे संशोधन इस बिल में लाये जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रस्तावना को देखें तो आप को मालूम होगा कि बंगाल के स्पीकर के मुताबिक वह बन्द प्रस्तावना (क्लोज्ड प्रीऐम्बिल) का विधेयक है। उन्होंने उसमें लिखा है :---

"यह इष्टकर है कि लखनऊ यूनर्विसिटी ऐक्ट, १९२० को यहां आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय :"

ऐक्ट में जो प्रयोजन आगे बताया गया है, उस की ओर उन्होंने इशारा किया है और उस के द्वारा जो सेक्शन इस बिल में रक्खे हुए हैं, उन्हीं की ओर उन्होंने इशारा किया है, उन्हीं को वे संशोधित करना चाहते हैं। इसलिए यह "क्लोज्ड प्रीऐम्बिल" हुआ।

इसके अतिरिक्त १६ दिसम्बर, १९५३ को आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक पर माननीय अध्यक्ष की रूलिंग इस प्रकार हुई---

"१६ दिसम्बर, १९५३ को आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ के खंड ५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) को निकालने के लिए श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन को अनियमित करार देते हुए श्री अध्यक्ष ने उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी। श्री अध्यक्ष ने कहा, "यह इसका स्कोप जिसको कहते हैं, यानी परिधि उस को बढ़ाता है, इस विधेयक के स्कोप को बढ़ाता है, इसलिए मैं इसे पेश करने की इजाजत नहीं देता।"

ऐसी सूरत में मैं माननीय मन्त्री जी से सहमति प्रकट करता हूं और माननीय राजेन्द्र सिंह जी के संशोधन की इजाजत नहीं दूंगा।

खंड ५

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १६ का संविधान।

५—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) की मद (१७) में शब्द "Registered Graduates to be elected" और शब्द "by Registered Graduates" के बीच में शब्द "according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote" रख दिये जायं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"तथा निम्नलिखित धारा १६ की उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय :"

"(2) The number of teachers of the University should be in a majority in the Court. Twenty-five per cent of the permanent Asisistant Professors other than the Heads shall be members of the Court elected by them from among themselves by proportional representation by means of single transferable vote, provided that the same teachers shall not be eligible for reelection in successive term."

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, इसमें भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारा जो रूल १७७ है उसके मुताबिक प्रत्येक संशोधन या प्रस्ताव का विषय सुसंगत होना चाहिए जिस पर वह प्रस्थापित किया गया है। यह जो संशोधन पेश किया जा रहा है वह एक ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में है जो प्रस्ताव ही हाउस के सामने नहीं है। प्रस्ताव केवल एलेक्शन पद्धति के बारे में है लेकिन प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ही नहीं। इसलिए यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसका सम्बन्ध प्रस्तावित संशोधन से नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ की धारा ५ के द्वारा धारा १६ में संशोधन करने का प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी का है वह इस प्रकार है—

मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) की मद (१७) में शब्द "Registered Graduates to be elected" और शब्द "by Registered Graduates" के बीच में शब्द "according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote" रख दिये जायं ।

इसी प्रकार से मेरा जो प्रस्ताव है वह भी सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट की व्यवस्था करता है।

तो माननीय मन्त्री जी जिस बात को चाहते हैं, उसी सेक्शन के एक अंग के लिए मैंने उसको और व्यापक रूप दिया है। यानी गरज यह कि जिस १६ धारा में तरमीम आप चाहते हैं उसी १६ धारा में तरमीम मैं भी चाहता हूं। विषय यह है कि सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, किस तरह वोट होने चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो श्रीमन्, यह परिधि के बाहर नहीं जाता बल्कि मेरा तो एक तरीका यह है कि यह हर साल पास हो। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि वोट लिया जाय, तो मैं उसको और व्यापक रूप देना चाहता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस धारा के अन्तर्गत जो चुनाव होगा वह किस तरह से होगा, किस तरह से ग्रेड कन्सीडर होगा और किस तरह से परसेंटेंज होगा।

श्री उपाध्यक्ष—नियम १७७ के मुताबिक यह आवश्यक है कि जो संशोधन हो वह उस विषय से सम्बन्धित हो। सदन के सामने सिंगिल ट्रांस्फरेबिल सिस्टम से वोट के देने की बात है, लेकिन आपने तो इसमें और बढ़ा दिया है। या तो आप उसको निकाल कर इसे पेश करें या जो उससे सम्बन्धित हो उसका विरोध करें। चूंकि आपने प्रतिशत वगैरह बढ़ान का संशोधन पेश कर

[श्री उपाध्यक्ष]

दिया है जो उस सीमा से आगे निकल जाता है इसलिए मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं। अगर आपको सिंगिल ट्रांस्फरेबिल सिस्टम से वोट देने के बारे में कोई विरोध हो तो मैं इसकी इजाजत दे दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, इस सिलसिले में मुझे थोड़ा सा अर्ज करना है कि मेरे लिए यह जरूरी नहीं है कि पूरी बात का विरोध करूं। यह कहीं नहीं है कि संशोधन ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए.....

श्री उपाध्यक्ष---आप पहले नियम १७७ को पढ़ लें, उसके बाद अगर विरोध करना चाहें तो करें।

श्री राजन राणे---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दफा १६ है वह कोर्ट की बनावट से सम्बन्धित है अगर कोर्ट में कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे आगे कैसे रेप्रेजेन्टेशन को बढ़ाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह कोर्ट की प्रणाली रेप्रेजेन्टेशन से सम्बन्धित है। अगर कहीं डाइरेक्ट सिम्पिल मेजारिटी हो तो कैसे रेप्रेजेन्टेशन हो सकता है। कहीं टीचर्स का या कहीं और दूसरों का रेप्रेजेन्टेशन बढ़ सकता है, इसलिए यहां पर यह किस तरह से परिधि से बाहर जाता है। मैं समझता हूं कि इससे पूरा भाव द्योतक नहीं हो पाता, क्योंकि आप यह अच्छी तरह से जानते होंगे कि टीचर्स . . .

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि आपके निर्णय के बाद क्या इस पर विवाद हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वे उसकी सूचना चाहते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, कुछ लोगों की ऐसी आदत सी हो गयी है कि कोई भी बात होती है तो प्वाइंट आफ आर्डर उठा देते हैं और अपना भाषण दे देते हैं। कोई भी बात हुई और खड़े होकर प्वाइंट आफ आर्डर उठा दिया और अपनी बात भी कह दी। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि "Frist learn manners how to behave in the House."

श्री उपाध्यक्ष---इसकी मैं इजाजत नहीं देता कि एक सदस्य दूसरे सदस्य के लिए इस तरह की बात कहे। आप कृपा करके अपने विषय पर ही बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण---"I am in possession of the House" मैं इस समय हाउस के पजेशन में हूं और कोई भी सदस्य खड़ा होगा तो मैं नहीं बैठूंगा। जब तक कि आप आदेश नहीं देंगे कि मैं बैठ जाऊं। यह क्या तरीका है कि किसी ने प्वाइंट आफ आर्डर उठा दिया और खड़े होकर लेक्चर देने लगे।

श्री उपाध्यक्ष---आप ऐसा नहीं कह सकते। यह अध्यक्ष का काम है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं।

श्री राजनारायण---इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष---प्वाइंट आफ आर्डर उठाया गया है, अब तो आप बैठ जायं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो "learn manners" का निर्देश दिया है, मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय ही निर्देश कर सकते हैं, किसी माननीय सदस्य के लिए यह उचित नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने तो खुद ही कहा कि यह अध्यक्ष का काम है, हर माननीय सदस्य का किसी सदस्य के लिए इस तरह से कहना अनुचित है। इससे ज्यादा क्या कार्यवाही हो सकती है ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—धन्यवाद।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अक्सर मैं भाषण करता हूं तो माननीय मन्त्री लोगों से भी यही कहता हूं कि ठीक और कायदे की बात हो तो अच्छा है। प्रत्येक माननीय सदस्य का काम है कि वह अपने मत का प्रचार करने के लिए दूसरे को अपना मत बतलावे और सिखलावे। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर किसी वोट की व्यवस्था से किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व बिगड़ जाता है तो उसके लिए कोई निश्चित उपाय कर दिया जाय तो वह असंगत न होगा। इसमें संशोधन की आवश्यकता है....

श्री उपाध्यक्ष—मैं संशोधन के बारे में तो व्यवस्था दे चुका हूं, उसकी मैं अब इजाजत नहीं दूंगा। जब पूरा खंड पेश हो तो आप सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट की बात कहकर विरोध कर सकते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज्ञा हो तो मैं इसको लिखित भेज दूं। जो शब्द अभी माननीय सदस्य ने कहे हैं वह आपत्तिजनक हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जो घटना सदन में होती है उस पर फौरन कार्यवाही होनी चाहिए। आपके कहने के पहिले ही मैंने उनको रोक दिया था और अभी जब आप ने प्रश्न उठाया था उस समय भी मैंने उनको रोक कर कह दिया था कि इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिए, अब इस से ज्यादा ऐसी बातों पर और कुछ नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं कि सदन में अनावश्यक ढंग पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना स्वत: विशेषाधिकार की अवहेलना है। चीप पापुलैरिटी गेन करने के लिए ट्रेजरी बेंच के माननीय सदस्य ऐसा करते हैं कि इसी बहाने उनका नाम अखबार में छप जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, जिन आपत्तियों के आधार पर इस खंड के दूसरे संशोधनों को अवैध करार दिया गया है मेरा स्वयं मत है कि मेरा संशोधन भी उन्हीं आपत्तियों का शिकार हो सकता है। इसलिए मैं उसको पेश करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—अब यदि कोई माननीय सदस्य खंड ५ का विरोध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

*श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खंड ५ है इस में मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) की मद (१७) में शब्द "रजिस्टर्ड ग्रैजुएट्स टु बी एलेक्टेड" और शब्द "बाई रजिस्टर्ड ग्रैजुएट्स" के बीच में शब्द "एकार्डिंग टु दि सिस्टम आफ प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स आफ सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट" रख दिये जाने की बात है। इसका कोर्ट के गठन से सम्बन्ध है। इस सदन के प्रमुख सदस्यों ने अपने संशोधनों द्वारा चाहा था कि कोर्ट में टीचर्स का प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए। जब पुरानी असेम्बली में इलाहाबाद व लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक आये थे, तो आप को अवगत होगा। कि बार-बार इस बात की कोशिश रही थी कि कोर्ट में टीचर्स का प्रतिनिधित्व काफी रहे। सरकारी पक्ष का हमेशा यह प्रयत्न रहा है कि कोर्ट में ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां भी मेजारिटी दूसरों की रहे। इस लिए इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि कोर्ट को संशोधित और सुगठित करने का प्रश्न सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

के सामने आया है तो इस प्रकार से उस को किया जाय जिस से टीचर्स का ठीक से प्रतिनिधित्व उसमें हो जाय और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक माननीय सदस्य ने एक संशोधन उपस्थित किया था जो इस नियम की बारीकी की वजह से नहीं लिया जा सका। मैं ज्यादा समय न लेकर केवल इतना निवेदन करूंगा कि कोर्ट में ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो कि जिनको शिक्षा के विषय में जानकारी हो, कोर्ट भी पालिटिक्स का अखाड़ा न बन जाय और सत्ताधारी दल उसके द्वारा अपनी राजनीति का संचालन न कर सके और इन सब के लिए यह आवश्यक होगा कि उस में उन के लिए सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट द्वारा चुनाव की व्यवस्था कर दी जाय ताकि टीचर्स का प्रतिनिधित्व ठीक तरह से हो सके।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, केवल २ मिनट निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन किया जा रहा है, मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) की मद १७ में केवल इतना है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की ओर से जो २५ आदमी चुने जाते हैं कोर्ट में, वह भी आगे से सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रजन्टशन से चुने जायं। मैं समझता हूं कि इससे किसी को विरोध है नहीं। माननीय राजनारायण जी ने कहा कि मैं विरोध करने के लिए .....

श्री राजनारायण—गलत कहते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तो सुधार दीजिये। आज तो आपने कहा ही है कि बहुत नम्रतापूर्वक बात करेंगे। आप सुधार दें।

श्री राजनारायण—मैंने यह नहीं कहा कि मैं सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट का प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन का विरोध करता हूं। यह ठीक है। होना चाहिए। मगर कोर्ट का गठन करने के लिए कुछ ऊपर की उपधाराओं को भी सुधारने की कृपा कीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—धन्यवाद, यदि उन्होंने विरोध नहीं किया। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जहां तक सिस्टम आफ प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन बाई सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट से रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की ओर से २५ प्रतिनिधियों को कोर्ट में चुनने का सम्बन्ध है उसमें तो विरोध रहा नहीं। अब आपका कहना है कि हमारे टीचर्स का इससे अधिक प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। मैंने अभी यह देखा है कि कोर्ट में करीब १७५ मेम्बर होते हैं। उसमें टीचर्स का रेप्रेजेन्टेशन जो है वह ८१ है और इस तरह से राधाकृष्णन् कमीशन में जो कहा गया था उनको पैरिटी पर रखा था, आज उनका जो रेप्रेजेन्टेशन है वह पैरिटी से कुछ अधिक ही है। इस प्रकार इसमें कोई और आपत्ति तो रही नहीं। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह धारा स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ तथा ७

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १९ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १९ में :—

(१) उपधारा (१) की मद (८) में शब्द "in the manner prescribed by the Statutes" के स्थान पर शब्द "according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote" रख दिये जायं और

(२) उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय :—

"Provided that any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item

(viii) or (ix) of sub-section (i) shall not be eligible for election or nomination for the third term in succession."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २१ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

श्री सुरथबहादुर शाह—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "की" और "मद" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"मद (६) निकाल दी जाय और मद (७) में शब्द "two" के स्थान पर शब्द "three" रख दिया जाय तथा"

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्तुत विधेयक में यह कहां फिट होगा, आपका संशोधन ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, इसमें एक छोटी सी शंका मुझे फिर हो गयी। जहां तक कि व्यवस्था का सम्बन्ध है वह यह है कि यह जो खंड ६ है यह मूल अधिनियम की धारा १९ में संशोधन करता है और संशोधन यह करता है कि कोर्ट से जो पांच सदस्य चुनकर काउन्सिल में आयेंगे उनकी चुनाव पद्धति भी प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन बाई सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट होगी। यह है जो मूल अधिनियम में हम संशोधन कर रहे हैं और माननीय सदस्य जो संशोधन इस पर ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह कतई संगत नहीं है। दूसरे यह कि उनके कहने के माने यह होते हैं कि किसी का प्रतिनिधित्व निकल जाय और किसी का प्रतिनिधित्व बढ़ जाय जो किसी प्रकार भी हमारा जो संशोधन बिल है उससे संगत नहीं है। बल्कि यह तो एक नये ढंग से अमेंडिंग बिल ला सकते हैं, तब कह सकते हैं कि इनका प्रतिनिधित्व निकल जाय और इनका बढ़ जाय।

श्री सुरथबहादुर शाह—मेरा कोई घुमाकर या पोशीदा तरीके से यह मकसद नहीं था कि किसी का प्रतिनिधित्व बढ़े या घटे।

श्री उपाध्यक्ष—उन्हें जो आपत्ति है वैधानिक, उस पर आप राय दें कि आपका संशोधन किस प्रकार नियमित है।

श्री सुरथबहादुर शाह—इस प्रकार है कि मेरा संशोधन यह है कि खंड ६ में जो उपखंड हैं इसके बीच में यह शब्द बढ़ा दिये जायं। अल्टीमेटली तो यह उससे लागू करेंगे जो मूल अधिनियम है, उससे तात्पर्य है। तो उससे यह कहना कि उससे लागू होता है, उससे तो सारी चीजें लागू होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यही केवल नहीं। मकसद यह है कि फिर से वोटिंग का तरीका बदल कर 'बाई मीन्स आफ सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट' करना चाहते हैं। उसमें सरकार की तरफ से २ या ३ का संशोधन नहीं है। तो जो आपका संशोधन है वह समझ में नहीं आया।

श्री सुरथबहादुर शाह—मेरे संशोधन जो परसों दिये गये थे इसमें छपे ही नहीं। मैंने व्यवस्था भी चाही थी लेकिन अभी तक नहीं मिली। जो मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न रेज किया उसके ऊपर कुछ सफाई हुई।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री जी के व्यवस्था का प्रश्न रेज करने के पहले आपके संशोधन नहीं छपेंगे, ऐसी बात नहीं है। वह कुछ ऐसे थे जो कि बिल्कुल अनियमित थे या व्यर्थ थे। वे छापे नहीं गये। लेकिन जो छप गये हैं उनका मतलब समझावें।

श्री सुरथबहादुर शाह—बेकार थे ? क्या मतलब है, मैं समझा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---जो बिल से बिल्कुल असंगत हो जाते हैं उनसे मतलब है। अगर कोई कठिनाई हो तो फिर से बात कर लीजियेगा। लेकिन इस संशोधन से आपका मंशा क्या है आप बतलावें।

श्री सुरथबहादुर शाह---मेरा मंशा यह था कि जहां ४०० टीचर्स हैं उनका रेप्रेजेन्टेशन २ के बजाय ३ हो जाय। जैसे कि ५, १० मोटर कम्पनीज हैं उनक जैसे होते हैं, उनके हों। लेकिन टीचर्स जो ६०० हैं उनका रेप्रेजेन्टेशन ३ हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---उस विषय से आपका संशोधन सम्बन्ध नहीं रखता है। बल्कि आप दूसरी बात रखना चाहते हैं इसलिए मैं इस संशोधन की इजाजत नहीं दूंगा। अगर आप उस खंड के बारे में कुछ कहना चाहें तो बाद में बोलें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि धारा १९ के उपखंड १ की मद (iv) (v) (vi) निकाल दी जायं और धारा १९ के उपखंड १ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "और" के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं।

"*Explanation*—Persons nominated under this item shall be from among educationists of repute, members of the liberal professions, eminent lawyers and judges.

Teachers under item (vii) shall be elected by the general body of permanent teachers through the system of proportional representation by means of single transferable vote :

Provided that only teachers who have put in 10 years or more service in the University shall be eleigible for election."

और इसके साथ-साथ श्रीमन्, मेरा एक और भी संशोधन था जो माननीय मोतीलाल अवस्थी और रामायण राय जी के नाम से छपा है। वह भी मेरा था कि ऐक्स-आफिशियो मेम्बर्स नहीं होने चाहिये और १९ के उपखंड १ में मद (vii) में '२ टीचर्स' के स्थान पर '७ टीचर्स' कर दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---मद ४, ५, ६ निकाल दिये जायं, कौन सी मद से मतलब है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट— धारा १९ से मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष---आपने ७ नम्बर का प्रस्ताव नहीं रखा है, ८ नम्बर का प्रस्ताव पेश किया है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, मैंने ओरिजिनल देख लिया है...

श्री उपाध्यक्ष---७ नम्बर आपने (मूव) प्रस्तावित नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---७ नम्बर मूव किया है लेकिन हिन्दी कुछ गिचर-पिचर बना दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष---आप समझाइये कैसी होनी चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---संशोधन ८ से आपका मतलब हल नहीं होता ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन् नहीं। उसका मंशा कुछ और है।

श्री उपाध्यक्ष—आप दोनों मूव करना चाहते हैं तो पहले संशोधन ७ रखिये। मैं दोनों की इजाजत दे दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—यह इस प्रकार है—धारा १९ के उपखंड १ के मद (IV, V, VI) निकाल दिये जायं और इस धारा के उपखंड १ के मद (VII) में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं, और उपखंड ७ में शब्द 'Two teachers' के स्थान पर 'Seven teachers' कर दिया जाय :

"*Explanation*—Persons nominated under this item shall be from among educationists of repute, members of the liberal professions, eminent lawyers and judges.

Teachers under item (vii) shall be elected by the general body of permanent teachers through the system of proportional representation by means of single transferable vote :

Provided that only teachers who have put in 10 years or more of service in the University shall be eligible for election."

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये। यह (IV, V, VI,) आप कहां से निकालना चाहते हैं। अमेंडिंग बिल में ये कहां हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—इसमें न हों। "रेलेवेंट" शब्द जो आया है उससे इसका सम्बन्ध है। "रेलेवेंसी" हमारे रूल्स में कहीं डिफाइन्ड नहीं है। एविडेंस ऐक्ट में वह है, जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कल्पना की बेसिस पर एतराज कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं कि आपके संशोधन का मतलब क्या है ? पहले मतलब बतला दीजिये, फिर जो कुछ आपको कहना हो कहियेगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—इसमें यह है—

"One member of an associated college, one member of a constituent college, the Dean of students welfare, one representative of provosts and two teachers of the University" के स्थान पर "Seven teachers" कर दिया जाय, यह मैं चाहता हूं।"

श्री उपाध्यक्ष—जिस तरह से आपने रखा है उस तरह से इजाजत देना बड़ा मुश्किल है। सरकार ने खंड ६ में दो बातें रखी हैं। पहली बात यह है "उपधारा (१) की मद ८ में शब्द "in the manner prescribed by the Statutes" के स्थान पर शब्द

"according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote" रख दिये जायं और दूसरी यह है—

"Provided that any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item (viii) or (ix) of sub-section (i) shall not be eligible for election or nomination for the third term in succession."

चूंकि आपके संशोधन का इन दोनों से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—व्यवस्था देने से पहले मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---पहले मेरा सुझाव सुन लें। सरकार की तरफ से जो प्राविजन्स रखे गये हैं उनके विरोध में कोई बात होती तो उस पर विचार किया जाता।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, थोड़ी सी मुझे इजाजत मिले तो रेलवेंसी के लिये अर्ज कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप पहले मतलब समझाइये।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले नामिनेटेड मेम्बर्स होते थे और टीचर्स खास तरीके से आते थे। सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट का सिस्टम नहीं था। अब यह सिस्टम आ गया है तो खास किस्म के आदमी आयेंगे। अगर मान लीजिये नामिनेटेड में पहले ए और बी आते तो अब उनकी जगह पर सी और डी आ सकते हैं, तो धारा १९ में जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल का फारमेशन दिया हुआ है उसका कांस्टीट्यूशन बदल गया है। अब दूसरे आयेंगे। इस तरह से...

श्री उपाध्यक्ष---इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस तरह से बाहर की बात कहें। इस तरह से आप विधेयक की परिधि बढ़ाना चाहते हैं, इसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। आपने काफी वक्त ले लिया। आप कृपा करके बैठ जाइये। मैंने काफी समय आपको दे दिया है और मैं परिधि बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, यदि आप इजात दें...

श्री उपाध्यक्ष---इसके पांच मिनट पहले वह व्यवस्था दी जा चुकी है। ऐसा मालूम होता है कि आप परिधि बढ़ाने वाली बात को फिर से रखना चाहते हैं। मैं आपकी राय इसमें नहीं चाहता हूं और जैसा आपका संशोधन है उसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। जो आप कहना चाहते हैं इसके विरोध में अपने आबजरवेशन्स पेश करते हुए, टीका-टिप्पणी करते हुए, कह सकते हैं। जैसा आपका संशोधन है मैं उसकी इजात नहीं दे सकता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं कहना चाहता हूं कि रेलवेंसी...

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं। मैं आपको परिधि बढ़ाने के लिये इजाजत नहीं दे सकता हूं। जो बात आप कहना चाहते हैं वह भाषण के रूप में या विरोध करके कहें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इसमें यह भी तरमीम कर दी जाय, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, जिसे मैं पेश कर चुका हूं। जैसा आपने हुक्म दिया उसका मैं पालन कर रहा हूं। मैं रेलवेंसी में नहीं जा रहा हूं। रेलेवेंसी सिर्फ एविडेंस ऐक्ट में दी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष---आप अपनी बात कहिये।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---नामिनेटेड पर्सन्स के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि जो नामिनेशन्स हुये हैं उनमें गैर जिम्मेवाराना तरीके से काम लिया गया, जैसा कि इस आदरणीय सदन के समक्ष श्री चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि ऐसे लोग ले लिये गये जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती थी, खाली घर के कोने में पड़े रहते थे या मोटर के मालिक हैं या किसी कारखाने के मालिक हैं। जब कि इस शहर में जो हमारे ५१ जिलों में से लखनऊ, उत्तर प्रदेश के केन्द्र का शहर है। यहां एक से एक अच्छे बैरिस्टर्स, जजेज और एजुकेशनिस्ट्स मिल सकते थे। नामिनेशन सिस्टम ठीक नहीं है। एक हाथ से सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट का अधिकार दिया

गया है कि इससे आपको मताधिकार दिया गया है पर दरअसल यह चीज इससे छिन रही है। अगर माननीय मंत्री नामिनेशन की चीज रखते हैं और चुनाव में राजी नहीं हैं और कहें कि नामिनेशन का सिस्टम जरूर रहेगा तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा की तरक्की के लिये वह लोग लिये जायं जो एजुकेशनिस्ट्स आफ रिप्यूट हों, और लाइयर्स में से लिये जायं तो ऐसे लोग लिये जायं जो विद्वान लाइयर्स हों, और यदि जजेज में से लिये जायं तो हाई कोर्ट के जजेज लिये जायं जिससे यूनिवर्सिटी तरक्की करेगी, शिक्षा तरक्की करेगी और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आने पायेगी, छोटी-मोटी बातें नहीं आने पायेंगी। ऐसे मेम्बर्स उसमें न आयें जो एलेक्शन में एजेन्टी का काम करें बल्कि ऐसे लोग आयें जो निष्पक्ष हों, पार्टीबाजी से ऊपर हों और जो शिक्षा की भलाई चाहें।

टीचर्स का जहां तक सम्बन्ध है उसकी मैंने व्याख्या की है कि उनको छांटने का हक जनरल बाडी को होगा चाहे वह स्टूडेंट्स वेलफेयर के डीन को छांटें, चाहे और किसी को। एग्जीक्यूटिव कौंसिल में ऐसे किसी आदमी को नहीं रखा जाना चाहिये जो कोई पोजीशन होल्ड करता हो, बल्कि उसकी इनहेरेन्ट क्वालिटीज को देख कर लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन जो अब बिलकुल निर्दोष बना दिया गया है उसे माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने तो आपको केवल भाषण करने की इजाजत दी थी। संशोधन का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

***श्री कमलापति त्रिपाठी**—मान्यवर, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं माननीय सदस्य की बात को समझ नहीं सका कि उनकी मन्शा क्या है। यह जो खंड ६ में धारा १९ में संशोधन किया गया है वह यह है कि कोर्ट से जो ५ सदस्य एक्जीक्यूटिव कौंसिल में चुन कर आयेंगे वे सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के माध्यम से, प्रोपोर्शनल रेप्रेन्टेशन की पद्धति से चुन कर आयंगे।

दूसरे उपधारा (१) के अन्त में एक और खंड बढ़ाने की बात कही गयी है जिसका अर्थ यह है कि दो सक्सेसिव टर्म में अगर कोई एग्जीक्युटिव कौंसिल का मेम्बर हो तो तीसरी बार लगातार वह खड़ा न हो सके। अब उन्होंने किसी को निकाल देने और किसी को ले लेने की बात कही, तो कुछ समझ नहीं सका कि किसको इसमें से निकालना चाहते हैं और किसकी ले आना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी बात हो तो बिल के अमेंडमेंट के लिये कोई दूसरी धारा ले आयें तब तो कुछ अर्थ सिद्ध हो सकता है लेकिन जो अमेंडमेंट इस वक्त मौजूद है उससे उनको कोई विरोध नहीं है। अगर उनका विरोध ही मात्र है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह बड़ा जरूरी संशोधन है इसे वे स्वीकार करें और विरोध करने की कोई बात नहीं है।

***श्री रामायण राय** (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) में प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्न प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय :

"Provided that no person who has been a member of the Executive Council under item (viii) or (ix) of sub-section (1) or an *ex officio* member shall be eligible for election or nomination for a second term in succession."

मान्यवर, जो संशोधन इस संशोधन विधेयक के द्वारा हमारे सामने रखा गया है उसका लक्ष्य बाहरी लोगों पर प्रतिबन्ध लगाना है और इसके साथ ही स्थिर स्वार्थों को असंभव बनाना है। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे इसमें काफी असंगति दिखाई दी। इसमें बाहरी लोग तो केवल दो ही सत्र तक रहेंगे और उन्हें तीन वर्ष बाद चुने जाने का अवसर प्राप्त होगा, किन्तु जहां तक पदेन अधिकारियों का संबंध है, जैसे ट्रेजरर, उसे वर्ष तक इसमें रहने का अधिकार रहेगा। तो एक तरह की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

असंगति सी दिखाई दी, इसलिए मैंने यह संशोधन इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। मान्यवर, कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वह भी दो प्रकार के हैं। कुछ पदेन हैं और कुछ निर्वाचित। पदेन सदस्यों को अलग-अलग अवधि तक कार्यकारिणी में रहने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे वाइस-चांसलर को ५ साल, ट्रजरर को ६ साल, डीन को ३ साल, प्रोवोस्ट को ३ साल, प्रिंसिपल्स को ३ साल और डीन आफ स्टूडेंट्स वेलफेयर को ३ साल। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगा कि अलग-अलग व्यक्तियों के लिये अलग-अलग सुविधा इसमें दी गई है। इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा कि इसे डिलीट कर दिया जाय और मैंने जो संशोधन रखा है उसको माननीय मंत्री जी मान लें। अगर वह इसको मान लेते हैं तो यह असंगति दूर हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---इनका अन्तर भी आप बता दीजिये।

श्री रामायण राय---उनके संशोधन द्वारा, मान्यवर, बाहरी लोग दो सत्र तक रहेंगे, उनके ऊपर तो एक लिमिटेशन है, लेकिन जैसे ट्रेजरर है, उसको ६ साल तक लगातार रहने का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्रिंसिपल ३ साल तक ही रह सकेगा, प्रोवोस्ट ३ साल तक और कुलपति ५ साल तक ही रहने का अधिकारी होगा। तो यह सारी असंगतियां इसमें विद्यमान हैं, इसलिये मैंने यह संशोधन सदन के सामने रखा है और मुझे आशा है कि इन असंगतियों को देखते हुए माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसके जो साधारण कारण हैं वह तो हैं ही, आपके कहने का मतलब तो यह है कि जो एक्स आफिशियो मेम्बर्स हैं और जो चुनकर आये हैं वह सब तीन साल में ही एक्जीक्यूटिव कौंसिल में अपनी सदस्यता समाप्त कर दें। कोई ऐसा प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है कि जिसके मुताबिक वाइस चांसलर के टर्म को हमने ३ साल का कर दिया हो या ट्रेजरर के टर्म को हमने तीन साल का कर दिया हो। वाइस चांसलर का टर्म पांच साल और ट्रेजरर का ६ साल का है। इस प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का मतलब यह हो जायगा कि जितने एक्स-आफिशियो मेम्बर्स हैं वे सब तीन साल में ही निकल जायंगे तो यह कुछ असंगत सा प्रस्ताव हो जाता है और मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था इसमें रखी गई है वह ठीक है, सिवाय उसके कि जो ऊपर की धारा में संशोधन करने की चेष्टा हमारे संशोधन द्वारा की गई है।

***श्री राजनारायण**---श्रीमन्, माननीय रामायण राय जी का जो संशोधन है वह संशोधन स्वतः यह नहीं कह रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय वाइस चांसलर के टर्म को ५ साल से ३ साल का या ट्रेजरर के टर्म को ६ साल से ३ साल का या ४ साल का कर दें। कुछ कल्पना आपके सामने माननीय शिक्षा मंत्री ने साकार रूप में खड़ी कर दी है और उसका यह जवाब भी उन्होंने देना उचित समझा। यह प्रश्न सामने है कि जहां शिक्षा मंत्री का संशोधन तीसरे टर्म के लिये प्रतिबन्धित करता है वहां रामायण राय जी का संशोधन दूसरे टर्म के लिये प्रतिबन्धित करता है। यह बस केवल इतना ही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मामला कुछ गहराई का है। उन्होंने स्वतः कहा भी कि यों तो और भी बातें हो सकती हैं। वह जो और बात है उसको उन्होंने प्रकट नहीं किया। उनको प्रकट करना चाहिये कि और बात क्या है। जो इसमें यह कहा गया है कि :

"Five persons to be elected in the manner prescribed by the Statutes by the court from among such members as are not in the service of the University, a constituent college or a Hall."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी का यह संशोधन है जिसको माननीय शिक्षा मंत्री जो प्रतिबन्धित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो यह चाहते हैं कि यह रख दिया जाय--

"Provided that any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item (viii) or (ix) of sub-section (i) shall not be eligible for election or nomination for the third term in succession."

इसमें थर्ड टर्म की जगह माननीय रामायण राय जी दूसरे टर्म में ही रख रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री को स्पष्ट करना चाहिये कि ६ वर्ष हम क्यों रख रहे हैं और इसको क्यों उचित समझते हैं। माननीय रामायण राय जी ३ वर्ष समझते हैं वह उन्होंने बतला दिया। इससे जो अर्थ निकलता है यह तो सही है कि वह विधेयक में नहीं है। मगर उसका प्रसंग यहां पर उठाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ६ वर्ष में वेस्टेड इण्टरेस्ट क्रिएट होने लगता है जो ३ वर्ष में नहीं हो पायेगा। अगर रामायण राय जी का संशोधन ऐसा होता जो लम्बे समय का होता तो वे स्वीकार कर लेते, मगर शिक्षा मंत्री के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बाहर के लोगों का प्रतिनिधित्व लम्बे समय तक देना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी का यह कहना है कि जब ट्रेजरर के लिये ६ वर्ष रहता है तो बाहर के लोगों के लिये ३ वर्ष क्यों रहे। जब वाइस चान्सलर का ५ वर्ष रहता है तो बाहर के लोगों का टर्म ३ वर्ष क्यों रहे, यह शिक्षा मंत्री जी का तर्क हो सकता था। मगर रामायण रायजी तो यह कह रहे हैं कि जब आप तीसरे टर्म के लिये तैयार नहीं हैं तो दूसरे के लिये तैयार न हों। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी है और अपने प्रदेश की ७ करोड़ कुछ लाख आबादी हो चुकी है। जगह बहुत कम है। काफी लोग शिक्षा पाकर निकलते जाते हैं। उनको कहीं न कहीं खपाने की भी जरूरत है। तो ६ वर्ष तक बड़ा मुश्किल हो जायगा। उसको हम ३ वर्ष करना चाहते हैं। उसमें ज्यादा लोग खप सकेंगे। इसमें सरकार की भी आसानी होगी। जितनी अव्यवस्था हो रही है वह लोगों को काम न मिलने से हो रही है। तो उसको जरा हम और ज्यादा समय न देकर नियन्त्रित कर देना चाहते हैं और ज्यादा लोगों के लिये गुंजायश भी करना चाहते हैं। यदि शिक्षा मंत्री जी की अधिकार-सीमा में यह हो, उन्होंने कैबिनेट में इस प्रकार का अधिकार प्राप्त कर लिया हो कि ट्रेजरर को ३ वर्ष रखें तो ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष को सामने रख कर सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। ट्रेजरर के स्थान पर चाहे सम्पूर्णानन्द जी हों या परिपूर्णानन्द जी हों, कोई भी हो, उसका टर्म निर्धारित होना चाहिये। उसे इतनी लम्बी अवधि नहीं देनी चाहिये कि वह जिस तरह से चाहे यूनिवर्सिटी को चलावे।

एक सदस्य--नहीं, उसे हमेशा के लिए होना चाहिए।

श्री राजनारायण--सदन के सम्मानित सदस्य किसी एक व्यक्ति को सिंगिल आउट करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। गोविन्द बल्लभ पन्त जी के जमाने में हमारा सिर फूटा और सम्पूर्णानन्द जी के समय में दाढ़ी खींची गई, लेकिन हम सिद्धान्त की बात में व्यक्तियों का जिक्र नहीं लाना चाहते। समय आने पर हम बतावेंगे कि शिक्षा विभाग के द्वारा कितनी आफतें ढाई जा रही हैं। जितने निकम्मे ढंग से शिक्षा विभाग आजकल चल रहा है उतना शायद कभी नहीं चला। उसके एक-एक आंकड़े हम मौके पर पेश करेंगे। इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ३ वर्ष से ज्यादा समय किसी को नहीं मिलना चाहिये। रामायण राय जी के संशोधन को सरकार को मानना चाहिये, वरना बिना किसी की भावना पर आपत्ति और चोट पहुंचाये हुए मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ६ वर्ष का टर्म चाहे ट्रेजरर को दे रही है और बाहर के लोगों को कहना चाहती है कि हम तुम्हें २ टर्म दे रहे हैं, तो उसकी आड़ में सरकार यह भी किसी

[श्री राजनारायण]

समय कह सकती है कि ट्रेजरर के लिए भी हम २ टर्म रखेंगे। तो ये दोनों गुंजाइश खत्म होनी चाहिये। किसी भी व्यक्ति के हाथ में ज्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिये, जिससे यदि उसका माथा फिर जाय तो वह चाहे जो कुछ करे। रामायण राय जी के इस संशोधन को सरकार को सही माने में स्वीकार करना चाहिये और उसके अनुरूप जब कभी मौका मिले या स्टैट्यूट बनाते समय सरकार उसका प्रयोग करे, इसमें हमें प्रसन्नता होगी।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है उसकी जगह पर मैं रामायण राय जी के ही संशोधन का समर्थन करता हूं। दोनों की शब्दावली एक-सी ही है।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---रामायण राय जी का संशोधन एक बहुत बड़ी त्रुटि को दूर करता है। माननीय सदस्यों ने अनेक रूप से कहा और ठीक भी है कि एक सीमित संशोधन विधेयक हमारे सामने रखा गया है। यद्यपि सदन ने इसकी परिधि को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही से ऐसा पेश किया गया है कि बहुत सारी बातें जो आनी चाहिये थीं वे इसमें न आ सकीं। फिर भी स्पष्ट भावों से सदस्यों ने कहा है कि कुछ लोगों की जो लखनऊ विश्वविद्यालय में मोनोपली या ठेकेदारी सी बन गई है उनके स्थानों को बदल कर अन्य सुयोग्य लोगों को अवसर प्रदान करें। मैं गुटबन्दी की बात नहीं कहना चाहता हूं और न उस सम्बन्ध में मुझे ज्ञान है और न अधिकार है। दूसरों के लिये कहना बड़ा सरल है कि अध्यापक राजनीति में भाग लेते हैं, लेकिन बड़े-बड़े साधु यूथ कानफ्रेंस के नाम पर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं और खजाने के मालिक बने बैठे हैं, इसे रोकने की आवश्यकता है। जनता एक एक चीज को पकड़ती है। आज हमें इस बात को सदन में कहने का मौका है। यहां भी खुलकर कहें तो कैसे कहें, क्योंकि विधेयक पेश है केवल चन्द बातों का। इस संशोधन को चाहे शिक्षा मंत्री जी मानें या न मानें लेकिन छिपी हुई बातें दुनियां को अंधेरे में नहीं रख सकतीं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय किसी की मुट्ठी की वस्तु बन गई है। इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। मैं गवर्नर साहेब का यहां जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विद्यार्थियों को अपनी भावना प्रदर्शित करनी पड़ी और उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा जवाब दिया गया। विद्यार्थी यह महसूस करता है कि उसे कभी किसी समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

एक कानूनी अड़चन शिक्षा मंत्री जी ने रख दी कि वाइस चांसलर ५ साल रहेंगे, लेकिन यदि हमको अवसर मिलता और यह विधेयक प्रवर समिति में जाता तो हम उस ट्रेजरर की उपधारा को बदल ही डालते, साथ-साथ जिसमें ३ वर्ष की अवधि रखी गई है हम उसे भी संशोधन करने का प्रयत्न करते, लेकिन वह अवसर नहीं मिला। मैं विरोध प्रकट करता हूं कि इस प्रकार की चालबाजियां या होशियारियां हमको न सिखाई जावें। कहा जाता है कि अवस्थी जी को बोलना सीखना चाहिये। मैं चाहे ऊटपटांग बोलूं, चाहे मेरे शब्द वैसे न हों जैसे आप चाहें, लेकिन मेरी भावनाओं को आप पकड़िये। मैं तो एक ग्रामीण देश से आया हुआ हूं, क्या जानूं आपकी शिष्ट भाषा को ?

श्री उपाध्यक्ष---आज तो यह नहीं कहा गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि रामायण राय जी का संशोधन जो एक यथार्थ कमी को दूर करता है, सदन को स्वीकार होगा।

*श्री रामायण राय---मेरा संशोधन बहुत स्पष्ट है। मैंने रखा है कि एक्स-आफिशियो मेम्बर दूसरे टर्म में न चुने जावें। एक प्रिंसिपल एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के लिये दोबारा निर्वाचित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हो सकता है और अपने जीवन काल में तीन साल ही रहने का मौका पाता है। दूसरे बाहरी लोग एक टर्म बाहर रहकर फिर चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार जिन अध्यापकों का सारा जीवन शिक्षा से संबंधित है उनको तो केवल ३ वर्ष का मौका मिलता है और जो बाहरी लोग हैं उनको बराबर मौका है। इसलिये बहुत तात्विक अन्तर हो जाता है। अतः मैंने इस संशोधन को सदन के समक्ष रखा था। इससे स्पष्ट है कि बाहरी लोगों को अधिक सुविधा दी गयी है और पक्षपातपूर्ण नीति का अनुसरण करके यह संशोधन किया जा रहा है। बाहरी लोग तीन वर्ष घूम फिर कर फिर चुनाव लड़ेंगे और जो अध्यापक हैं उनको केवल तीन वर्ष ही वहां पर रहने का हक होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा था जो कि बड़ा इन्नोसेंट संशोधन था। मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के सामने भी कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं। इससे शिक्षा की नीति पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिये इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया कि मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूं। माननीय राजनारायण जी ने जो बातें कहीं वे तो ठीक ही हैं, उनके तमाम तर्कों का समाधान करने की क्षमता मुझ छोटे से आदमी में नहीं है। रह गयी किसी व्यक्ति की बात, तो यह बिल किसी विशेष व्यक्ति को सामने रख कर नहीं लाया गया है और जिनका नाम लिया गया उनका भी कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट मूव किया गया है उसमें यह किया गया है कि किसी का भी टर्म तीन साल से ज्यादा का न हो, लेकिन मूल विधेयक के अनुसार कुछ के टर्म तो तीन साल हैं, कुछ के ५ साल और कुछ के ६ साल हैं। इस संशोधन को मानने का अर्थ यह होगा कि तीन साल में सारी एक्जीक्यूटिव कौंसिल ही बदल जायगी, लेकिन वाइस-चांसलर का टर्म ऐक्ट के अनुसार ५ साल और ट्रेजरर का टर्म ६ साल रखा गया है।

श्री सुरथबहादर शाह—६ वर्ष कितनी मर्तबा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यहां मर्तबा का सवाल नहीं है। अगर आपका संशोधन मान लिया जाता है तो यह धारा ही अवैध हो जाती है। इसलिये आपका यह संशोधन ऐक्ट की धाराओं के सामने असंगत है। बैकडोर से आकर आप किसी धारा को अमेंड नहीं कर सकते। इस कारण मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड को इस प्रकार रख दिया जाय—

"Provided that no person who has been a member of the Executive Council under item (viii) or (ix) of sub-section (I) or an *ex officio* member shall be eligible for election or nomination for a second term in succession."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४०,
विपक्ष में—११७।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि 'खंड ६ का उपखंड (२)' निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—कृपया सदन में शांति रखें, बहुत शोर हो रहा है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---श्रीमन्, सामान्य विवाद में जब मैंने निवेदन किया था तो संक्षेप में इस संशोधन की चर्चा की थी और उसके बाद माननीय मंत्री जी का वक्तव्य भी सुनने का सुअवसर मिला। मैं माननीय मंत्री जी के विचारों के लिये अगाध श्रद्धा रखता हूं। फिर भी मुझे बड़ी विनम्रतापूर्वक यह कहना है कि उस वक्तव्य को सुनने के बाद भी मैं अपने को इस जगह नहीं पाता कि इस संशोधन को प्रस्तुत न करूं। श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया था और मैं पुनः निवदन करना चाहता हूं कि किसी भी ऐसे संशोधन को जब पहली बार प्रस्तुत किया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी ऐक्ट में, इस प्रान्त की ही नहीं कदाचित् इस देश में एक दायित्व था इस बात को सिद्ध करने का कि इसकी नितान्त आवश्यकता थी। मैं विनम्रता-पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आ सकी। यदि इस सिद्धांत को हम आगे ले जावें तो कदाचित् मेरा तो अपना ऐसा विचार है कि प्रजातांत्रिक धारणाओं को भारी ठेस लगेगी। अगर हमारे एलेक्टोरेट्स भी जो हमको चुन कर भेजते हैं, वे भी इसी सिद्धांत को, प्रतिपादित करने लगें या ऐसी मांग सामने लायें कि कांस्टीट्यूशन में भी ऐसा प्राविजन किया जाय कि असेम्बली या पार्लियामेण्ट में भी कोई व्यक्ति चुन कर दो टर्म्स के बाद नहीं आ सकता है, तब कदाचित् कुछ कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा मैंने यह निवेदन किया था कि जहां तक नामिनेशन का सम्बन्ध है, उस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाना किसी तरह से उचित नहीं है और मैं नहीं समझ सका कि उसका क्या कारण हो सकता है।

जहां तक भारतीय संविधान का सम्बन्ध है उसके अनुसार राज्यपाल मिनिस्टर्स की ऐडवाइस पर काम करते हैं और विश्वविद्यालय के चांसलर राज्यपाल महोदय पदेन हैं। तो यह साफ है कि वह कभी भी मिनिस्टर्स की ऐडवाइस पर कार्य करन पर बाध्य ह। जब संविधान में ऐसी गुंजायश है तो फिर अगर सरकार की कोई राय हो कि प्रतिबन्ध आवश्यक है तब भी किसी विधेयक में इस प्रकार के प्राविजन की आवश्यकता का किस तरह से औचित्य है, यह मैं निश्चित नहीं कर सका। इसलिये मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया था उससे मुझे संदेह होता है कि कदाचित् उनको यह स्वीकार न होगा, यदि स्वीकार न हो...

श्री उपाध्यक्ष---अभी आप भविष्य की बात न कहें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---मैं केवल इतना कहना चाहता था कि इस धारा में एक दोष भी है, इस धारा से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कब से लागू होगी? हमने पिछले जो बिल पास किये हैं, जैसे कि एक अपील का बिल हमने पास किया था कि ५,००० से अधिक मूल्यांकन की अपील जिला जज के यहां होगी, इस बात पर न्यायालयों में बहुत विवाद हुआ कि वह कब से लागू होगी। इसी तरह से यह नहीं मालूम होता कि इस धारा ७ का निफाज कब से होगा, इसका स्पष्टीकरण इसमें नहीं होता। इसलिये सदन का समय बचाने के लिये मैं आपकी आज्ञा से प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी यदि इसका स्पष्टीकरण कर दें तो आगे की कठिनाई बच सकेगी और मेरा सुझाव ह कि वह स्पष्टीकरण यदि यह धारा रहे, यदि वह इस प्रार्थना को स्वीकार न करें तो इन शब्दों को बढ़ाने से पूरा हो सकेगा। आपकी आज्ञा से मैं पढ़े देता हूं---

"for the purposes of this proviso the first term of a member of the Executive Council shall commence after the expiry of the term of his membership at the time of the commencement of this Act."

यदि यह शब्द बढ़ा दिये जायं तो वह इस दोष से मुक्त हो जाय और इस बात में कोई दिक्कत न होगी कि वह कब से नाफिज होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें और यदि स्वीकार न कर सकें तो इसका स्पष्टीकरण कृपा करके कर दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, यह ऐसी धारा है कि जिस पर आरम्भ में भी कुछ विवाद हुआ था और इस समय भी इस पर विचार हो रहा है। अब एक प्रार्थना तो यह पेश थी कि वह अवधि ३ साल कर दी जाय और अब एक प्रस्ताव यह पेश है कि यह उपखंड ही निकाल दिया जाय। मैंने आरम्भ में भी निवेदन किया था कि मेरी मजबूरी है और अब इतना समय भी नहीं है कि मैं फिर इसके विषय में तर्क उपस्थित करूं। जितना मैं कह चुका हूं उस से अधिक किसी बात पर मैं अब प्रकाश डाल सकूं ऐसा मुझे नहीं लगता और न मुझे कोई ऐसी बात लगती है कि कोई अनडेमोक्रेटिक चीज हो रही है। न मुझको कुछ ऐसा ही लगता है कि ऐसी धारा रख कर हम विश्वविद्यालय का कोई अहित कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में तो यह एक ऐसी धारा है कि जिससे विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में सहायता ही मिलेगी और कन्टीन्युटी अब बनी रहेगी। जैसा कि राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में प्रस्तावित है उसके अनुसार यह कार्य भी हो सकेगा और हमारा वातावरण कुछ शुद्ध होगा। इस विचार से इसको रखा है और यह भी था कि पैरिटी भी हो जाय। लोगों को हम रिटायर कर देते हैं करीब-करीब एक ही टर्म में, तो बाहर के लोग दो टर्म से अधिक न रहें, बीच में गैप हो जाय तो थोड़ी बहुत समता आ जाती है। इस प्रकार का प्रतिबन्ध सर्वत्र ही है केवल अध्यापकों इत्यादि पर ही नहीं है। तो मैं तो जगदीशशरण जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

जहां तक इसके लागू होने का सम्बन्ध है वह ऐक्ट बनने के बाद लागू होगा। यह भी निश्चित ही है कि जो कोई भी व्यवस्था यूनिवर्सिटी में चलती है इस कानून के अनुसार ही चलेगी। साथ ही साथ जिससे कोई अपसेटिंग तुरन्त न हो जाय इसके प्राविजंस आगे हैं। उनको इस बात की कोई परेशानी नहीं होगी कि कहीं किसी प्रकार ऐसा न हो कि सारा प्रबंध उलटपलट जाय। उनसे मैं प्रार्थना यह करूंगा कि यदि वह कृपा कर वापस ले लें तो सहूलियत से धारा स्वीकार कर ली जाय।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---श्रीमन्, मैं इसको वापस लेता हूं जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था। लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो आपकी विशेष अनुमति....

श्री उपाध्यक्ष---चूंकि समय नहीं है, बाकी बात आप मंत्री जी से अलग कर लें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं खड़ा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष---चूंकि समय पांच बजे तक निर्धारित है इसलिये मैं अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके ऐसा कर रहा हूं।

श्री राजनारायण---मंत्री महोदय के बोलने पर भी किया कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---एक समय मैंने निश्चित कर लिया था कि इसके बाद इजाजत नहीं दूंगा बोलने की।

प्रश्न यह है कि श्री जगदीशशरण अग्रवाल को संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं मूव करने की इजाजत नहीं दूंगा। सिर्फ पढ़ दूंगा।

खंड ८, ९ तथा १०

यू० पी० ऐक्ट ५, १९-२० की धारा २३ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २३ में—

(१) उपधारा (६) में शब्द ("The senior most") तथा शब्द ("Department") के बीच में आने वाले शब्द ("Professor of a") के स्थान पर शब्द ("teacher of the University in the") रख दिये जायं और तत्पश्चात् कामा (commas) तथा शब्द ("and where there is no Professor in a Department, the senior most Reader thereof shall be the Head") निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (८) में शब्द ("Committees of Courses and") के स्थान पर शब्द ("Boards of") रख दिये जायं, तथा शब्द ("Committees") के स्थान पर शब्द ("Boards") रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २६-ए का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा २६-ए की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(3) Where provision is made in this Act for an election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where such provision is made in a statute, it shall be held in the manner prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३० का संशोधन,

१०—धारा ३० की उपधारा (१) के खंड (बी) में शब्द "proposal of the" और "Faculty or Faculties" के बीच में शब्द "Board of the" रख दिये जायं।

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द 'में' के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय —

शब्द "Teaching" के बाद शब्द "who shall be a Professor" बढ़ा दिया जाय तथा शब्द "who" के स्थान पर "and he" और "Reader" के स्थान पर "Assistant Professor" रख दिया जाय। तथा

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८, ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११, १२, १३, शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

११—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० के उपबन्धों को सामान्यतया कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कोई भी काम करना, जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम (statute) का निर्माण अथवा संशोधन तथा ऐसे परिनियमों अथवा संशोधनों के प्रभावी होने के दिनांकों का निश्चित करना भी है, विधिपूर्ण होगा।

(२) उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकार राज्य सरकार उतनी बार प्रयुक्त कर सकती है जितनी बार अपेक्षित हो, किन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से बारह महीनों के पश्चात् प्रयुक्त नहीं कर सकती है।

१२—(१) राज्य सरकार किन्हीं भी कठिनाइयों के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में (कठिनाइयों के), निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसा अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिसे वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक के बारह महीने पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा पर किसी विधि-न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसके निवारण की कोई अपेक्षा नहीं थी ।

१३—उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ की धारा १,२ तथा ४ के उपबन्ध जहां तक कि उनका सम्बन्ध लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० से है, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं तथा यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित विधायन रहा हो । निरसन तथा अपवाद ।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश ४, १९५७ ।
यू०पी० ऐक्ट ५, १९२० ।
यू० पी० ऐक्ट १, १९०४ ।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने का यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० ।

विधेयक

यह इष्टकर है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को यहां आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय : यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायगा । संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (३) बढ़ा दिया जाय :

"(३) उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कोई भी नियम या परिनियम के संशोधन विधान मंडल के समक्ष १४ दिन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे और विधान मंडल द्वारा किये गये कोई भी संशोधन अथवा बनाये गये परिनियम निश्चित दिनांक से प्रभावी समझे जायेंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११,१२,१३ तथा खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, खंड १ में मेरा जो संशोधन था उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—वह समय के अन्दर नहीं आया था इसलिये मैंने उसकी इजाजत नहीं दी।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय इतना बढ़ा दिया जाय जिससे यह विधेयक पारित हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—सदन निश्चय ले ही चुका है कि यह विधेयक ५ बजे तक पारित हो जायगा इसलिये आपका प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ [Lucknow University (Amendment) Bill, 1957] पारित किया जाय।

श्री राजनारायण—इस पर बोलने की एक मिनट की इजाजत देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन दें ....

श्री उपाध्यक्ष—कोई सुधार नहीं हुआ इसलिये इजाजत नहीं दी जा सकती।

प्रश्न यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ [Lucknow University (Amendment) Bill, 1957] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य और उनसे मुलाकात करने की सुविधा से सम्बन्धित ९ दिसम्बर, १९५७ के अल्पसूचित प्रश्न १ व ४ के विषय पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—अब डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य और मुलाकात के सम्बन्ध में असन्तोषजनक उत्तर पर विवाद जारी होगा।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर लोहिया के बारे में जो मैंने प्रार्थना की थी कि इस पर चर्चा की जाय, इसमें दो विषय सम्बद्ध हैं। एक तो यह कि डाक्टर लोहिया का स्वास्थ्य ऐसा है, जिस पर प्रश्न किये गये थे, और दूसरा प्रश्न उन से मुलाकात के सम्बन्ध में था कि उनको मुलाकात क्यों नहीं करायी गयी बैरक में।

श्रीमन्, इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर सरकार की ओर से मिला वह इतना वेग और अपर्याप्त था कि उससे कोई जानकारी नहीं हुई। उससे इस सदन के सदस्यों में यह भावना बढ़ी कि सरकार इस बात को छिपाना चाहती है। श्रीमन्, आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने उन सभी तथ्यों को रखना चाहता हूं कि जिससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि सरकार ने इस मसले को, डाक्टर लोहिया की गिरफ्तारी और उनसे मुलाकात और उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बराबर छिपाने की कोशिश की और उन तमाम तथ्यों के बाद यह भी उपस्थित करना चाहूंगा कि उस के पीछे रहस्य क्या है।

श्रीमन्, प्रश्न यह था कि डाक्टर लोहिया का स्वास्थ्य जेल में कैसा है इसके उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनके दांत और कान में मामूली सा दर्द है और जब यह पूछा गया कि उनसे मुलाकात करने की इजाजत क्यों नहीं दी गयी तो यह जवाब दिया गया कि मर्ज ऐसा नही है जिसमें मुलाकात करने के लिए वे फाटक पर न आ सकें। सरकार के हठ के कारण डाक्टर लोहिया खास तौर से फाटक पर मुलाकात करने के लिए आये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमान् की इजाजत से मैं इसकी पृष्ठिभूमि में क्या हुआ उसे बतला देना चाहता हूं। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने यही कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और लेटेस्ट रिपोर्ट तो यह है कि वे बिल्कुल ठीक हैं। जब यह पूछा गया कि वह लेटेस्ट रिपोर्ट कहां है, सदन के सामने उसे उपस्थित किया जाय तो मन्त्री जी ने कहा कि तफसीली रिपोर्ट नहीं है। जब यह पूछा गया कि डाक्टर लोहिया का स्वास्थ्य कैसा है तो जवाब यह मिला कि रिपोर्ट इस वक्त है नहीं और साधारण जानकारी उन्होंने करा दी। मोटी सी बात है कि जब स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रश्न था तो माननीय मन्त्री जी को चाहिए था कि डाक्टर लोहिया के सम्बन्ध में वे पूरी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करते और बतलाते कि फलां डाक्टर की रिपोर्ट है, इस प्रकार परीक्षा की गयी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब यह पूछा गया कि डाक्टर डी० एन० शर्मा मुख्य मन्त्री के आदेश से डाक्टर लोहिया को जेल में देखने गये तो इस बात से साफ इन्कार किया गया और यह कहा गया कि ऐसी कोई जानकारी माननीय मन्त्री जी को नहीं है।

२६ नवम्बर को मैंने एक पत्र मुख्य मन्त्री जी को लिखा कि डाक्टर लोहिया का स्वास्थ्य जेल में खराब है और उस में यह लिखा कि डाक्टरों का मत है कि उन को चलना फिरना नहीं चाहिए और बाहर भी हमारा बराबर यह प्रयत्न रहा है कि वे चलने फिरने न पायें, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने डाक्टर लोहिया से बैरक में मिलने की इजाजत नहीं दी, हालांकि जेल के नियमों के अनुसार स्वास्थ्य के आधार पर बैरक में मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। इसके बाद ४ दिसम्बर को माननीय राजनारायण जी ने खुद माननीय मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से जो घटना घटी थी, उसका वर्णन किया कि किस तरह से डाक्टर लोहिया को कुर्सी से बांध कर मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया और जबरदस्ती अंगूठे का निशान लगवाया और इस तरह की अप्रिय घटना पर सरकार को मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए। मैं समझता हूं कि डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विभिन्न तारीखों पर और टेलीफोन से भी मैंने और माननीय राजनारायण ने माननीय मुख्य मन्त्री से बात चीत की और २७ तारीख को उनके समक्ष उपस्थित हुए और उनसे कहा कि डाक्टर लोहिया की जांच किसी अच्छे डाक्टर से करानी चाहिए। इस अच्छे डाक्टर की जांच रिपोर्ट आज तक आयी नहीं। मसला गम्भीर था और यह बात भी नहीं है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने इस बात को अपने मंत्रिमंडल के सामने न रक्खा हो। उनका फर्ज था और उनसे यह बात अपेक्षित थी कि उनकी जांच करायी जाती, लेकिन खेद है कि माननीय जेल मन्त्री ने इन्कार करते हुए कहा कि उनके पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उनका स्वास्थ्य खराब है।

उनसे दूसरा सवाल किया गया कि क्या डाक्टर लोहिया को हाइपर-टेंशन की शिकायत है और उनका हार्ट अफेक्टेड है तो इस पर भी माननीय मन्त्री ने कहा कि इसकी भी उन को कोई सूचना नहीं है। जब मैं मुख्य मन्त्री के पास पर्सनली गया और माननीय राजनारायण जी साथ थे तो उन से उस समय भी यह बातचीत हुई कि डाक्टर लोहिया की किसी अच्छे डाक्टर से परीक्षा करायी जाय। तो परीक्षा किस के द्वारा करायी गयी? आई० जी० साहब ने परीक्षा की जो प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, जब हार्ट का मरीज है तो हार्ट स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए था। उसको न दिखाकर ऐसे आदमी से दिखाया गया जो प्रैक्टिस भी छोड़ चुके थे और हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि वह उनको देखने में भी असमर्थ थे इसलिए वह अपने साथ अपने लड़के को जेल में ले गये और उनके लड़के ने उनको देखकर रिपोर्ट दे दी। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर लोहिया जी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी रखते हुए भी कि लोहिया जी हृदय के मरीज हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सरकार ने कोई परवाह नहीं की और न उन को सुविधाएं उपलब्ध कीं और मुलाकातें भी बन्द कर दीं। इन बातों का क्या असर होता है? जब किसी हृदय के रोगी को प्रोवोकेशन होता है या उसके साथ कोई ऐसी घटना घटे जिससे उसे परेशानी हो जाय तो उसके हृदय की गति बन्द हो जाने की सम्भावना रहती है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

श्रीमन्, बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने तमाम मांगों के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी। सरकार का यह कहना था कि लोग उनके पास आयेंगे जायेंगे तो उनके हृदय पर जोर पड़ेगा, लेकिन मेरा जो मत है मैं उसको इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि उसकी ऐसी साजिश थी कि डाक्टर लोहिया की हत्या करे। श्रीमन्, जब लोहिया जी की ३० तारीख से मलाकातें बन्द कर दी गयीं और जब उनका स्वास्थ्य खराब था और वे बाहर नहीं जाना चाहत थे तो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार तो हमारी बहरी है और हर आदमी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहता है इसलिए लोहिया जी बाहर फाटक पर नहीं आये। सरकार ने यह प्रोवोकेशन दिया कि किसी से मुलाकात नहीं करने दी और कृपलानी जी वगैरह वहां गये, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। सदस्यों को अधिकार है कि वह जेल के सुपरिन्टेंन्डेन्ट को सूचित कर दें तो वह जेल का निरीक्षण कर सकते हैं यह अधिकार माननीय सदस्यों को दिया गया है। इस में जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट, आई० जी०, जेल मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी सब से कहा गया लेकिन सब ने इन्कार किया। इससे भी साबित है कि खास तौर से सरकार की हत्या की साजिश थी। सरकार नहीं चाहती थी कि कोई शख्स जाकर देखे कि उनको कौन सा रोग हो गया है या कैसी हालत है। हम को उन की हालत जानने से भी महरूम रखा गया है। किस तरह की पाबन्दियां हैं, क्या सरकार सख्ती कर रही है इन सब बातों को छिपाने के लिए यह सुविधा नहीं दी गयी, जब कि सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार था खास तौर पर ऐसे मौके पर जब कि सरकार का हत्या करने का मंशा नहीं और हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग जेल में विजिट करना चाहते थे और सरकार उनके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहती थी तो सरकार को चाहिये था कि इजाजत दे देती, लेकिन इस तरह की इजाजत न देकर सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि सरकार की मंशा निश्चित रूप से डाक्टर लोहिया की हत्या करने की थी। इस लिए सरकार ने ....

श्री उपाध्यक्ष—आप बारबार उन्हीं बातों को दुहरा रहे हैं और समय बहुत कम है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं उसी बात पर आ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि सरकार ने सदस्यों को इजाजत नहीं दी।

तीसरी बात यह है कि माननीय लोहिया जी से मुलाकात के लिए एक पत्र माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरे पास भेजा है कि किसी आदमी को बैरक में नहीं मिलने दिया जा सकता। मैंने एक पत्र उनको लिखा है जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। उसमें मैं ने दूसरे देशों की हालत लिखी थी और तीन चार उदाहरण दिये थे जहां पर ऐसे प्रमुख नेताओं को अच्छी तरह से रखा गया है या हाउस अरेस्ट में रखा गया है और मिलने की पूरी सुविधाएं दी गयी हैं। श्रीमन्, हम सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहते हैं और चिट्ठी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं जो हम ने लिखी थी। श्रीमन्, यह तो बिलकुल स्पष्ट बात है और एक साधारण सी बात है कि अगर सरकार साजिश नहीं करना चाहती थी तो सरकार के इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं होती, न जेल की व्यवस्था बिगड़ती, न हाहाकार मचता और न किसी किस्म का जेल के नियमों का उल्लंघन होता था। तो सरकार ने यह न करके खास तौर से यह कोशिश की कि डाक्टर लोहिया की हत्या करे और इस वजह से, प्रोवोकेशन दिया और उस के लिए उन को कुर्सी पर बांध करके मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया और जबर्दस्ती अंगूठा लगवाया गया। इतना प्रोवोकेशन एक हार्ट के मरीज के लिए बहुत काफी था, लेकिन सौभाग्य की बात है कि सरकार की मन्शा पूरी नहीं हुई।

इसके अलावा एक बात और है कि मैंने मुख्य मन्त्री से यह कह दिया था कि शिष्टाचार का जहां तक सम्बन्ध है सभी जगह ऐसा होता है। हैदराबाद में वहां की सरकार ने सोशलिस्ट पार्टी के महादेवसिंह को गिरफ्तार किया था, लेकिन उन को उन के ही मकान में रख दिया। तो डाक्टर लोहिया ऐसे कौन से खास जुर्म के अधिकारी थे जिसके कारण जेल में, बैरक में अगर मुलाकात हो जाती, तो बड़ा गजब हो जाता। इसी तरह से शेख अब्दुल्ला को भी एक मकान में ही

रखा गया, ईरान के डाक्टर मुसद्दिक को भी मकान में ही रखा गया था। तो दूसरे देशों में भी यह शिष्टाचार बरता जाता है। फिर डाक्टर लोहिया तो सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं। कम से कम उनके साथ तो ऐसा बरताव होना ही चाहिए था।

एक बात और कहूं। मुख्य मन्त्री ने लिखा कि प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है, सबके साथ समान बरताव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन "कुमारसंभव" में एक जगह कहा है:

भवन्तु सामेपि निविष्टचेतसाम्,
वयः विशेषेष्वतिगौरवा क्रिया।

जब कोई विशेष व्यक्ति होता है तो उनमें उनकी क्रिया भी कुछ विशेष हो जाया करती है। यह कोई विशेष क्रिया नहीं हुई। तो उसके पीछे एक सीधी सी भावना यह थी कि सरकार डाक्टर लोहिय की हत्या करना चाहती थी।

समाज सुरक्षा राज्य मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस के सिलसिले में मैं सिर्फ यही अर्ज कर सकता हूं कि जो भी सूचनाएं मेरे पास थीं, सवाल करने के वक्त वे मैंने सदन के सामने रखी थीं। डाक्टरों की रिपोर्ट अब मेरे पास है और वह में तफसील से सदन के सामने पेश करने को तैयार हूं।

डाक्टर लोहिया साहब २ नवम्बर को गिरफ्तार हुए और उसी दिन जेल के डाक्टर ने उनका मुआयना किया। उसने उनके सम्बन्ध में लिखा है कि डाक्टर लोहिया की उम्र ४७ साल, वजन १४६ पौंड, ऊंचाई ५ फुट ४ १/२ इंच, ब्लड प्रेशर १५०/१००, पल्स रेट ७२, बाल्यूम और टेन्शन गुड, रेट रेगुलर, हार्ट-नथिंग ऐबनार्मल डिटेक्टेड, लंग्स—नथिंग ऐबनार्मली डिटेक्टेड, ऐबडामेन—नथिंग ऐबनार्मल डिटेक्टेड, जनरल हेल्थ—गुड।

इसके बाद ३ तारीख को इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स ने डाक्टर डी० एन० शर्मा से दरख्वास्त की कि वे जाकर डाक्टर लोहिया का जेल में मुआयना करें। डाक्टर डी० एन० शर्मा ने जो रिपोर्ट दी है वह इस तरह है कि डाक्टर लोहिया ने उनसे ऐन्जीनल पेन और ब्लड प्रेशर के अक्सर बढ़ने का इतिहास बतलाया। उन्होंने यह भी बतलाया कि कार्डियाक स्पेशलिस्ट ने उनको कोरोनरी इस्कीमिया (Coronary Ischaemia) जांच कर बताया था। डाक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि मेरे परीक्षण में डा० लोहिया का ब्लड प्रेशर नार्मल है और उस समय उनके दिल में Cardiac embarrassment का कोई लक्षण नहीं मिला। डाक्टर लोहिया ने बताया कि वे ब्लड प्रेशर के लिए Sarpasil, दिल के लिए Angosedine और पेट के लिए Becozyme Forte जब कभी उनकी तबीयत खराब हुई लेते रहे हैं। डाक्टर शर्मा ने उन्हें सलाह दी कि वे इन दवाओं को लेते रहें जब जरूरत हो और बलरामपुर अस्पताल से इन दवाओं का इन्तजाम करा दिया।

आप देखें कि २ और ३ तारीख को और फिर ५ तारीख को सिविल सर्जन, डाक्टर आर० सी० श्रीवास्तव ने उनका मुआयना किया। उस मुआयने में उन्होंने लिखा कि डाक्टर लोहिया ने मुझे बताया कि मुझे भूतकाल में दिल की तकलीफ रही है। उसका इतिहास उन्होंने बताया और यह भी बताया कि बम्बई में डाक्टरों ने उन्हें Coronary Ischaemia का केस diagnose किया था और उन्होंने मुझे वे दवाइयां भी दिखायीं जो वे लेते रहे थे और जिनसे उन्हें आराम मिलता था। जब मैंने उनकी परीक्षा की तो मुझे Cardiac Embarrassment का कोई लक्षण नहीं मिला और न कोई ऐसा ही लक्षण मिला जो Heart Failure की ओर संकेत करता हो। दिल की आवाज साधारण थी, पल्स रेट नार्मल था, ब्लड प्रेशर Hg. systolic का 135 mm. और hg Dystolic का 65 mm था।

उनका कहना है कि वे भूतकाल में दिल की तकलीफ के हमलों से बीमार रहते थे। मैंने सहमति दी कि वे दवाइयां Angosedine Nardyl and Becozyme Forte जो वे

[श्री मुजफ्फर हसन]

लेते रहे हैं और जिनसे उन्हें आराम मिलता था वे उनको लेना जारी रखें । और मैंने असिस्टेंट मेडिकल आफिसर से उनको इन दवाइयों को देने के लिए कहा।

बलरामपुर अस्पताल में १२ दिसम्बर, १९५७ को उनका Electro-cardiogram लिया गया जिससे Left Ventricular preponderance and Hypertrophy यानी बायीं तरफ दिल का बढ़े होने का संकेत मिलता है।

इसके बाद डाक्टर लोहिया के कान और दांत में कुछ तकलीफ हुई । इस सम्बन्ध में उन्हें ११, १२, १४, २६ नवम्बर को और दूसरी दिसम्बर को मेडिकल कालेज भेजा गया। डाक्टर चावला ने जो कि दांतों के स्पेशलिस्ट हैं, उनके दांतों का इलाज किया, उनके पांचवें और सातवें दांत में अल्विओलर एब्सेस यानी मसूढ़े का जख्म था। उसमें प्रोकीन पेनिसिलिन और रिडोक्सीन का इन्जेक्शन दिया गया । इसके अलावा उनके मसनूई दांतों की प्लेट टूट गयी थी वह बनवायी गयी । उनके कानों को डाक्टर आर एन० मिश्रा ने देखा। उन के कान में एक्सटर्नल ओटाइटिस यानी कान के बाहरी हिस्से में सूजन और कलेक्शन आफ एपिथिलियल डेब्रिस यानी कान में मैल जमा होने की शिकायत थी। उसका उन्होंने इलाज किया। १२ तारीख को डा० फरीदी साहब से मुआइना करने की दरख्वास्त की गयी। उनकी रिपोर्ट यह है जिस में उन्होंने सर में हैवीनेस की और रात मे ठीक से नींद न आने की शिकायत की। मेहनत जैसे कि ऊपर चढ़ना या जेल के फाटकों तक पैदल चलना उन्हें अन्कम्फर्टेबिल बना देता है और उनकी पीठ में पेन और सीने में थंम्पिग बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि मैं ने उनकी क्लीनीकली परीक्षा की और उनकी पल्स ८२, ब्लेड प्रेशर १४८/१०८, हार्ट एन्लार्ज्ड पाया। सिविल सर्जन, लखनऊ डाक्टर आर० सी० श्रीवास्तव ने जो मेरे साथ कल रात में गये थे, आज सुबह एलेक्ट्रो कार्डीओग्राम दिखाया। मेरे पास उनका ११-११-१९५४ का पुराना एलेक्ट्रो कारडिओग्राम है। दोनों की तुलना करने में उनके दिल की हालत स्लाइटली डिटेरिओरेटेड है। हार्ट एन्लार्ज्ड और इस्केमिक और लेफ्ट वैन्ट्रिकल में मार्क्ड स्ट्रेन है। डा० लोहिया का दूसरा एलेक्ट्रो कार्डिओग्राम एक्सरसाइज और कम्पलीट चेक अप के बाद लेना चाहिए जिससे की मेरे पास की पहले की जो रिपोर्ट है, उससे तुलना की जाय। दूसरा इन्वैस्टीगेशन जो बम्बई के डाक्टर ए० जे० वकील ने किया था, दोहराना चाहिए।

इसके बाद ता० १६-१२-१९५७ को डाक्टर बी० बी० भाटिया ने जो डिपार्टमेंट आफ मेडिसिन, मेडिकल कालेज में हैं, उनकी रिपोर्ट है। वह अपनी रिपोर्ट में यह कहते हैं कि डाक्टर सी० पी० टंडन, प्रधान कारागार निरीक्षक की प्रार्थना पर मैं ने आज सुबह १० बजकर १५ मिनट पर डा० लोहिया की परीक्षा की। उन्होंने कुछ मेन्टल अपसेट व रात में नींद न आने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि भूतकाल में उनको सीने के बगल में, पीठ और बाहों में कभी-कभी क्षणिक दर्द होता रहा है, लेकिन यह मेहनत, भोजन या उत्तेजना से नहीं होता है और इस लिए मेरी राय में एन्जिनल ओरिजिन का नहीं है, यानी दिल से ताल्लुक नहीं रखता । उनका पल्स रेट आज प्रति मिनट ७२ से ७६ तक जाता था। आर्टिरियल वेल पल्पेबिल थी। Fundus showed Grade I, arteriosclerotic changed, B. P. Syst. 150 to 155 और Dystolic 105 to 110 तक जाता था। तीन रीडिंग ली गयी। दिल का साइज नार्मल है। एक्सरे स्क्रीनिंग में कारडिओ थेरोसी रेशियो ५० प्रतिशत से कम। दिल पर किसी स्ट्रेन का या एलेक्ट्रो कारडिओग्रफिक स्टडी में कोरोनरी इस्कीमिया का कोई सबूत न था।

मेरी राय में डा० लोहिया के माइल्ड डिगरी का हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन उनका दिल फुली कम्पेन्सेटेड है। उनके सिर में भारीपन और नींद न आने के वर्तमान लक्षण दिमागी कारणों से हैं और उनके ब्लड प्रेशर या दिल से इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

अब इसके बाद कल मुझे श्री राजनारायण की चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने यह बताया कि वहां हाई कोर्ट में जो उन्होंने बहस की तो उससे उन पर बहुत स्ट्रेन पड़ा। तो कल जब हाई कोर्ट में तारीख थी, उस वक्त डाक्टर फरीदी ने उनको देखा तो उनकी नब्ज १०८ प्रति मिनट चलती थी और रक्त चाप १६०—११० था और टेम्परेचर ९९.८ था। इसके बाद साढ़े तीन बजे बलरामपुर के डाक्टर ने उनको देखा। उस वक्त उनका रक्त चाप १६२—१०८ था, टेम्परेचर १०० था।

आज दुबारा बलरामपुर अस्पताल के डाक्टर डी० एन० शर्मा ने उनको देखा वे लिखते हैं—

"I have examined Dr. Ram Manohar Lohia at 9.30 a.m.to-day with Dr. V. N. Mital (who had seen him yesterday in the court) and Dr. S. B. Khare, Assistant to the Civil Surgeon, Lucknow,

1. Temperature 98°F.
2. Pulse 108 per minute.
3. Blood pressure 160/—105 m.m.
4. Throat slightly congested.
5. Chest clear.

He was rather in a state of mental excitement and was emotional.

Considering his condition yesterday (when he had 100°F. temperature) and to-day's condition we had adivsed him complete rest for a couple of days on medical grounds."

यह मैंने उनकी हेल्थ की रिपोर्ट पूरी तफसील से सुनाई जिससे जाहिर है कि उनको जो पुरानी शिकायत थी, उसका इस वक्त कोई इशारा नहीं है। अलबत्ता डाक्टर लोहिया साहब अपनी तरफ से इसरार कर के हाई कोर्ट गये उसका कुछ स्ट्रेन जरूर मालूम होता है और अब डाक्टरों ने उनको रेस्ट करने की हिदायत दी है। वे इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं। मुलाकात के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि किसी भी व्यक्ति को इस बेसिस पर कि वह किसी व्यक्ति से जब वह पहले जेल गया था उनको बैरक में मुलाकात की इजाजत थी, इस लिए अब भी मुलाकात बैरक ही में करेंगे फाटक पर नहीं मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन चूंकि वे इस वक्त बीमार हैं और अस्पताल में हैं लिहाजा अस्पताल में जो लोग दाखिल होते हैं उन को डाक्टर की इजाजत से अस्पताल में मुलाकात करने का मौका होता है। तो अस्पताल में मुलाकात करने की इजाजत डाक्टर की राय से दी जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक इस पर बहस चले, उस समय तक हाउस का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के नियमों में यह प्राविजन है कि उसकी बैठक ११ बजे से ५ बजे तक होगी और इसका समय उसके बाद आधा घंटे का होगा। इसलिये नियमों के अनुसार सदन को इसका वक्त बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसलिये इसके लिये और समय नहीं बढ़ाया जा सकता। पांच मिनट और हैं उसमें आप जो कुछ कहना चाहें, कहें।

* **श्री राजनारायण**—श्रीमन् सदन को अधिकार है कि वह चाहे तो समय बढ़ा सकता है।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से डाक्टर लोहिया साहब के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी गयी वह किसी तरह से भी संतोष की द्योतक नहीं है। डाक्टर लोहिया जब से गिरफ्तार हुए, यह माननीय मंत्री जी के बयान से ही स्पष्ट है कि अपने गिरफ्तार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

होते समय ही उन्होंने यह बता दिया था कि उन्हें रक्तचाप और हृदय का रोग है। डाक्टर लोहिया २ नवम्बर को गिरफ्तार हुए। उसी वक्त उन्होंने बता दिया कि उन्हें रक्त चाप और हृदय का रोग है। फिर क्या कारण है कि उसी वक्त से डाक्टर लोहिया की कोई केअर नहीं की गयी। इस बात की सफाई होनी चाहिये थी।

दूसरी बात यह कहना है कि एक बार नहीं पच्चीस बार फोन करके, लिखकर आई० जी०, जेल्स, जेल मंत्री और मुख्य मंत्री जी को यह निवेदन किया कि डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा बाहरी डाक्टर से कराई जाय, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गयी। उस दिन जिस समय [×] मजिस्ट्रेट ने जबरदस्ती बुलाकर उनका बयान लिया तो तमाम बातें प्रकाश में आयीं। उसके बाद बाहरी डाक्टर से जांच कराने का मौका दिया गया। डाक्टर फरीदी की रिपोर्ट मेरे पास है और मैं चैलेंज करता हूं कि कोई दूसरा डाक्टर आकर डाक्टर फरीदी की रिपोर्ट को चैलेंज करे चाहे डाक्टर डी० एन० शर्मा हों, चाहे सिविल सर्जन हों। डाक्टर फरीदी के सामने कारडियोग्राम की रीडिंग में ये बच्चे हैं। डाक्टर ए० जी० वकील, बम्बई के जो इस देश में कारडियोग्राम के मशहूर रीड करने वाले हैं, उन्होंने बतलाया कि उनको स्कीमिया है, हार्ट इनलार्ज हो रहा है, ब्लड प्रेशर है। इस बात को डाक्टर्स जानते थे, और सब डाक्टरों के जानते हुए भी इस सरकार के डाक्टरों ने डाक्टर लोहिया का कारडियोग्राम नहीं लिया। इसका क्या कारण है? सरकार की ओर से जो बार-बार कहा गया है कि हमने उनके स्वास्थ्य की पूरी परवाह की, यह बिलकुल अनर्गल और निराधार है।

श्रीमन्, कल की बात है क्या ख्वाब में एकाएक स्कीमिया भी पैदा हो गया, हार्ट इनलार्ज भी हो गया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, न मालूम यह हुकूमत अपने को क्या समझती है। मुझे अफसोस है कि माननीय जेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किस तरह से गुमराह करने की कोशिश की गयी है। मैं डाक्टर फरीदी की रिपोर्ट को पढ़ कर कहता हूं कि डाक्टर लोहिया की जरा भी परवाह नहीं की गयी है, उनके स्वास्थ्य की परवाह करने में यह सरकार [×] साबित हुई है। मैं इसके बारे में लिखना भी चाहता हूं और इसकी इजाजत भी लेना चाहता हूं कि अगर मंत्रियों और सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों पर एटैम्प्ट आफ मर्डर का केस चलाने की इजाजत दी जाय और कानूनी गुंजायश हो तो मैं उसे भी चलाऊं।

श्रीमन्, लिखने के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जो अंग्रेजी साम्राज्यशाही के जेल में बन्द थे उनको भी हरिजनों के बारे में कोई लेख लिखने पर रुकावट नहीं थी, कोई भी गांधी जी से डाइरेक्ट जाकर बातचीत कर सकता था। यह उस समय की बात है जब कि अंग्रेजों की तानाशाही थी।

श्रीमन्, मैं एक छोटा सा किस्सा बतला दूं कि जब कि मैं बनारस जेल में था, मैंने भी काम करने के लिये सम्पूर्णानन्द कैम्प में जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर मुझसे कहा गया कि इसके लिये आपको क्लासिफिकेशन फोरगो करना होगा। मैंने कहा कि मैं इसके लिये तैयार हूं, मुझे खुद क्लासिफिकेशन पसन्द नहीं है। बाद में सुपरिण्टेण्डेण्ट की ओर से मेरे पास खत आया जो कि इस समय भी मेरे पाकेट में मौजूद है, उसमें कहा गया है कि सुपरिण्टेण्डेण्ट ने श्री राजनारायण के स्वास्थ्य की परीक्षा की और वे इस काम के लायक नहीं हैं। न तो कभी मुझे किसी सिविल सर्जन ने देखा और न मैं कभी किसी डाक्टर के सामने प्रस्तुत किया गया, फिर न मालूम कहां से रिपोर्ट आ गयी कि सिविल सर्जन ने हमारे स्वास्थ्य की परीक्षा की। तो इस सरकार के डाक्टर इसी तरह की रिपोर्ट देते हैं। न मालूम इस सरकार के ऊपर और इस देश के ऊपर कौन सा तूफान बरपा होने वाला है कि ऐसे डाक्टर जो बराबर सरकार की गुलामी में ही रहे, वे बड़े-बड़े नेताओं की जिन्दगी की भी परवाह नहीं करना चाहते हैं। आई० जी० प्रिजन्स की बात मैं कहता हूं . . .

[×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष—आप व्यक्तिगत किसी आदमी पर हमला न करें।

श्री राजनारायण—आई० जी० प्रिजन्स ने अपने लड़के को लाकर उससे स्वास्थ्य की परीक्षा कराई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आई० जी० ने परसनली परीक्षा की। मैं नहीं समझता कि कौन सा आसमान में तूफान आ जाता या कौन सी ऐसी धरती धस जाती जो इस तरह की साजिश की गयी। इसका कारण यही मालूम होता है कि सरकार डाक्टर लोहिया से अपने को खतरा समझती है और वह चाहती है कि उनसे जल्द से जल्द पिंड छूटे।

श्री उपाध्यक्ष—अब साढ़े पांच बज गये हैं। समय समाप्त हो गया है। यह विषाद अब खत्म हो गया। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ दिसम्बर, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७८ पर)

(कुमायूं बन समिति के सदस्यों की सूची)

सभापति—कमिश्नर, कुमायूं डिवीजन, नैनीताल।

सदस्य—(१) अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल और टेहरी गढ़वाल (अगर या कभी टेहरी गढ़वाल की जिला बोर्ड बनायी गयी) के जिला बोर्डों में से हर एक का एक प्रतिनिधि।

(२) श्री जे० बी० विष्ट, एम० पी०, अल्मोड़ा।

(३) उत्तर प्रदेश विधान मंडल के निम्नलिखित सदस्य :

(१) श्री इन्द्र सिंह नयाल, सदस्य विधान परिषद्, नैनीताल।
(२) श्री चन्द्रसिंह रावत, सदस्य विधान सभा, गढ़वाल।
(३) श्री खुशीराम, सदस्य विधान सभा, अल्मोड़ा।
(४) श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट, सदस्य विधान सभा, अल्मोड़ा।
(५) श्री प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा, नैनीताल।

(४) सरकार द्वारा मनोनीत निम्नलिखित सदस्य :—

(१) श्री बद्रीदत्त पांडे, अल्मोड़ा।
(२) श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी, अल्मोड़ा।
(३) श्री पीताम्बरदत्त पसबोला, गढ़वाल।
(४) श्री एम० एम० उपाध्याय, अल्मोड़ा।
(५) कन्सरवेटर, पश्चिमी वृत, उत्तर प्रदेश।
(६) कन्सरवेटर, टेहरी वृत, उत्तर प्रदेश।
(७) कन्सरवेटर, कुमायूं वृत, उत्तर प्रदेश, जो समिति के सेक्रेटरी भी हैं।

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त, कुमायूं डिवीजन के जिला नियोजन अधिकारियों को समिति की बैठकों में हमेशा आमन्त्रित किया जाता है मगर उनको मतदान का अधिकार नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८९ पर)

क्रम संख्या	इजलास का नाम	वर्ष	मुकदमें जिनमें लोग छूट	मुकदमें जिनमें सजाएं हुईं	मुकदमें जिनमें कुछ को सजाएं और कुछ छूटे हुईं
१	सेशन जज, मैनपुरी	१९५४	२५	१०	११
	,, ,,	१९५५	२३	१२	९
	,, ,,	१९५६ से अगस्त १९५७ तक	४२	१६	९
२	एडीशनल सेशन जज, मैनपुरी ..	१९५४	..	इस वर्ष कोई इजलास नहीं था	
	,, ,,	१९५५	१३	२४	..
	,, ,,	१९५६ से अगस्त १९५७	३६	६२	..
३	असिस्टेंट सेशन जज, मैनपुरी ..	१९५४	११	१०	..
	,, ,,	१९५५	४	५	..
	,, ,,	१९५६ से अगस्त १९५७	२२	२०	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९१ पर)

No. 3053!XXIXAF

FROM

SRI S. B. MATHUR, I.A.S.,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH.

TO

THE REGIONAL FOOD CONTROLLER,
VARANASI REGION,
GORAKHPUR.

Dated Lucknow, June 15/17, 1957.

Food and Civil Supplies "A" Department

SIR,

With reference to your D. O. letter dated June 8, 1957, giving details of shops, existing and those proposed to be set up in addition, to meet the rising demand of rural areas, I am directed to sanction opening of 359 shops for rural areas and 28 shops for urban areas as per statement giving periodical break-up attached herewith. The opening of new shops will, however, depend on availability and will thus be regulated by you from time to time by necessary adjustments of number of shops and/or quantity of daily issues against each shop.

2. As would be evident from the statement, decision has been taken to sanction these shops in three instalments. The first instalment falls due on 21st June, second on 10th July and the third on 20th July, 1957. In addition, 28 shops are also being sanctioned forthwith for urban areas as laid down in the statement referred to above. The basis for fixation of shops is to have one shop for two Adalti Panchayats and it will be left to the discretion of the District Magistrates to select a convenient spot from the point of view of easy accessibility for the consumers to draw their required supplies.

3. The District Magistrate will arrange a sort of rationalized distribution through the Gaon Sabhas and fix periodical issues of supplies for different villages from the shop with which the specific village and Sabha will be attached. This is necessary to minimise the chances of supplies going underground for surreptitious sales.

4. The District Magistrates, in the first instance, will allow the opening of shops on the above pattern according to expediency of each area. The opening of shops in the second instalment will also be determined likewise whereas the third instalment will cover up the area left uncovered on the basis of one shop to two Adalti Panchayats as referred to above.

Sanction is further accorded to the sale of wheat ex-Government issue godown at Rs.14-10-9 in wholesale for rural areas on no-profit and no-loss basis.

It is hoped that the District Magistrates will please adopt this rationalized system of opening of shops in the nine districts of East as per programme attached herewith.

Yours faithfully,
(Sd.) S. B. MATHUR,
Deputy Secretary.

No. 3052/(i)/XXIXAF

COPY forwarded to the District Magistrates, Mirzapur, Varanasi, Jaunpur, Ghazipur, Ballia, Azamgarh, Deoria, Basti and Gorakhpur for information and necessary action.

By order,
S. B. MATHUR,
Deputy Secretary.

Sl. no.	Name of District	Number of existing shops		Total existing	Number of additional fair price shops needed on basis of one shop to Adalti Panchayats		Total of additional shops needed	Grand Total of shops for East District as estimated to stand on 20.7.1957	Periodical spread of additional shops sanctioned for—				Urban Areas immediate sanction	Total additional shops sanctioned	Grand Total of shops existing and additional as on 20.7.57
		In Towns	In Rural Areas		In Villages	In Towns			Rural Areas						
									21.6.57	10.7.57	20.7.57	Total Rural			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Mirzapur	18	33	51	55	6	61	112	25	17	13	55	6	61	112
2.	Varanasi	74	69	143	75	..	75	218	30	25	20	75	..	75	218
3.	Jaunpur	39	98	137	9	..	9	146	9	..	..	9	..	9	146
4.	Ghazipur	11	110	121	Nil	3	3	124	..	..	..	..	3	3	124
5.	Azamgarh	35	110	145	71	..	71	216	35	20	16	71	..	71	216
6.	Ballia ..	16	73	89	13	4	17	106	10	3	..	13	4	17	106
7.	Deoria ..	14	106	120	51	..	51	171	30	15	6	51	..	51	171
8.	Gorakhpur	25	130	155	17	15	32	187	10	7	..	17	15	32	187
9.	Basti ..	12	89	101	68	..	68	169	30	25	13	68	..	68	169
	Total ..	244	818	1,062	359	28	387	1,449	179	112	68	359	28	387	1,449

सरकारी आदेश संख्या ३० ५३/२९, ए०-एफ० दिनांक, १७ जून १९५७ के अन्तर्गत प्रत्येक पूर्वी जिले के लिए स्वीकृत सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या तथा वर्तमान सूचना के अनुसार उन जिलों में चल रही स्वीकृति प्राप्त दुकानों की संख्या की तालिका।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सरकारी आदेश संख्या ३०५३/२९ ए-एफ दिनांक, १७-६-५७ के अन्तर्गत स्वीकृत दूकानों की संख्या	वर्तमान सूचना के अनुसार जिलों में चल रही स्वीकृति प्राप्त दूकानों की संख्या	विवरण
१	२	३	४	५
१	मिर्जापुर	११२	८२	
२	वाराणसी	२१८	२२१	
३	जौनपुर	१४६	२०७	
४	आजमगढ़	२१६	२७०	
५	गाजीपुर	१२४	१५६	
६	बलिया	१०६	१५९	
७	देवरिया	१७१	१९१	
८	गोरखपुर	१८७	२३१	
९	बस्ती	१६९	१९९	
१०	गोंडा	..	४८	
	योग	१,४४९	१,७६४	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९४ पर)

मुरादाबाद जिले के फौजदारी न्यायालयों में १५- ८-५७ को सन् १९५४-५५-५६ और ५७ के विचाराधीन।

मुकदमों की तालिका

क्रम-संख्या	न्यायालय का नाम	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७
१	अतिरिक्त जिला धीश	..	..	३	२५
२	सिटी मजिस्ट्रेट	..	..	..	७३
३	हाकिम परगना मुरादाबाद	..	..	..	७४
४	हाकिम परगना सम्भल	..	..	..	१९८
५	हाकिम परगना, हसनपुर	..	..	..	६८
६	हाकिम परगना, अमरोहा	..	..	..	७४
७	हाकिम परगना, ठाकुरद्वार	..	..	..	२४६
८	अतिरिक्त हाकिम परगना, बिलारी	..	..	..	९
९	हाकिम परगना, बिलारी	..	..	१	२०८
१०	अतिरिक्त मजिस्ट्रेट	..	..	३	३२
११	रेलवे मजिस्ट्रेट ..	..	..	..	..
१२	जुडीशियल आफीसर, मुरादाबाद	..	..	१	६३
१३	जुडीशल आफीसर, सम्भल	..	..	..	१०४
१४	जुडीशल आफ़ीसर, अमरोहा	..	..	..	७५
१५	तहसीलदार, सदर	..	..	..	३२
१६	तहसीदार हसनपुर	..	..	..	३०
१७	तहसीलदार ठाकुरद्वार	..	..	..	३
१८	तहसीलदार, सम्भल	..	..	..	२९
१९	तहसीलदार, बिलारी	..	..	..	१३
२०	तहसीलदार, अमरोहा	..	..	..	४१
२१	स्पेशल मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद	१	..	२	१५१
२२	स्पेशल मजिस्ट्रेट, अमरोहा	..	..	१२	८३
२३	बेंच मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद	..	..	५१	१३५
२४	बेंच मजिस्ट्रेट, सम्भल	..	..	..	४५
२५	बेंच मजिस्ट्रेट, बिलारी	..	..	२	१०९
	योग ..	१	..	७५	१९१०